राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३२ वां दिवस [संख्या २४

शनिवार, दिनांक २७ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, योजना, विकास, कृषि, आयुर्वेद, हिन्दी, खनिज, विधि, खाद्य, वन, नियुक्ति, पंचायत, यातायात, आयुर्वेद, राजकीय उद्योग, श्रम, सहकारी एवं गृह-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया ।

हरचन्द तालाब की नहर के निर्माण में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उड़ाई गई रकम

५६४. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि हरचन्द तालाब तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर की नहर (धोरे) के निर्माण कार्य में आज से दो वर्ष पूर्व श्री रोशनलाल पटवारी, सिंचाई विभाग एवं तोलाराम, सुपरवाइजर निवासी बड़गांव द्वारा विभागीय कार्य के अन्तर्गत जो कार्य मजदूरों द्वारा कराया गया था उसकी मजदूरी की रकम विभाग से उपस्थिति रोल के आधार पर फर्जी निशान बनाकर उठाली गई और मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिकों ने उदयपुर सिंचाई विभाग को इस रकम के चुकारे हेतु कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या इस बारे में आवश्यक जांच करा कर सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और मजदूरों को तुरन्त चुकारा करने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : इसका उत्तर अभी तक आ नहीं पाया, दो सप्ताह के बाद में दिया जायगा ।

Page No 2

श्री उदयलाल वर्दिया : दो बार स्थगित हो चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कब तक इसका उत्तर प्राप्त होगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : दो सप्ताह में हर हालत में देने की कोशिश करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसी सत्र में सम्भावना नहीं है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५६५

श्री उमाचन्द : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६६

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६७

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६८

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६९

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५७०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री धर्माराम आर्य।

आबू रोड क्षेत्र में बॉम्बे सरकार के कानून

५७१. **श्री धर्माराम आर्य** (सिरोही–सु०): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिरोही जिले के आबूरोड क्षेत्र में अभी तक बॉम्बे सरकार के कानून लागू क्यों हैं और इस क्षेत्र में राजस्थान के कानून क्यों नहीं लागू हो रहे है ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : बम्बई राज्य में प्रभावशाली विधियों में से कुछेक विधियां आबू क्षेत्र में निरन्तर प्रभावशाली रखी जाने का निर्णय वहां की खास परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। मसलन कोड ऑफ क्रिमिनल (बम्बई एमेंडमेंट) एक्ट, १९५१ एवं १९५६, जिसके जरिए उस क्षेत्र में जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से सर्वथा पृथक कर दिया गया था और बम्बई प्रोहिबिशन एक्ट जिसमें बम्बई राज्य की प्रोहिबिशन पॉलिसी अन्तर्विष्ट है ऐसे कानून हैं जो उस क्षेत्र की खास आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बम्बई

Page No 3 [redacted]

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य की कुछ विधियों को निरस्त किये जाने के विषय में सम्बन्धित नए कानून के साथ विचार किया जा रहा है, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। राजस्थान राज्य के कानूनों में से कुछेक कानून करारोपण तथा राजस्व कानून, आबू क्षेत्र में पहले ही लागू किये जा चुके हैं।

प्रश्न संख्या ५७२

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालो-दिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५७३

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासिंह।

जिलाधीश के पद के लिए निर्धारित आयु

५७४. श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार का यह विचार है कि जिलाधीश की नियुक्ति के समय नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की कम से कम ३५ साल की आयु होनी चाहिए?

(२) क्या सरकार का यह भी विचार है कि आर० .ए० एस० ऑफिसर्स को भी जिलाधीश के पद पर नियुक्त किया जावे? अगर हाँ, तो कब से यह होने की संभावना है?

उप-मंत्री, नियुक्ति (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री गंगासिंह राठोड़ : कलेक्टर्स की जो नियुक्ति है और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव को देखते हुए क्या सरकार उपयुक्त नहीं समझती है कि उनकी उम्र नियत की जाय जिससे एडमिनिस्ट्रेशन सुचारु रूप से चल सके।

श्री चन्दनमल वैद : समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसी बात पर जोर देते हैं कि क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि उनकी उम्र नियत की जाय?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं।

श्री गंगासिंह राठोड़ : आर० ए० एस० ऑफीसर्स को भी आई० ए० एस० ऑफिसर्स के बराबर अनुभव है तो फिर उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता है?

श्री चन्दनमल वैद : आर० ए० एस० ऑफिसर्स प्रोमोशन में ही आइ० ए० एस० ऑफिसर्स बनते हैं इसलिए उनको मौका मिल जाता है।

प्रश्न संख्या ५७५

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन ।

तहसील सूरतगढ़ के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी

५७६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चक नं० ४५ एस. टी. जी. तहसील सूरतगढ़ के काश्तकारों ने सिंचाई विभाग को कई बार निवेदन किया है कि उन्हें नहरी पानी नियम पूर्वक नहीं मिलता ?

(२) क्या यह भी सही है कि सी० एम० एफ० बीच में पड़ने के कारण नाजायज तौर पर सारा पानी वे ही इस्तेमाल कर लेते हैं तथा सी. एम. एफ. के आगे जो काश्तकारान हैं उन्हें अपने हिस्से का पानी आज तक नहीं दिया गया तथा सिंचाई विभाग के कर्मचारीगण फर्जी इन्द्राजात सिंचाई सम्बन्धी कर लेते हैं ?

(३) अगर सरकार इन तथ्यों को सही नहीं मानती हो तो क्या इसके लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की समिति के द्वारा जांच कराने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन : क्या काश्तकारों ने सरकार के सामने कोई शिकायत नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा है, "जी हां" :

श्री भीमसेन : तो फिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आपको मालूम है कि घग्घर के बेड से गुजर रहे हैं, नहर हर साल बाढ़ से टूट जाती है, मरम्मत करने में दिक्कतें आती हैं । इसलिए पानी नहीं पहुंचाया जाता ।

श्री भीमसेन : काश्तकारों के लिए कुछ रिलीफ दिया जाय ?

श्री दौलतराम सारण : उसके प्रयास करते हैं, कुछ कुछ दिया जाता है लेकिन पूर्ण रूप से संतोष नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५७७

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५७८

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय ।

आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी

५७९. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

(१) वर्ष १९६३–६४ व १९६४–६५ में पचास पचास हजार रुपये की राशि नये औषधालय भवन बनाने के लिये स्वीकृत होते हुए भी उनका उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में आबादी के अनुपात से आयुर्वेद चिकित्सालयों की कमी है ? यदि हां, तो आगामी पंच-वर्षीय योजना में कितने नये आयुर्वेद कॉलेज खोलने का विचार है ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : अब तक जितने औषधालय हैं; योजनानुसार हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ५० हजार की राशि जो रखी गई थी उसका उपयोग नहीं किया गया है, उसके लिए मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : पहले प्रश्न का उत्तर क्या है यह दुबारा दिया जाय।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ६३-६४ में और ६४-६५ में पचास हजार की राशि का उपयोग नहीं किया गया है उसका क्या कारण है इसका उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : ६४-६५ का उपयोग हो रहा है। ६३-६४ का उपयोग नहीं हुआ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उपयोग नहीं करने का क्या कारण हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सेंक्शन समय पर जारी नहीं हो सकी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आसींद में आबादी के लिहाज से औषधालय नहीं खोले गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह प्रश्न सारे राज्य के औषधालयों के लिए है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे कि राज्य की किस तहसील में कितने औषधालय हैं और कितने और जरूरी हैं यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में इस समय उत्तर नहीं दे सकता। इसके लिए अलग से सूचना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसी में पूछा गया है कि राज्य में आबादी के अनुपात से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की कमी है ? यदि हां, तो आगामी पंचवर्षीय योजना में कितने नये आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का विचार है ? चतुर्थ योजना पर १४ हजार की आबादी पर एक औषधालय खोलने का विचार है। तो हर पंचायत और पंचायत समिति पर औषधालय हैं ?

श्री दौलतराम सारण : तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आगामी वर्ष में पूरे खोल दिये जावेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : योजनानुसार प्रयास किया जावेगा ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उसकी कोई तारीख निश्चित की गई है क्या कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में इतने खोले जावेंगे ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मेरा प्रश्न जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया उससे भिन्न है । आपने बताया कि राज्य के जितने औषधालय हैं उनमें वैद्य हैं । लेकिन मैंने यह पूछा है कि क्या यह सही है कि राज्य में आबादी के अनुपात से आयुर्वेदक चिकित्सालयों की कमी है ? यदि हां, तो आगामी पंचवर्षीय योजना में कितने नये आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का विचार है ?

श्री दौलतराम सारण : आप सुन लीजिये । राजस्थान में इस समय कुल १४१२ औषधालय चल रहे हैं । सरकार आगामी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ७५० औषधालय नये खोलने का विचार रखती है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उनके लिए आप कॉलेज नहीं खोलेंगे तो कहां से उपलब्ध होंगे ?

श्री भदराणलाल : क्या यह सही है कि जितने औषधालय हैं उनमें वैद्यों की कमी है ?

श्री दौलतराम सारण : वैद्यों की कमी है यह इसमें सही नहीं है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : जितने कॉलेज हैं उनमें से इतने स्नातक नहीं निकल पाते ।

श्री दौलतराम सारण : यह तो आपकी मान्यता है । मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे यहां पर्याप्त वैद्य हैं और हमारी आवश्यकतानुसार कॉलेज वैद्यों की पूर्ति कर रहे हैं । आप खामख्वाह कह रहे हैं कि वैद्यों की कमी है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इसके माने यह हैं कि मन्त्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है कि वास्तव में कमी है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं कह रहा हूं कि कमी नहीं है ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : वे मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि वैद्यों की कमी नहीं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह पैसा रखा गया था वह इस्तेमाल नहीं हो सकता । इस्तेमाल इसलिये नहीं हो सका कि सैंक्शन जारी नहीं हुई थी । उधर वैद्यों की कमी नहीं है और फिर पैसा इस्तेमाल नहीं हो सका इसलिए कि सैंक्शन जारी नहीं हो सकी थी; क्या यह अफसोस की बात नहीं है ? कम से कम यह तो आप कह ही सकते थे कि यह अफसोस की बात है ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अगर आपके यहां वैद्यों की कमी नहीं है तो रत्न पास उनको प्रमोशन देने और उनको वैद्य बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी ?

श्री दौलतराम सारण : प्रमोशन, उसकी सीनियोरिटी, उसकी योग्यता और बहुत सी बातों को देख कर दी जाती है और उसको देख कर ही दी गई होगी।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मन्त्री महोदय ने बताया, यह उसके बिलकुल विपरीत है। रत्न है उनको वैद्य बनाया गया है।

श्री दौलतराम सारण : कुछ वैद्य एम० एल० ए० बन गये हैं, इसलिए वैद्यों की कमी हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

लिग्नाइट निकालने का कार्य

५८०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पलाना में पिट मैथड और Inclined shaft Tunnel द्वारा लिग्नाइट निकालने का काम शुरू हुआ या नहीं ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों और वह कब तक शुरू होगा ?

उप-मन्त्री, खनिज उद्योग (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, शुरू हो गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५८१

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८२

श्री भैरोंसिह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८३

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा।

बजरंगगढ़ तालाब का सर्वे

५८४. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में बजरंग गढ़ तालाब का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त तालाब पर बांध बंधवाने व उसे गहरा करवाने के लिये टेन्डर भी निकले थे ? यदि हां, तो कब तक इसका कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, सन् १९५५ में।

(श्री दिनेशराय डांगी)

(२) जी हां, सन् १६५५ में तकनिकी रुकावटों के कारण योजना को हमेशा के लिये स्थगित कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। वैद्य गोविन्द सहाय।

आयुर्वेद चिकित्सकों की कमी

५८५. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान की आबादी के अनुपात से आयुर्वेद चिकित्सकों की भी कमी है ? उस कमी को पूरा करने के लिये पंचवर्षीय योजना में कितने नये आयुर्वेद कॉलेज खोलने का निश्चय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : अब तक जितने भी राजकीय औषधालय खुले हैं उन सभी में वैद्यों की नियुक्ति हो चुकी है अतः इस दृष्टि से वैद्यों की कमी नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह प्रश्न दूसरा है और उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय के पास जानकारी है, सिर्फ उसको टालना चाहते हैं। आप पढ़ कर बता दीजिये। प्रश्न क्या है और जानकारी क्या दी है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है "क्या यह सही है कि राजस्थान की आबादी के अनुपात से आयुर्वेद चिकित्सकों की भी कमी है ? उस कमी को पूरा करने के लिये पंचवर्षीय योजना में कितने नये आयुर्वेद कॉलेज खोलने का निश्चय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।" इसमें कोई सूची नहीं है और आयुर्वेद चिकित्सालय जितने राज्य सरकार को खोलने का लक्ष्य है उतने खोले है और उतने वैद्य हैं। राज्य सरकार के पास उतने वैद्य तैयार करने के लिए राजस्थान में कॉलेज पर्याप्त मात्रा में हैं और कोई कमी नहीं है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी दूं कि दो कॉलेज राजस्थान में हैं, एक उदयपुर में और दूसरा जयपुर में। कितने स्नातक निकलते हैं इसकी तो जरा सूची बता दीजिये ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : ये पूछना चाहते हैं कि कितने स्नातक हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : दो कॉलेज चल रहे हैं, एक जयपुर में और दूसरा उदयपुर में। उनमें से कितने स्नातक निकलते हैं, क्या सूची है और कितने निकले हैं, कितने औषधालय बढ़ाये हैं तो कितने तैयार हुए हैं। ३६०० औषधालय हैं और कितने वैद्य रखने हैं यह बताइये ?

श्री दौलतराम सारण : ६० वैद्य और १६० धातृ कल्प निकलते हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३०० वैद्य निकल सकेंगे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : ६०० औषधालय खोलना चाहते हैं। ३०० वैद्य हैं, कैसे पूरा करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम समय में किया है। चतुर्थ योजना के लिए आवश्यकता होगी तो सीटें और बढ़ा देंगे। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वैद्यों की कमी नहीं आने देंगे। आवश्यकता हुई तो सीटें और बढ़ा देंगे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अब तक कितना है ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकता होगी उस अनुसार कमी नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : शाब्दिक काम से यह चलेगा नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : क्रियान्विती, शाब्दिक में कोई यहां अन्तर नहीं आयगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६०० औषधालयों में कैसे प्रोवाइड करेंगे ? कितना आउट-पुट वैद्यों का है ? सन्तोष तो दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : आपको इस विषय की जानकारी नहीं है। प्रश्नकर्ता महोदय जानते हैं कि राज्य में कितने कॉलेज हैं. आप पूछ रहे हैं उससे संगति नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है। कितने विद्यार्थी हैं, कितने कॉलेज है और कितने वैद्यों की आवश्यकता है, यह छोटा सा प्रश्न है; आप सन्तोष देने का प्रयत्न करें।

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : हम तो आपको नीम हकीम समझ रहे थे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम आपको खतरे जान समझ रहे हैं।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८७

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कृषि फार्म धरियावद

५८८. श्री उदयलाल वर्डिया (लसाड़िया) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की धरियावाद पंचायत समिति के अन्तर्गत कोई कृषि फार्म चलाया जाता है ?

(२) यदि हां तो इसका निर्माण कब हुआ और खेती कितनी जमीन पर किस वर्ष से की जा रही है ?

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(३) उक्त कृषि फार्म पर मकानात, जमीन की कीमतें एवं मैनेजर आदि की सर्विसेज़ लेबर, खाद, बीज, कृषि यन्त्रों को मिलाकर इसके निर्माण के समय से अब तक क्या खर्चा हुआ और क्या आय हो रही है ? वर्षवार आंकड़े बताने की कृपा करें।

उप मन्त्री, पंचायत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) १६५८ में निर्माण हुआ। खेती १६६०-६१ से दो एकड़ भूमि से शुरू की गई।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री उदयलाल वर्दिया : क्या राज्य सरकार को सन्तोष है कि जो पैसा लग रहा है उसके अनुपात में हमारी आय ठीक हो रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सन्तोष नहीं है।

श्री उदयलाल वर्दिया : तो क्या उपाय सोच रही है।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति से जो उत्तर आया उसके अनुसार उनको लिखा गया है कि जितना खर्चा होता है उसके अनुपात में आमदनी होनी चाहिये। शुरू शुरू में जब खेती सीड मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो निश्चित तौर से कुए खोदने, ट्रेक्टर खरीदने, जमीन को लेवल करने में जो पैसा खर्च होता है आमदनी उतनी नहीं होती। सिंचित जमीन २० एकड़ के आसपास है।

श्री उदयलाल वर्दिया : वहां कुआ खोदने का सवाल नहीं है। नदी से आबपाशी होती है। एक ट्रेक्टर है और दो क्वार्टर्स बनाये हैं। प्रतिवर्ष खर्चे में गड़बड़ी करते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको मैं जनरल बात कह दूं। सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स जितने भी हैं उसमें राज्य सरकार का अनुभव है कि शुरू शुरू में आमदनी नहीं होती है। पार्टिक्युलरली सीड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कुए से सींचाई हो रही है। विस्तृत जानकारी मैंने नहीं दी, इस वक्त जो घाटा हो रहा है सही है। वहां केवल सिंचित भूमि २० एकड़ में ली गई है। पंचायत को लिखा गया है, अगर वह ज्यादा विजिलेन्ट रहे तो घाटा नहीं रहेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (आसपुर) : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, असन्तोषजनक व्यवस्था का मूल कारण क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : धरियाबद के फार्म में असन्तोषजनक व्यवस्था का क्या कारण है, यह मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जनरल तौर पर राजस्थान के अन्दर जितने भी सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स हैं जो पंचायत समिति के अधीन हैं अच्छी तरह

(श्री परसराम मदेरणा)

से नहीं चल रहे हैं, इसलिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया था जो पंचायत समितियां हमको देना चाहें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको लेने के लिये तैयार है; बहुत सी पंचायत समितियों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को सुपुर्द भी कर दिये हैं । कुछ पंचायत समितियों के पास में हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन वे ही करती हैं ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु): सरकार को अभी तक कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

नाथटा की पाल में लोहे का भंडार

५८६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर के पास नाथटा की पाल में आयरन ओर का बड़ी मात्रा में भंडार पाया गया है ?

(२) यदि हां, तो भविष्य में इसके लिये क्या योजना है ?

उप-मंत्री, खनिज : (रामप्रसाद लड्ढा) (१) नाथटा की पाल में आयरन ओर का भंडार अवश्य मिला है पर न तो वह बहुत बड़ी मात्रा में है और न लोहे की मात्रा ही उत्तम है ।

(२) अभी राज्य स्तर पर इस कार्य को करने की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब वहां पर आयरन ओर मिला है तो उसको आगे बढ़ाने की कोई योजना बनायी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा कि मैंने बताया डिपोजिट्स हैं वे बहुत कम हैं और क्वालिटी भी इन्फीरियर है, इस वजह से स्टेट सेक्टर में कुछ करने की योजना नहीं है, प्राइवेट पार्टीज द्वारा यह काम किया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अनुमानित डिपोजिट्स कितने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ११.३५ मिलियन टन्स है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौनसी प्राइवेट पार्टी कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमानी इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५६५

प्रति व्यक्ति आय

५६५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री श्रवणलाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(हिन्डौन-मु०) के द्वारा पूछा गया] : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी थी और अब कितनी होने की सम्भावना है ?

(२) देश के अन्य किस किस राज्य से हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम है ?

(३) देशके अन्य रेडियो में प्रति व्यक्ति आय में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के मुकाबले तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और हमारे राज्य में कितनी ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य में न्यूनतम आय वाला वर्ग कौनसा है, कितना है और उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का जिलेवार सर्वेक्षण कराया और उस आधार पर न्यूनतम आय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग ३ आने ही आती है जब कि उनका खर्चा उसी सर्वेक्षण के आधार पर इससे ज्यादा है।

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी इसका कोई अंक निश्चित नहीं किया गया था, किन्तु १६६०-६१ की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय प्राक्षेपों के अनुसार ३५५ रुपये होने की आशा है।

(२) राज्य आय के अनुमान नियमित करने की विधि प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न है। अत: इस राज्य के प्रति व्यक्ति के आय की तुलना अन्य राज्यों के प्रति व्यक्ति की आय से करना सम्भव नहीं है।

(३) प्रत्येक राज्य में द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आंकड़े जो उपलब्ध हैं निम्न सारिणी में दिये गये हैं। सारिणी में वे राज्य नहीं है जिनमें आंकड़े द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कुछ ही वर्षों के लिये उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सारिणी बहुत लम्बी है, अत: मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

(४) सर्वेक्षण कराया जा चुका है और प्राप्त परिणामों का संकलन किया जा रहा है जो तैयार होते ही सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(५) जैसा कि प्रश्न नं० ४ के उत्तर में ऊपर कहा जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्यामगढ़ के सरपंच द्वारा अनियमिततायें

५६६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 13

श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(१) क्या यह सही है कि सरपंच श्यामगढ़ ने १६०० वर्ग गज भूमि वा अवैधानिक रूप से गणपतलाल बंजारा के नाम सिर्फ ३१ रु० में पट्टा तकसीम कर दिया, जिस पर सन् ६१-६२ की ऑडिट रिपोर्ट में भारी एतराज व पट्टा खारिज के स्पष्ट निर्देशन हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि दिनांक २८-२-६३ को पंचायत समिति कुचामन के स्थगन आदेश के बावजूद भी सरपंच ने अनाधिकृत तामीर बनाने से नहीं रोका ?

(३) क्या यह सही है कि दिनांक ३-३-६३ को तहसीलदार नावां ने शिकायतकर्ताओं को बिना इत्तला दिये व बिना बयान लिए एक-पक्षीय जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस विषय में शिकायत मुख्य मन्त्री महोदय को पेश होने पर भी सरपंच के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह प्रारम्भिक जांच थी, जिसमें दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक नहीं है।

(४) जी नहीं। सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : शिकायत पट्टे और भूमि विक्रय के बारे में की गई है, सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर चुका हूं अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय हो रही है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : पट्टा केन्सिल किया गया सरकार द्वारा या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं किया गया।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जब कि उसको गैर-कानूनी माना गया तो उसको रोका नहीं और उस पट्टे को आजतक केन्सिल नहीं किया गया इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच तहसीलदार द्वारा करवाई गई थी। जिलाधीश नागौर ने ६-११-६३ को बिना उस पर अपनी राय अंकित किये वह रिपोर्ट भेज दी। हमने उनको वापिस भेज दी है अपनी राय दर्ज करने के लिए। उनकी राय दर्ज होने पर इन्क्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी राय के लिए ११-३-६५ को फिर स्मरण-पत्र भी भेज दिया है, उनकी राय आजाने के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ५६८

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५६६

(श्रीमती लक्ष्मीकुमार चूंडावत के प्रश्न संख्या ५६६ के अंक अंग्रेजी में बोलने पर)

विधिमन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : आप हिन्दी में बोलिये तो जवाब दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने समझा नहीं, इसलिए अंग्रेजी में दोहराया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी समझे नहीं, इसलिये दोहराया।

हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन

५६६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, हिन्दी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग प्रसार आदि के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

(२) विभिन्न राजकीय विभागों में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों को जो अब तक अंग्रेजी में छपे होते थे, हिन्दी में प्रचलित करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जयपुर के अजायबघर तथा राज्य के अन्य अजायबघरों में भी जो वस्तुओं का परिचय दिया हुआ है वह अंग्रेजी भाषा में ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका परिचय शीघ्रति-शीघ्र हिन्दी में लिखवाने के लिए कार्यवाही करेगी ?

(४) राज्य के विभिन्न विभागों के नाम जहां जहां अंग्रेजी में लिखे हुए हैं उनको हिन्दी में लिखवाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

हिन्दी मंत्री, (श्री मथुरादास माथुर) (१) राज्य के १६ विभागों में सम्पूर्ण राजकाज हिन्दी में करने के आदेश तारीख १७ मई, सन् १६६१ को प्रचारित कर दिये गये थे और उसके अनुसार इन विभागों का अधिकतर काम हिन्दी में हो रहा है। तारीख २६ जनवरी, सन् १६६५ से सब विभागों को जो काम तत्काल हिन्दी में हो सकता हो उसके करने के लिए आदेश दिये गये हैं और शेष काम के लिए भी राज्य सरकार ने आज्ञा जारी की है कि तीन वर्ष के अन्दर अंग्रेजी से हिन्दी का प्रत्यावर्त्तन सम्पूर्ण कर लिया जावे।

(२) २६-१-६५ से एक शासन सचिव की देखरेख में हिन्दी विभाग खोला गया है।

(३) राजकाज में नित्य प्रति उपयोग में आने वाले पदनाम, वाक्यांश और शब्दों की एक छोटी सूची तारीख २६-१-६५ को प्रकाशित कर दी गई थी और दूसरी

(श्री मथुरादास माथुर)

शब्दावली प्रकाशन के लिए तैयार की जा रही है।

(४) हिन्दी के विद्वानों, प्रशासन के जानकारों आदि की कोष समिति नियुक्त की गई है जिसका काम शासन द्वारा प्रकाशित होने वाली शब्दावली की पूर्व परीक्षा करने और उनको उचित रूप देना है।

(५) मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों साहित्यिकों और प्रकाशकों की मिली-जुली हिन्दी सलाहकार समिति नियुक्त की गई है जिसमें माननीय सदस्या भी, जिन्होंने प्रश्न पूछा, हैं।

(६) सचिवालय में शीघ्रलिपिकों और टंकणों के प्रशिक्षण के लिए कोर्स जारी कर दिये हैं।

(७) अंग्रेजी टंक यन्त्र धीरे धीरे वापिस लेकर उनके स्थान पर हिन्दी टंक यन्त्र दिये जा रहे हैं।

(८) यह भी आदेश जारी कर दिया गया है कि भविष्य में सरकारी कारोबार के विषय में होने वाली समितियों, परिषदों, मंडलों और विचार गोष्ठियों के कार्य-विवरण और इस प्रकार के सम्मेलनों में होने वाले उद्घाटन और समापन भाषण हिन्दी में ही हों।

(९) सब विभागों के राज्य कार्य को तीन वर्ष में हिन्दी में कर डालने के लिए सारे राज्यकार्य का पर्वण (फेजिंग) किया जा रहा है जिसके अनुसार भविष्य में प्रशासन के हिन्दीकरण का काम योजनाबद्ध तरीके पर बढ़ाया जायेगा।

(२) राजाज्ञा दिनांक ७ फरवरी, १९६५ द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि भविष्य में विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किया जाने वाले फॉर्म हिन्दी में ही छपवाये जावें।

(३) जयपुर के अजायबघर में प्रदर्शित वस्तुओं के नाम कुछ गेलरियों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं जहां अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में नाम हैं उनको भी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में करने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य के अन्य अजायबघरों में नाम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखवाये गये हैं। यदि कहीं अभी तक इन दोनों भाषाओं में नाम नहीं लिखे जा सकते हैं तो ऐसा होने की तुरन्त व्यवस्था की जा रही है। दोनों भाषाओं में नाम रखा जाना इसलिए आवश्यक समझा गया है कि अजायबघरों में विदेशी लोग भी देखने आते हैं।

(४) राज्य के विभिन्न विभागों के नामपट्ट हिन्दी में लिखे जाने बाबत राज्यादेश १० मार्च, १९६५ को ही जारी कर दिया गया था। इस राजाज्ञा का पालन हो भी रहा है। यदि कहीं नहीं हो रहा है तो वहां पर राज्यादेश के पालन की फौरन व्यवस्था की जावेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : टंकण यंत्र का इंग्लिश इक्विवेलेन्ट क्या है ?

Page No 16

श्री मथुरादास माथुर : खटाखट यन्त्र कह लीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : टपाटप भी है।

श्री मथुरादास माथुर : तो हम आपके टपाटप का ध्यान रक्खेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : खड़ाखड़ है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो मशीन तुम्हारी खराब हो जाती है उसके लिए ठीक रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मशीन तो आपकी खराब हो रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मजाक का जवाब मजाक में दिया करो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह क्या कहा गया फेज़िंग ? यह अंग्रेजी में क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर : इसको हिन्दी में मान लिया हमने।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसका हिन्दी शब्द क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : पर्वण आपकी समझ में नहीं आता, इसलिये तो फेज़िंग कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

श्री उगमचन्द : नाम-पट्ट।

श्री मथुरादास माथुर : साइन बोर्ड।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) राजपत्र में हिन्दी की उचित व्यवस्था नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : राजपत्र में तो हिन्दी की ही व्यवस्था ज्यादा है। इसके लिये राजाज्ञा जारी कर दी गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिन्दी के सरलीकरण के लिये क्या कर रहे है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये एक समिति नियुक्त की है जो शब्दकोष बनावेगी और सरलीकरण का भी साथ साथ ही ध्यान रक्खेगी; पर सरलीकरण के माने यह नहीं कि मतलब ही खफ्त हो जावे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आपके ऑर्डर जारी होने के बाद भी विभागीय रिपोर्ट अंग्रेजी में निकल रही है, यह क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर : कहीं ऐसा होगा तो फिर से आदेश जारी करके उसे दुरुस्त किया जावेगा।

श्री हीराभाई : आपकी तरफ से भी अधिकारियों को अंग्रेजी में आदेश जाते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारी तरफ से भी आदेश जाने को मना कर दिया गया है इसलिये भविष्य में नहीं जावेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका पूर्ण हिन्दीकरण कब तक हो जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : शीघ्र ही।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या यह सही है कि हिन्दी के स्टेनों की कमी है ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके उत्तर में कहा है कि ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्टेनो को हिन्दी में क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : शीघ्रलिपि लेखक।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : डेवलपमेन्ट विभाग से पंचायतों और पंचायत समितियों को जो साहित्य भेजा जाता है और जो विभाग की ओर से आदेश निकाले जाते हैं अथवा सर्क्यूलर जाते हैं वे सब हिन्दी में ही निकलें, क्या ऐसा आदेश भी दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : रेवेन्यू और पंचायतों के हिन्दी में ही निकलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में अधिक प्रश्न होने लगेंगे तो अंग्रेजी में आने लगेंगे।

श्री हीराभाई : कोनसा काम ऐसा है जिसमें आपको कठिनाई है और जिसके कारण हिन्दीकरण को तीन साल आगे बढ़ा रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ऐसा उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : हिन्दी के लिये बहुत कुछ किया गया, इसके लिये तो धन्यवाद देती हूं; पर क्या मन्त्री महोदयों ने हिन्दी में हस्ताक्षर करने शुरू किये हैं कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने स्वयं सिवाय बैंक चैक्स, ड्राफ्ट्स वगैरह को छोड़कर हिन्दी में करने शुरू किये हैं। बैंक वाले अभी तक नहीं मानते हैं। बाकी सब जगह प्रयत्न हिन्दी में करने के कर रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हिन्दी में बैंक में हस्ताक्षर स्वीकार क्यों नहीं हो सकते ?

श्री मथुरादास माथुर : राइटिंग साफ साफ मानते हैं न।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हिन्दी के लिये एडवाइजरी कमेटी बनाई, उसमें हिन्दी के जानने वालों को बहुत कम रखा है, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : एडवाइजरी कमेटी नहीं, सलाहकार समिति।

(विराम)

श्री मुरलीधर व्यास।

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कमेटी के सदस्यों के नाम बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्नकर्त्ता का नाम है, मैंने कहा न।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और ? वे तो हिन्दी में कम बोलती हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : काफी विद्वान् लोगों को रक्खा है जो हिन्दी में धुरन्धर हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे धुरन्धर दिव्य मूर्तियां कौनसी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये समय दीजिये। नाम मेरे पास इस वक्त नहीं हैं। वे नाम राजपत्र में भी छपेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण व्यास व्यास सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह ।

ग्राम पंचायत रटलाई के भूतपूर्व सरपंच द्वारा अवैध कार्य

५७५. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायतों के चुनाव हो जाने व चुनाव परिणाम घोषित कर देने के बाद परन्तु चार्ज सम्भलाने के पहले क्या पुरानी पंचायत या उसका सरपंच अगले साल के लिये उस पंचायत की ओर से ठेके दे सकते हैं या अन्य किसी प्रकार के दायित्व ले सकते हैं जिनका कि उत्तरदायित्व आने वाली नई पंचायतों पर पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई के भूतपूर्व सरपंच श्री रामनारायण द्वारा चुनाव हार जाने के बाद दिनांक १५–१–६५ को सस्ते भाव पर अनेकों व्यक्तियों को जमीनें बेची गई हैं, पंचायत के गैस व लालटेन् नीलाम किये गये हैं व पंचायत में लगने वाले हाट व मेलों को आने वाले साल के लिए अपने आदमियों को ठेके पर दिलवा दिये गये हैं ?

(३) क्या उक्त प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) आवश्यक कार्यवाही चालू है।

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन यह है कि पंचायत का चुनाव हो चुका और पंचायत नई चुन ली गई तो क्या पूर्व पंचायत को नई पंचायत चुन लेने के बाद में किसी चीज को बेचने-फरोख्त करने का अधिकार रह जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इसका उत्तर 'जी हां' में दिया है ।

श्री जुझारसिंह : एक तारीख को चुनाव हो गये, १५ तारीख को नीलाम किया है; क्या यह कायदे से उचित है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सब १५-१-६५ तक नीलाम हो चुका था और सरकार की विज्ञप्ति के द्वारा नई निर्वाचित पंचायत ने २१-१-६५ से कार्य आरम्भ किया इसलिए जो कुछ भी किया गया इससे पूर्व वह करने का भूतपूर्व पंचायत को हक था जैसे कि इस सदन के आये हुए माननीय सदस्यों के चुने हुए होते हुए भी १९५७ में पूर्व सदस्यों ने कुछ कानून बनाये थे । अब यह अलग प्रश्न है कि जो काम किये गये वे कानून के तहत किये गये हैं अथवा विपरीत तो इसकी जांच की कार्यवाही की जावेगी। प्रिलिमिनरी जांच कलेक्टर के पास होने पर जो रिपोर्ट हमारे पास आवेगी तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जिन चीजों का नीलाम करवाया और जिस नीलामी बोली पर वे चीजें बेची हैं उसके अलावा दूसरे आदमियों ने ज्यादा बोली लगाई थी उनको न देकर अपने ही इन्टरेस्टेड आदमियों को बेचा है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने गैसेज के बारे में पूछा है, प्लॉट्स के बारे में पूछा है और मेले की दुकानों के बारे में पूछा है । इन तीन चीजों के बारे में पूछा है । जहां तक प्लॉट्स का आपने पूछा उसमें पहले नीलामी बोली १७५ की आई थी २५-१०-६४ को और फिर जिसने हाइएस्ट बिड लगाई, उसने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया । उसके बाद में दूसरी नीलामी १४-१-६५ को हुई और उसमें भी उसी पहले वाली पार्टी ने बोली लगाई, उसने फिर हस्ताक्षर नहीं किये और इस तरह से तीसरी बोली १५-१-६५ को आई जो कन्हैयालाल जी महाजन ने ६७ रुपये की लगाई और वह प्लॉट उनको बेच दिया गया ।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बोली मुतवातिर कम होती जा रही है और एक ही चीज की ३ बार नीलामी की जाती है तो क्या यह आब्जर्वेशन नहीं मानते कि बैड इन्टेन्शन है ६७ रुपये में बेच दिया जब कि बोली ज्यादा की लग रही थी । इसके अलावा कुछ चीजें पंचायतों के काम आने वाली थीं जैसे गैसज वगैरह तो इनको बेचने की क्या जरूरत थी ? यह दूसरी पंचायतों को भी जरूरत पड़ती है ।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश ने प्रारम्भिक जांच कर ली है और अपेरेन्टली ऐसा दिखता है कि उनके दो पंचायतों के चार्ज देने के पहले उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था । मगर कानून के खिलाफ कुछ किया है तो जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है सिर्फ फेक्चुअल रिपोर्ट जरूर आई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कानून के नीचे इन्क्वायरी ऑफिसर अपोइंट करेंगे और इन्क्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देगा उसमें देखते हैं कि वह क्या कहता है और फिर अगली पार्टी को भी अपोर्चुनिटी देनी होती है उसमें वह क्या कन्टेस्ट करता है उसमें अगर यह पाया गया

(श्री परसराम मदेरणा)

कि उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

५६७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६६० में पाली जिले में अमेरिका की फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से सघन खेती चालू की गई थी और ३ वर्षों में उस पर ६० लाख रुपये से अधिक खर्च किये जा चुके हैं।

(२) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत ८० हजार किसान परिवारों में १५ प्रतिशत को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि प्रणाली से ५ वर्ष में प्रशिक्षित करना था मगर वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ?

(३) क्या यह सही है कि पाली जिले के चयन को बदलने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन कई बार कह चुकी है ?

(४) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकार को कहा है कि वहां पर न्यूनतम सिंचाई साधन भी उपलब्ध नहीं हैं, मगर राज्य सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उपेक्षा के बाद सिरोही जिले के ३ विकास खण्डों में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

उत्तर

(१) यह ठीक है कि सघन कार्यक्रम पाली में सन् १६६० में चालू हुआ। प्रारम्भ के तीन वर्षों में ६० लाख रुपये से कुछ कम खर्चा हुआ है।

(२) हमारा लक्ष्य ६५ प्रतिशत किसान परिवारों को ५ वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लाना था। सन् ६४-६५ तक ३६ प्रतिशत परिवार इस योजना के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं।

(३) जी नहीं।

(४) पाली में जो सिंचाई के साधन हैं वे सबको मालूम थे। इस जिले का। सघन खेती के लिये चयन मिलेट की पैदावार के आधार पर हुआ था, केन्द्रीय सरकार की

(श्री कृषि मंत्री)

तरफ से एक बार ऐसा विचार व्यक्त किया गया था और उस पर उनका ध्यान इस ओर आकृषित किया गया कि इस जिले के चयन का आधार मिलेट प्रोडेक्शन था। यह बात फिर मान ली गई।

(५) उपेक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सिरोही से पाली को मिलने वाली ४ पंचायतों को सघन खेती कार्यक्रम में राज्य सरकार ने उस क्षेत्र के कृषि उपयोगिता पर ध्यान रखते हुए शामिल किया गया है।

तहसील सिकराय में आयुर्वेदिक औषधालय

५६८. श्री लछमणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के आधारों के अनुसार तहसील सिकराय क्षेत्र में पूरे औषधालय हैं यदि हैं, तो कितने हैं और यदि नहीं हैं, तो क्यों, और भविष्य के लिये इस संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

जी हां। तहसील सिकराय औषधालय खोले जाने के आधारों के अनुसार वहां ५ औषधालय होने चाहिए परन्तु वहां नौ औषधालय हैं।

यात्रा भत्ता

५७०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, माइन्स श्री सेठी ने अप्रेल, ५३ में डाबड़ा से देहली सैकन्ड क्लास में यात्रा करके प्रथम श्रेणी का किराया लिया ? यदि हां, तो फिर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं, श्री सेठी ने सरकार से ऐसा कोई किराया वसूल नहीं किया।

टोंक जिले में विदेशी गेहूँ व चीनी का वितरण

५७२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक जिले में सन् ६३–६४ में कितनी बोरी विदेशी गेहू व कितनी बोरी दानेदार चीनी की मिली है ? हर माह के आंकड़ों की सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) जिले के कोटे से तहसील निवाई को हर माह कितनी बोरी गेहूं व कितनी बोरी दानेदार चीनी की दी गई ? महीनेवार सूची सदन की मेज पर रखें !

(३) क्या यह सही है कि जिले की अन्य तहसीलों के मुकाबिले निवाई तहसील को गेहूं व चीनी का कोटा कम दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अप्रेल सन् १९६३ से मार्च,६४ तक ७४३१ बोरी विदेशी गेहूं व १३,३७५

(श्री खाद्य मंत्री)

चोरी चीनी दी गई है। वांछित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(३) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

पेड़ों की कटाई

५७३. श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गलूंडिया मगरा चित्तौड़गढ़ काफी अर्से से कटने से रुका हुआ है और उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। यदि हां, तो कितने अर्से से वह नहीं काटा गया है ? अब वह कब कटेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, किन्तु इस वन खण्ड में बड़े-बड़े पेड़ नहीं हैं। कर्मकरण योजना के अनुसार यह जंगल १६७१–७२ में कटाया जावेगा।

जालोर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

५७७. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जालोर जिले की तहसील आहोर के ग्राम भंवराणी, सराणा, रायथल पांनवा, कोटड़ा, सैगाड़ी, संखावाली, निवला, राखी आदि गांवों में उदयपुर वाले घाटों की तरफ से आनेवाला वरसाती पानी खेतों में फैल जाता था और उससे हजारों मन गेहूं सेवज पकते थे ?

(२) क्या यह सही है कि इस पानी के बहाव और खेतों के बीच कतिपय बांधों और सड़कों के निर्मित होने से पानी खेतों में नहीं पहुंचा पाता है और इस कारण खेती में बहुत नुकसान होने लगा है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र का सर्वे करा कर नालों द्वारा इस पानी को खेतों तक पहुंचाने की योजना बनाने का विचार रखती है ताकि खेतों को भविष्य में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास, जालोर द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है।

सी० टी० एस० की बसें

५७८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(१) शहर जयपुर में कुल कितनी सी.टी. एस. बसें चलती है और वे कौन कौन से सन् के मोडल की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन बसों में से कितनी की हालत अच्छी नहीं है जिसमें सवारियां आराम से नहीं बैठ सकतीं ? क्या इसकी समय समय पर जांच कराई जाती है ?

(३) इसका किराया सरकार के द्वारा तय किया जाता है या कम्पनी द्वारा ? क्या सरकार इस किराये को ज्यादा नहीं समझती है ?

(४) इन बसों से गत दो सालों में कितने एक्सीडेन्ट हुए और उनमें कितने व्यक्ति मरे ?

(५) एक्सडेन्ट्स में से कितनों के चालान पेश किये ? जिनमें से कितनों में सजाएं दी गई ?

उत्तर

(१) जयपुर क्षेत्र में कुल १६ सी० टी० एस० बसें चल रही हैं जिनकी सूची मय मोडल के संलग्न है।

(२) इन बसों में से २ गाड़ियों की हालत अच्छी नहीं है। जी हां।

(३) किराया राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है कम्पनी द्वारा नहीं। सरकार इस किराये को वाजिब समझती है।

(४) (क) सन् १९६३ में जयपुर नगर से सी० टी०एस० बसों से ७ एक्सीडेन्ट हुये जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं मरा।

(ख) सन् १९६४ में जयपुर नगर में सी०टी० एस० बसों से २ एक्सीडेन्ट हुये जिसमें केवल १ व्यक्ति मरा। ये दुर्घटनाएं मोटर चालकों की गफलत एवं लापरवाही के कारण हुई।

(५) सन् १९६३ में ७ केस पंजीबद्ध हुए थे जिनमें से १ अदम वकुआ गया, ६ चालान किये गये, जिनमें से २ को सजा तथा ४ केस अदालत में विचाराधीन है सन् १९६४ में दो केस पंजीबद्ध हुए थे जिनका चालान किया गया जो अदालत में विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

औद्योगिक प्रशिक्षण सर्वेयर ट्रेनिंग की व्यवस्था

५८१. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण सर्वेयर ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है तथा किस २ स्थान पर है ?

(२) कोटा में इस ट्रेनिंग की व्यवस्था कब से चालू की गई थी तथा अब तक कितने

(श्री भैरवलाल, कालाबादल)

छात्रों को प्रशिक्षित किया गया तथा इस समय कुल कितने छात्र औद्योगिक प्रशिक्षण पा रहे हैं ? इस ट्रेनिंग सेंटर का वार्षिक कितना खर्चा होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त ट्रेनिंग पाने वाले छात्रों को ट्रेनिंग पा लेने के बाद किस उपयोग में लिया जाता है ?

उत्तर

(१) सर्वेयर ट्रेनिंग की व्यवस्था कोटा में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में है।

(२) कोटा में इस ट्रेनिंग की व्यवस्था सन् १९५९ से चालू की गई थी तथा अब तक (जनवरी, १९६५ के अन्त तक) १०८ छात्रों को सर्वेयर व्यवसाय (ट्रेड) में प्रशिक्षण दिया गया है। इस समय दिनांक १ फरवरी, १९६५ से प्रारम्भ होने वाले सत्र में २६ छात्र (९ सीनियर ग्रुप में तथा १७ जुनियर ग्रुप में) सर्वेयर ट्रेड में प्रशिक्षण पा रहे हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र का विभिन्न ९ व्यवसायों (ट्रेड्स) में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों पर पिछले तीन वर्षों में खर्चा (प्लान व नॉन प्लान) निम्न प्रकार रहा है :

सन् १९६१-६२	रु० २,११,०८०
सन् १९६२-६३	रु० २,२७,८२०
सन् १९६३-६४	रु० १,४५,९८०

(३) प्रशिक्षण पाने के बाद उत्तीर्ण छात्रों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा नगर विकास परिषदों में तथा अन्य संस्थाओं में काम मिल जाता है। इन्हीं विभागों में सर्वेयर की आवश्यकता होती है।

रामसागर ग्राम सेवा सहकारी समिति

५८२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग बताने की कृपा करेंगे :- -

(१) सीकर जिले में पंचायत समिति, श्री माधोपुर के अन्तर्गत रामसागर वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कब हुआ था ?

(२) समिति का ऑडिट कब हुआ तथा किस व्यक्ति ने ऑडिट किया ? ऑडिट की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि समिति में ऋण के सम्बन्ध में गबन एवं भ्रष्टाचार की सूचना ऑडिटर ने विभाग को प्रस्तुत की ? यदि हां, तो यह सूचना सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय पर कब पहुंची ?

(४) गबन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रार ने कितनी बार पंचायत समिति श्री माधोपुर क्षेत्र का दौरा किया तथा इस गबन की जांच पर उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) सीकर जिले में पंचायत समिति श्री माधोपुर के अन्तर्गत रामसागर ग्राम

(श्री सहकारी मंत्री,)

सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का गठन दिनांक ३०-५-५६ को हुआ था।

(२) समिति के सदस्यों की तलिका तथा निवास स्थान की तालिका परिशिष्ट 'क' सदन'की मेज पर रख दी गई है।

(३) उक्त समिति को निम्न प्रकार ऋण दिया गया :—

क्रमांक	दिनांक	रकम	किस्म कर्जा
(ख)	६-८-५६	११८००)	अल्पकालीन
(ग)	५-२-६०	१०३५०)	,,
(घ)	१-६-६२	६६००)	,,
(च)	१२-१०-६४	५७२५)	,,
(छ)	२६-१०-६१	५०००)	मध्यकालीन

ऋण के आवेदन-कर्त्ताओं की सूची परिशिष्ट ख, ग, घ, च, छ पर दी गई है। जिस २ आवेदनकर्ता ने आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये वें परिशिष्ट-सूची 'ग' के कालम तीन में अंकित है।

(४) समिति का कर्ज १९६२-६३ का ऑडिट दिनांक २-१०-६३ को श्री बदलुराम ऑडिटर द्वारा हुआ। प्रति संलग्न परिशिष्ट पर अंकित है।

(५) जी हां, यह सही है कि समिति के सम्बन्ध में गबन की सूचना ऑडिटर ने विभाग को प्रस्तुत की। यह सूचना सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक १५-७-६३ को प्राप्त हुई। भ्रष्टाचार की रिपोर्ट ऑडिटर द्वारा नहीं की गई।

(६) गबन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रार ने २६ बार पंचायत समिति श्री माधोपुर का दौरा किया। इस गबन व भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की जांच पर यह पाया गया कि असदस्यों को भी ऋण वितरण गलत तरीके से दिया जाकर अनियमितता बरती गई। ऋण वसूल किया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ के प्रधान का चुनाव

५८३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)- क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) के प्रधान श्री कान्तिचन्द्र को सिविल जज, अलवर ने एक केस में प्रधान पद से अपदस्थ कर दिया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सिविल जज के फैसले को हाई कोर्ट ने भी मान्यता दे दी ?

(३) क्या यह सही है कि श्री कान्तिचन्द्र ने हाई कोर्ट के फैसले को सुन कर प्रधान पद से स्तीफा दे दिया ?

(४) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रधान का पद रिक्त होने पर पुनः चुनाव हुआ और श्री कान्तिचन्द्र हाई कोर्ट के फैसले

(श्री नत्थीसिंह)

के अनुसार अयोग्य साबित होने पर भी फिर खड़े हो गये और प्रधान चुन लिये गये ?

(५) क्या यह तमाम कार्यवाही अनियमित नहीं है ? अगर अनियमित है तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। ऐसा निर्णय सिविल जज द्वारा २४-९-६३ को किया गया था।

(२) हाई कोर्ट ने अयोग्यता के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया न विचार व्यक्त किये।

(३) जी हां।

(४) जी हां। हाई कोर्ट ने अयोग्यता के प्रश्न पर विचार नहीं किया जिससे श्री कान्तिचन्द्र द्वारा फिर चुनाव में भाग लिया गया था और पुनः निर्वाचित हुए।

(५) जी नहीं। कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होने से जांच की आवश्यकता नहीं है।

मकानों के लिए प्लाटों की बिक्री ग्राम बिनोता

५८६. श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बिनोता, तहसील निम्बाहेड़ा ने सन् १९६३-६४ तथा ६४-६५ में रिहायशी मकानात के लिये कई प्लॉट कीमतन बेचे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने कितनी दर पर बेचे तथा उसकी रकम कहां जमा है ?

(२) क्या उसमें से कुछ राशि उपयोग मे लाई गई है ? यदि हां, तो कितनी और पंचायत के पास कितनी अभी जमा है ?

उत्तर

(१) कुल ६५ प्लॉट विभिन्न दरों पर बेचे गये। रकम पंचायत रोकड़ में जमा रही।

(२) लगभग सभी रकम उपयोग में ली गई व रोकड़ में ११) रु० बाकी हैं।

कृषि सहकारी समिति किशनवास को ऋण व अनुदान तथा उसकी वसूली

५८७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गोविन्दगढ़ पंचायत समिति (अलवर) क्षेत्र में किशनवास कृषि सहकारी समिति को कितना अनुदान व ऋण मिला है ?

(२) क्या यह सही है कि यह धनराशि पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूल हो रही है ? अगर हां, तो कब तक वसूल हो जावेगी ?

(श्री नत्थीसिंह)

(३) क्या यह भी सही है कि किशनवास संयुक्त सहकारी समिति की श्री तुलसीराम डिप्टी रजिस्ट्रार व अन्य सम्बन्धी अधिकारियों ने जांच की थी ? अगर हां, तो जांच का रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

(१) गोविन्दगढ़ पंचायत समिति, अलवर क्षेत्र में किशनवास कृषि सहकारी समिति को वर्ष १९५९-६० में १०,०००) रु० का अनुदान पंचायत समिति से मिला, ऋण कुछ भी नहीं मिला है ।

(२) जी हां, पंचायत समिति ने उक्त राशि को पी. डी. आर. एक्ट के तहत वसूल करने के लिये जिलाधीश, अलवर को लिखा । जिलाधीश ने वसूली के लिये समिति को नोटिस दिया । सहकारी समिति के उत्तर पर जिलाधीश ने विकास अधिकारी की टिप्पणी मांगी है । कब तक वसूली हो जायेगी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता ।

(३) जी हां, श्री तुलसीराम उप-रजिस्ट्रार द्वारा जांच की गई थी । जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आत्म हत्या के मामले

३२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में गत तीन वर्षों में आत्म-हत्या के कितने केस हुए ?

(२) मरने वालों में कितनी औरतें और कितने पुरुष तथा कितने नाबालिग थे ?

(३) आत्म-हत्याओं के मुख्य कारण क्या रहे हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान में १९६२-६३ एवं १९६४ में कुल ९१८ व्यक्तियों ने आत्म हत्या की ।

(२) मरने वालों में ३८२ पुरुष थे जिनमें ४१ नाबालिग थे एवं ५३६ स्त्रियां थीं जिनमें २९ नाबालिग थीं ।

(३) इन आत्म हत्याओं के मुख्य कारण गृह कलह, लम्बी बीमारी, आर्थिक कठिनाइयां, पागलपन, परीक्षा में असफलता, प्रेम में असफलता इत्यादि हैं ।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेड़ा

३३. श्री अ[illegible]खां (निम्बाहेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 28

(श्री अब्दुलजब्बारखां)

(१) निम्बाहेड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की सदस्य संख्या कितनी है ? शेयर मनी कितनी है तथा उसे कितना अनुदान दिया गया है ?

(२) इस समिति के ऑफिस बियरर्स कितने हैं और उन्हें क्या क्या वेतन दिया जाता है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति की सदस्य संख्या ८८ है । शेयर मनी ४३२०) रु० है तथा उसे १२५०) रु० व्यवस्थापकीय व २५००) रु० गोदाम निर्माणार्थ अनुदान दिया गया ।

(२) इस समिति के ऑफिस बियरर्स में केवल अध्यक्ष हैं । इनको वेतन नहीं दिया जाता ।

हरिजन श्रमिक सहकारी समितियां

३४. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितनी हरिजन श्रमिक सहकारी समितियां है और वे कहां कहां हैं ?

(२) राज्य में हरिजन श्रमिक सहकारी समितियों को क्या क्या सहूलियतें दे रखी हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान में ४३ हरिजन श्रमिक सहकारी समितियां हैं । सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(२) राज्य में हरिजन श्रमिक सहकारी समितियों को अन्य श्रमिक ठेका सहकारी समितियों की भांति निम्न सहूलियतें दे रखी है :—

(१) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ४०७-५८ फा० ६(७) एफ० डी० (ए) रूल्स । ५८ दिनांक २ जुलाई, १९५८ के अन्तर्गत श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को १ लाख रुपये की अनुमानित लागत तक के कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं, किन्तु शर्त यह है कि :—

(अ) समिति द्वारा दिया गया टेण्डर अन्य न्यूनतम स्वीकृत टेण्डर से ५ प्रतिशत अधिक न हो ।

(ब) समिति ने अपने क्षेत्र में या राज्य में संतोषप्रद कार्य किया हो ।

(स) समिति की वित्तीय स्थिति शुद्ध हो, तथा उसके पास तकनीकी व्यक्ति, प्रबन्ध क्षमता तथा अनुभवी कार्यकर्त्ता हों ।

(द) समिति के ७५ प्रतिशत सदस्य स्वयं श्रमिक हों तथा ये स्वयं कार्य सम्पादन करें ।

(२) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक ४७७२ एफ ६(७) ५८ एफ. डी. ए. रूल्स । ५८ दिनांक

(श्री सहकारी मंत्री)

२-७-५८ के अनुसार श्रमिक ठेका सहकारी समितियों की अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता सिंचाई व जन-निर्माण विभाग (भवन व पथ) बगैर टेण्डर मांगे क्रमशः २०,०००) व २,५००) रु० तक की अनुमानित लागत के कार्य स्वीकार कर सकते हैं। ये समितियां अर्नेस्ट मनी अथवा सिक्योरिटी डिपोजिट कराने से मुक्त होंगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तकावी व अनुदान की रकम का वितरण पंचायत समिति दौसा

३५. श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दौसा पंचायत समिति में सन् १९६३-६४ में किन किन व्यक्तियों को तकावी व अनुदान की रकम किस किस काम के लिये दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या जिन प्रयोजनों के लिये अनुदान की रकमें दी गई थीं वे उसी कार्य में व्यय की जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कुछ एक कार्य छोड़ कर रकम जिस कार्य के लिए दी गई थी उसी में उपयोग में लाई गई है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गिरवा और बड़गांव में ग्राम सेवकों के क्वार्टर्स

३६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गिरवा और बड़गांव पंचायत समिति में ग्राम सेवकों के क्वार्टर्स कहां बनाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे भी कई स्थान हैं जिनकी रकमें स्वीकार हो गई हैं लेकिन वहां ग्राम सेवकों के क्वार्टर्स नहीं बने हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि जगत ग्राम सेवक का क्वार्टर अभी तक नहीं बना है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि जगत ग्राम सेवक के क्वार्टर्स बनाने के लिये विकास खण्ड गिरवा से रकम उठा ली गई है ?

उत्तर

(१) संलग्न सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सात क्वार्टर्स का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

कुम्हेर नर्सरी

३७. **श्री नत्थीलाल** (नदबई) : क्या पंचायत विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति कुम्हेर की नर्सरी पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और कितनी आमदनी हुई है ?

(२) क्या नर्सरी के लिये जो पेड़ खरीदे गये हैं उसका हिसाब सही है ?

उत्तर

(१) कुल खर्चा २०,६०५) रु० का हुआ व ५,०००) रु० की आमदनी हुई है।

(२) जी हां।

(११. ४०. म. पू.)

हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम पूछे थे; उनके नाम मेरे पास आ चुके हैं, आपकी आज्ञा हो तो बता दूं।

माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री,
विधि मंत्री,
हिन्दी विभाग मंत्री
शिक्षा मंत्री
श्री हरिदेव जोशी
श्री जनार्दनराय नागर
श्री देवीशंकर तिवाड़ी
श्री भैरोंसिंह
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
एडवोकेट जनरल
विधि सचिव
मुख्य सचिव
शिक्षा सचिव
सचिव, हिन्दी विभाग

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : और माननीय उपाध्यक्षजी भी हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मंत्री महोदय ने सूची दी उसमें हिन्दी का कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई टैक्निकल आदमी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो आपको प्रोफेसर समझ कर रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव -

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

अनुदान की मांग

(११. ४२ म पू.)

मांग संख्या २२-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं, मथुरादास माथुर, श्री भीखाभाई जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४४,६८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि जैसा कि कार्यसूची में सकेत किया गया है ४।। बजे मुखबन्ध का प्रयोग कर दिया जायेगा, उस दृष्टि से उसके पहले इस मांग के ऊपर उत्तर आ जाना चाहिए और यह पास हो जानी चाहिए; उस दृष्टि से ३--३।। बजे तक इस पर विवाद हो जाये और उसके बाद सरकारी उत्तर होगा । तो मैं माननीय सदस्यों से इस सहयोग की प्रार्थना करूंगा कि अपने भाषण को १५–२० मिनट से अधिक ले जाने का प्रयत्न न करें ताकि सारी कार्यवाही यथासमय हो ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

मांग संख्या २२

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : (१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास कार्यो में उपेक्षावृति से उत्पन्न गतिरोध पर चर्चा के लिये) ।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : (२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतों को दी जाने वाली विकास रकम के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

(३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के निर्माण कार्य में टेकनिकल योग न मिलने पर चर्चा के लिये) !

(४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को दी जाने वाली धन राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु.) : (५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा में आदिवासी ट्राइबल ब्लॉक खोला जाने पर चर्चा के लिये)।

(६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा में सिचाई के कुए व एनिकटों का निर्माण एवं छोटे तालाबों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये) ।

(७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर पंचायत समिति सराड़ा में आदिवासी ट्राइबल ब्लॉक खोला जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : (८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकेन्द्रीकरण के वर्तमान स्वरूप से ग्रामराज सशक्त नहीं हो सका, इस पर चर्चा के लिये)।

(९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं के बावजूद उत्पादन में कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : (१०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के कर्मचारियों पर दोहरा शासन नहीं होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : (११) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति हिन्डोन के अध्यापकों के साथ अधिकारियों का पक्षपात का व्यवहार रहा है, उस पर चर्चा के लिये) ।

(१२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति हिन्डोन विकास कार्य की रकम निजी कार्य में लेने व कार्य को पूरा न करने पर चर्चा के लिये) ।

(१३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति हिन्डोन विकास कार्यो में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (१४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास तथा स्थानीय विकास कार्य में धन राशि खर्च की, उसका अर्थ नहीं निकलने पाये हैं, सो विकास अधिकार्यों पर अनुशासन कायम रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (१५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में विकास कार्यो में तीव्र गति देने एवं देरी को दूर करने आदि पर - चर्चा के लिए)।

(१६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा विकास कार्यो पर फिजूल खच पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह काला (नाथद्वारा) : (१७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजना में जन-सहयोग प्राप्त नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये)।

(१८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यो में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को अपर्याप्त सहायतार्थ अनुदान देने पर चर्चा के लिये)।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : (१९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को अपर्याप्त सहायतार्थ अनुदान देने पर चर्चा के लिये)।

(२०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास योजनाओं पर किस प्रकार व्यय खर्च किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : (२१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को दी जाने वाली सहायता का विकास के नाम पर फिजूल खर्चे से जनता का वास्तविक विकास नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये)।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : (२२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७--सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास कार्यो की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (२३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के अध्यापकों के वेतन व भत्ता बढ़ाया जाने पर चर्चा के लिये)।

(२४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई गई पाठशालाओं, अध्यापकों के वेतन-भत्ते पर चर्चा के लिये)।

(२५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में विकास के अधूरे कार्य पर चर्चा के लिये)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (२६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ब्लॉक्स की जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) :

(२७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों का वेतन कम होने से पंचायत समितियों के स्कूलों में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): (२८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यों में राजस्थान सरकार की पूर्ण असफलता पर चर्चा के लिये)।

(२९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय .(राजस्थान सरकार द्वारा शैडो ब्लॉक्स की सामुदायिक विकास खण्ड में परिवर्तन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): (३०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विकास कार्यों में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(३१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिये जायं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(सामुदायिक विकास खन्डों को दिये गये अनुदानों में धीगा–धांगी पर चर्चा के लिए)।

(३२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शैडो ब्लॉक्स को पूर्ण विकास खंड में देरी से परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री बालचन्द डांगा (किशनगढ़) : (३३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकाय कार्य में से १००) कम कर दिया जाय (पंचायत समिति किशनगढ़ में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (३४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (सादिकअली कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों को आर्थिक तौर से मजबूत नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

(३५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की सड़कों को दी जाने वाली रकम पर चर्चा के लिये)।

(३६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति को तालाबों के लिये मांगी गई रकम न देने पर चर्चा के लिये)।

(३७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राज्य के प्रीएक्टेशन ब्लॉकों को प्रथम श्रेणी में परिवर्तित करने में देरी पर चर्चा के लिये)।

(३८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को समय पर अनुदान की राशि नहीं पहुँचती, इस पर चर्चा के लिये)।

(३९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा के कर्मचारियों का चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का खुल कर प्रचार करने के लिए छुट्टी लेकर काम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : (४०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदा-

(श्री नाथूराम)

यिक विकास परियोजनायें,- राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समितियों में विकास के कार्यों हेतु दी जाने वाली रकम के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): (४१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से १००) रु. कम कर दिया जाय (जिला जयपुर की पंचायत समिति चाकसू व सांगानेर में सरपंचों द्वारा अनुदान की रकम का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

(४२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लालसोट में विकास कार्यों की रकम का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): (४३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): (४४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विकास कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयलाल (डग): (४५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा किसानों को तकावियां या अन्य ऋण देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): (४६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत बाड़ी तथा कारूंडा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा में गबन पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): (४७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य को नोकरशाही के कन्ट्रोल से मुक्त करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : (४८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जमवा रामगढ़ तहसील में परियोजनाओं में सौतेला व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

(४६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यों में जो रकम खर्च की जाती है उसका दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) : (५०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदयिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सिकराय में किसी भी प्रकार का बिकास नहीं हो पाया है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (मलारना चोर) : (५१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों को समय पर आवश्यकता अनुसार सीमेंट न पहुंचने व वितरण की गलत व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : (५२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ - सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार विकास योजनाओं में पक्षपात करती है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : (५३) माग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को पूरा करवाने संबंधी सरकारी ढिलाई बाबत चर्चा के लिए)।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : (५४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ -सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काफी अर्से से पड़े हुए अधूरे विकास कार्यों पर चर्चा के लिये)।

(५५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यों हेतु दी गई रकम को सही कार्य पर न खर्च किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : (५६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य

(श्री माधोलाल खानपुरिया)

में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छत्रपुरा ट्रेनिंग सेन्टर में घोटाला व अव्यय-वस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु) :) (५७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्य योजनाबद्ध नहीं हो रहा है, उस पर चर्चा के लिये)।

श्री छत्तरसिंह (आहोर) : (५८) मांग सख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ - सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आहोर पंचायत समिति में वित्तीय अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

कु०उमा माथुर (रामगढ़): (५९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७- सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास कार्यो में पर्याप्त जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सकने से उपस्थित समस्या पर चर्चा के लिये)।

(६०) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ - सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा लिए गये निर्णयों को विकास अधिकारी आदि द्वारा समय पर क्रियान्वित नहीं करने की समस्या पर चर्चा के लिये)।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : (६१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिकविकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार योजना के अनुसार विकास कार्य करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(६२) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ - सामदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बेंगू द्वारा बेंगू से नदवाई होकर नाल खेड़ी तक रोड बनाने में ढिलाई की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(६३) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७ - सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में एक लिंगपुरा के घाटे में रोड तथा सेमलपुरा के घाटे को दुरस्त करा, रास्ता बनाने पर चर्चा के लिये)।

(६४) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य

(श्री चौसरसिंह बावेल)

में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बेंगू पंचायत समिति में निर्माण कार्यों के ठेके देने में अनियमिततायें तथा नियमों के उल्लंघन पर चर्चा के लिये)।

(६५) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विकास खण्डों की जीपों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(६६) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास विभाग में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

(६७) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विकास अधिकारियों के वर्षों तक तबादले नहीं करने व उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(६८) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में गबन के मामलों को सरकार द्वारा दबाये जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

(६९) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यह सरकार राजस्थान में स्थानीय विकास कार्यों को पूर्ण रूप से कराने में असफल हुई है, इस पर चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा चुनावों में प्रचार का कार्य किया जाता है, उसकी रोक तथा सख्त एक्शन लेने पर चर्चा के लिये)।

(७१) मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७—सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य में से १००) रु. कम कर दिया जाय (स्थानीय विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास योजनाओं का लक्ष्य आदिम जनजाति, आदिम जाति, विमुक्त जाति और घुमक्कड़ जातियों का आर्थिक विकास करना है। सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय धन, नेशनल एक्सटेन्शन यूनिट, ग्राम विकास,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूरल अपलिफ्ट प्रोग्राम आदि हैं। आदिम जाति, आदिम जन जाति, बिखरी हुई है और समस्त देश के अन्दर काश्मीर से केरल तक और आसाम से राजस्थान तक कई एक बस्तियों में, पहाड़ों में, नदियों के तटों पर बसे हुए हैं। मैं समय के अभाव के कारण आदिम जनजाति के संबंध में अपने जो कुछ भी सुझाव हैं वे रखने की चेष्टा करूंगा। आदिम जनजाति आदिवासी जो कहलाते हैं वे स्वतन्त्रता प्रेमी हैं और एक वीर जाति है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो आदिवासियों का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजाति वालों के नाम से इनकी बस्तियां पहाड़ों के अन्दर स्कैटर्ड और बिखरी हुई हैं। सामुदायिक विकास योजनायें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर प्रारम्भ अलबत्ता हुई थीं, लेकिन इसका काम नगण्य था। शासनारूढ़ दल उस समय में ऐसी स्थिति के अन्दर नहीं था कि इस काम को विशेष विस्तार से चला सके। आपसी कशमकश भी थी। ४ वर्ष के अन्दर ३ मुख्य मंत्री आये और गये। सबसे पहले श्री हीरालाल जी शास्त्री, फिर श्री टीकाराम पालीवाल और फिर श्री जयनारायण जी व्यास आये। अलबत्ता यह कहा जा सकता है उपाध्यक्ष महोदय, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर वास्तविक रूप से इस योजना का प्रारम्भ हुआ। इसका ध्येय समूचे राजस्थान को विकास खण्डों के अन्दर विभाजित करने का है, लेकिन सन् १९५८-५९ के अन्दर विकेन्द्रीकरण योजना जब राज्य के अन्दर आई उसके फलस्वरूप पंचायत समितियों को यह काम सुपुर्द किया गया और २३२ छोटी बड़ी इकाइयों के अन्दर समस्त राज्य को पंचायत समितियों के नाम से विभाजित कर दिया गया। सन् १९६१ में १९० कॉम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९६१ से १९६५ तक इस योजना पर राज्य सरकार ने १४ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। अभी तक आदिवासियों को आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई हो, यह मैं अनुभव नहीं करता। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप आदिवासियों को स्पूनफीडिंग करें, बैठे हुए ही व्यवस्थित ढंग से रुपया दें, अनुदान दें, सबसिडी दें, तो अवश्य दें लेकिन उनको इन्डोलेन्ट न बनायें, उनको सुस्त न बनायें। अगर आप आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन देते हैं और परिश्रमी बनाते हैं तो उनके अन्दर उत्पादन करने की, अपने पैरों के बल खड़े रहने का माद्दा उत्पन्न होगा। कमीशन जो भारत सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है शिड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, उस कमीशन ने इस बात पर स्ट्रेस दिया है, इस बात पर जोर दिया है कि इन आदिवासियों को भूमि के अधिकार पूर्णतया देने चाहिए और भूमि संबंधी अधिकार जो आदिवासियों को दिये जायं, उन अधिकारों को सरकार के द्वारा पूर्ण रूपेण संरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार के द्वारा यह हकूक जो आदिवासियों के हैं इनमें वृद्धि नहीं हुई है, इनमें कमी हुई है। सम्भवतः मेरी विचारधारा और सरकार की विचारधारा विभिन्न हों, लेकिन मैं

[redacted]

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मोटी मोटी बातें सरकार के विचारार्थ सदन के समक्ष रखूंगा।

सरकार ने आदिवासियों के पड़त भूमि प्राप्त करने के अधिकार को भी कम किया है। नोतोड़ भूमि जोतने के सम्बन्ध में सरकार ने नियन्त्रण लगाये और तरह तरह की मन्जूरियां उनको लेनी पड़ती हैं। उनकी भूमि पर अनादिकाल से वे उनकी इच्छा के अनुसार अपने घर बनाते हों, इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कमी की है वह दूसरी जातियों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था भी करें, तो मैं समझता हूं कि ठीक हो सकता है, लेकिन अधिकांश रूपेण आदिवासियों के ऊपर यह नियन्त्रण लगाया गया है तो सर्वथा अवान्छनीय है, इसके अलावा अगर भूमि जोतें, अगर नोतोड़ करें, अगर उस पर मकान बनायें तो सरकार तहसील के द्वारा तरह तरह की पूछताछ करके इसके लिए पेनाल्टी लगाते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी कि यह व्यवस्था किस हद तक वास्तविक रूप के अनुकूल है या प्रतिकूल है।

मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त भी सामुहिक खेती, ग्रामदान, सहकारिता के द्वारा अगर आपको आदिवासियों को रजामन्दी के साथ इस योजना के महत्व को समझा कर लाना है तो मैं समझता हूं कि यह सर्वाधिक हो सकता है, किन्तु हमारे जिले के अन्दर बहुत से आदिवासी इसका महत्व नहीं समझते हैं। उनका डिक्लेरेशन नाम मात्र का उनका अगूंठा लगाकर करवा दिया जाता है और जिसके द्वारा उनके खातेदारी हकुक भी समाप्त हो जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि इस योजना का क्या महत्व है। मै समझता हूं कि इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह का दगा उनसे करना सिर्फ कागजी योजना को सफल बनाने के हेतु ठीक नहीं है। कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा आदिवासियों का हित होता हुआ मैं अनुभव कर सकूं।

दूसरे देशों के अन्दर भी सहकारिता करके उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्य को स्थापित किया गया तो उन देशों में मैं समझता हूं कि खाद्यान्न की समस्या कोई सुधरी नहीं है, किन्तु सरकार आजमाइशी तौर पर अगर ग्रामदान सहकारी खेती की योजना के कार्यान्वित करना चाहते हैं तो वे ढंग से करें। सद्भावनापूर्ण करें, समझाइश के द्वारा करें न कि एकतरफा कार्यवाही करें, लोगों को धोखा देकर करें। इसके परिणामस्वरूप; उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामदान गावों के अन्दर जिन लोगों ने डिक्लेरेशन, यह घोषणा लेकर सरकार को दी कि हम हमारे खातेदारी हकूक ग्राम को देना चाहते है, ग्राम के अन्दर एक खेत बनवा दिया जाय और हम इस व्यवस्था से संतुष्ट है और स्वेच्छा से इस व्यवस्था के अन्तर्गत जाना चाहते है, उन्हीं लोगों ने बार बार कलेक्टर को यह कहा कि समझने के अभाव के कारण, गलतफहमी के कारण उनको जो यह योजना बनाई गई थी वह योजना उनकी इच्छा के प्रतिकूल होने के कारण वह इस योजना को

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अपनाना नहीं चाहते। वह उस योजना के विपरीत जाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के लिए, मैं समझता हूं कि अगर उनकी बस्तियों की भौगोलिक दशाओं को देखा जाय तो आदिवासियों के लिए खाद्यान्न के उत्पादन के लिए आप कूओं की व्यवस्था करें। इसके अलावा आप छोटे गांवई तालाबों की व्यवस्था करें; किन्तु अगर आप बड़े बड़े तालाब बनाना चाहते हैं तो उससे लाभ की अपेक्षा हानि विशेष होने की सम्भावना है। माननीय मंत्रीजी मेरे जिले से ही आते हैं, जिनका सागवाड़ा क्षेत्र है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोडेश्वर नाम का एक बड़ा तालाब बनवाया। वह सुन्दर और रम्य तालाब है, किन्तु सरकार को यह भी देखना चाहिए कि इसमें भूमि कितनी डूबी, कितने लोगों की जमीनें गई, कितने लोगों की रोजी-रोटी गई उसके फलस्वरूप और उनका पुनःस्थापन कराने के लिए क्या व्यवस्था की, और इस तालाब के बांधने से सिंचन के लिए भूमि किस मात्रा के अन्दर सरकार को प्राप्त हुई, जिसके द्वारा लोगों को और सरकार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितनी प्रतिशत हानि हुई?

इसी तरह से कल क्वेश्चन अवर के अन्दर माननीय सदस्य जो कुशलगढ़ से आये हैं उनका भी एक प्रश्न था बांसवाड़े जिले की माही के बान्ध की समस्याओं के सम्बन्ध में। मुझे यह ठीक तौर से जानकारी प्राप्त नहीं है, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम इस योजना के अन्दर आदिवासियों के छोटे-बड़े ५०–६० बल्कि विशेष तौर भी अधिक गांव डूबेंगे। अगर ये गांव डूबेंगे तो सरकार को योजनाबद्ध इस समस्या पर अभी से सोचना चाहिए कि विस्थापित लोगों को कहां स्थापित करना चाहते हैं? किस किस जगह....

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : ८२ गांव।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो ६० ही कह रहा था, लेकिन ८२ छोटे मोटे गांव डूबेंगे। अब ८२ यदि छोटे-मोटे गांव, उपाध्यक्ष महोदय, डूबेंगे तो कई हजार लोग विस्थापित होंगे। उनके लिए भी आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए, और इस बान्ध की योजना से आपको कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, मुआवजे के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से, गहरे रूप से, उदारतापूर्वक विचार करें। यह सामाजवादी लोगों की समस्या नहीं है, यह कांग्रेस की समस्या नहीं है, खैर स्वतन्त्र पार्टी तो दो-ढाई वर्ष से बांसवाड़े जिले में आई है, लेकिन कई दूसरी पार्टियां वहां १५-२० और ३० वर्षों से हैं। यह तो जनता का प्रश्न है। और जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, सभी पक्षों के लोगों ने मुझे कहा कि सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और एक दूसरी योजना उनकी विचारधारा के अनुसार ज्यादा ठीक हो सकती है। मैं नहीं कह सकता कि वह ऑल्टर्नेटिव योजना जो है वह प्रैक्टिकल है, वास्तविक रूप से सफलता प्राप्त कर सकती है, इस हद तक जिस हद तक कि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माही की योजना विचाराधीन है। किन्तु मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि ऑल्टर्नेटिव प्रोजेक्ट कोई एक अनास नदी है उसके ऊपर भी यदि आप ऐसी योजना की व्यवस्था करेंगे तो उसमें कहा जाता है कि २०-२२ गांव ही डूबेंगे और उसके मुकाबले में विस्थापित लोगों को स्थापित करने में आपकी व्यवस्था इतनी कठिन और क्लिष्ट नहीं होगी जितनी कि माही डैम के अन्तर्गत होगी। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में भी विचार करेगी।

शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन का भी यह अभिमत है कि आदिवासियों के क्षेत्रों को देखते हुए वहां छोटे तालाबों और कुओं के द्वारा सिंचन होना चाहिए। मैं आपको निश्चय रूप से यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि यह लोडेश्वर बान्ध की जगह अगर ७-८ बान्ध उसी खर्चे के अन्दर ५-६ गांवों में ही अगर बांधे जाते तो लाभ अधिक होने की सम्भावना थी बनिस्बत इसके कि इस विशाल बान्ध को बान्ध कर सैकड़ों बीघा उर्वरा भूमि नष्ट की गई। आदिवासी जहां रहते हैं वहां उर्वरा भूमि दो पहाड़ों के बीच वालों के अन्दर हुआ करती है। वह भूमि अच्छी और उत्तम है, किन्तु उसकी मिकदार अधिक नहीं होती है।

(१२. मध्यान्ह)

अगर यह डूब जाती है तो फिर उसी तरह की भूमि उपलब्ध होना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी। इस माही डेम, जो बांसवाड़ा के अन्दर सरकार ने स्थापित करने की व्यवस्था करने का विचार किया है, के सम्बन्ध में आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोगों में इससे बड़ी सनसनी है और असंतोष है, रोष भी है। आपको चाहिए कि ऐसी व्यवस्था आप न करें कि जिसके द्वारा लोगों का शोषण और उत्पीड़न बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आदिवासियों के लिए सरकार चाहती है कि वे शक्तिशाली बनें तो मैं समझता हूं पशुधन की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। परन्तु पशुधन के सम्बन्ध में सरकार की नीति उसी प्रकार की है, जैसे "टू पुट दी कार्ट बीफोर दी होर्स"। आप इस समस्या को लेकर विचार करें। जब तक पर्याप्त रूप से चरागाह और बीड़ की व्यवस्था नहीं होती गांवों के अन्दर, तब तक आप इधर खर्च करेंगे तो वह खर्च भी बिलकुल व्यर्थ जायगा, क्योंकि चराई के बिना पशु, जानवर कभी भी संतोषजनक रूप से न तो दूध दे सकते हैं और न वे लोग पूर्णरूपेण उनका लाभ ही उठा सकते हैं। आदिवासी लोग गाय रखने के प्रेमी हैं और वे बकरी और भेड़ भी रखते हैं। इनकी नस्ल को भी आप अच्छा कीजिये। और उसके साथ ही साथ मुर्गी–पालन के विषय में भी उदारता के साथ व्यवस्था कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी मछली–पालन के लिए भी उपयुक्त जाति है और उनको मछली से बहुत प्रेम है। यह खेद का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विषय है कि हमारे जिले के अन्दर तालाबों का ठेका ठेकेदार को दे दिया जाता है। सरकार यदि नये तालाब बनाये और उनका ठेका ठेकेदार को दे तो मुझे आपत्ति नहीं है और सरकार यदि, जो मौजूदा बड़े तालाब हैं जयसमन्द आदि, उनका ठेका ठेकेदार को दे तो भी उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। सरकार को नॉन-टैक्स आमदनी की प्राप्ति हो, इसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन छोटे-छोटे गांवई तालाबों में अगर मछलियों का ठेका दिया जाता है तो अनादि काल से आदिवासियों का हक है मछली मारने का, जब पानी कम हो जाता है गर्मी के दिनों के अन्दर वहां मछली मारते है और बड़े प्रेम और शौक के साथ में वे मछली को खाते हैं। आज ऐसे तालाबों का ठेका सरकार ठेकेदारों को देती है, मैं इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। बधवाचौथ के तालाब का, जहां आदिवासियों का अधिकार अनादि-काल से था, वहां पर वे मछली मारते है, वह भगवती मंदिर का पूजागृह है, वहां भी ठेका दिया और आस-पास की जनता की धार्मिक भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाई। जब १९६२ में आपने ठेका दिया था तब मैंने आपत्ति उठाई थी और मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था। उसके पश्चात् वह तीन चार महीने के लिए ठेका कैंसिल किया। अब फिर से वह ठेका आपने दे दिया है। मेरे ख्याल से आदिवासियों के हक और आदिवासियों की मछली खाने की आदत की समस्या को आप प्राथमिकता दें और उसके पश्चात् यदि बड़े तालाबों में आप ठेका देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके अलावा मैं सरकार को यह निवेदन करूं कि हमारा जिला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला है, उदयपुर जिला है—वहां पर पथरीली जमीन है। आपके नागौर और मारवाड़ के जो पशु हैं, जानवर हैं वे उत्तम हैं किन्तु वहां उनको भी आप लायें, नस्लकशी के लिए सांड को लायें, लेकिन वहां पर लोगों का कहना है कि पथरीली जमीन होने के कारण उन पशुओं के ठोकर लगती है और उनके खुरों को नुकसान होता है जिसके फलस्वरूप गायों का दूध सूखता है और जानवर संतोषजनक रूप से प्रगति नहीं कर सकते। यदि मिक्स्ड ब्रीड के द्वारा व्यवस्था हो तो मुझे आपत्ति नहीं किन्तु उसके साथ-साथ सरकार के द्वारा गिर के मवेशी यदि वहां लाये जायं अजमाइशी तौर पर, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे ख्याल में गिर के मवेशी इस क्षेत्र में विशेष उपयोगी हो सकते हैं।

आदिवासी क्षेत्र के अन्दर मलेरिया, चेचक और नाहरू उन्मूलन होना चाहिए। इसकी व्यवस्था सरकार ने हमारे क्षेत्र में की है, उससे मेरे को संतोष है। लेकिन मैं सरकार को कहता हूं कि यह एक कन्टीन्युइंग प्रासेस में होना चाहिए, आप अपनी योजनाओं को जारी रखिये। अगर आप अपनी योजनाओं को जारी नहीं रखते हैं तो मेरा मत है, फिर से नाहरू होने लगेगा,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

फिर से चेचक होने लगेगी । जहां तक मलेरिया का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कार्य बिल्कुल नगण्य है । वहां पर डी. डी. टी. को छिड़कने की व्यवस्था नहीं है । आदिवासियों के स्वास्थ्य को जितनी हानि होती है वह हानि मलेरिया से होती है । उनको क्रोनिक मलेरिया होने के पश्चात् टी. बी. होती है और रेजिस्टेन्स की शक्ति तरह तरह की बीमारियों से कम होने के कारण वे मलेरिया के शिकार होते हैं । तो इसलिए मलेरिया उन्मूलन अभियान को आपको सुचारु ढंग से वहां पर लागू करना चाहिए ।

सिंचाई के सम्बन्ध में, पशुधन के संबंध में आप बहुत बड़ी धनराशि खर्च करते हैं किन्तु मैं समझता हूं, आप जितना पैसा खर्च करते हैं वह पैसा सदुपयोग में नहीं आता है । दिन-ब-दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और इस सदन के अन्दर भ्रष्टाचार के नाम पर अगर चर्चा भी होती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं तो समझता हूं कि आज के शासन के साथ साथ यह भ्रष्टाचार अनिवार्य वस्तु सी बन गई है किन्तु यह भ्रष्टाचार धीरे धीरे हमारे समाज के लिए राहू और केतु के माफिक है । इस बारे में सरकार को सजगता के साथ कोई न कोई विचार करना चाहिए । सभी शासनों के अन्दर, मैं यह नहीं कहता, कि रिश्वतखोरी और आपाधापी नहीं होती है; यह अन्य देशों में भी है, परन्तु मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार आटे में नमक होता है उसी तरह से है तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार ही कहा जाता है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यहां आटा और नमक एक मिकदार में हैं–ऐसा प्रतीत होता है । इस समस्या के सम्बन्ध में भी जब तक भ्रष्टाचार में कमी नहीं होगी, जब तक आप कड़े कदम इस सम्बन्ध में नहीं लेंगे, जब तक आप रेस्पोन्स नहीं देंगे शिकायतों की तुरन्त कुछ न कुछ व्यवस्था करके उनका हल नहीं निकालेंगे तब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन फॉम बेड टू वर्स, खराब से बदतर होता जायगा और आपकी ये योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं ।

उदाहरण तो कई हैं, लेकिन दो–तीन बातें मैं सिर्फ निवेदन कर देना चाहता हूं । कुछ वर्ष पूर्व दो आदिवासियों को हमारे डूंगरपुर जिले के पनपोड़ा गांव के थे, को तहसील में पांच पांच सौ रुपये मिले, लेकिन वास्तविक रूप से उनको एक कौड़ी भी नहीं मिली, एक नकली रसीद लिख कर तहसील में वह रकम जमा खर्च कर ली गई । इस सम्बन्ध में वे लोग जब हमारे पास आये तो हम लोगों से जो कुछ बन सका उतना सहृदयतापूर्वक कर्मचारियों से निवेदन किया, कोर्ट में एफीडेविट दिया लेकिन परिणाम बिल्कुल जीरो रहा, उनको कुछ भी नहीं मिला ।

एक गांव है हथाई, उसके अन्दर एक मदिरा देवकी है । उस देवकी के अन्दर कुआ बनाने के लिए बारह सौ, पन्द्रह सौ के बीच धनराशि सरपंच को दी गई । वह कुआ बनाया गया, वह श्रमदान से बनाया गया और अनुदान का एक रुपया, एक कौड़ी भी नहीं दी गई और वह सरपंच सारी धनराशि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खा गया। पंचायत समिति डूंगरपुर में मेरे द्वारा यह प्रश्न उठाया गया और इस बारे में दर्यापत करने से साबित हुआ कि मस्टर रोल बिल्कुल नकली बनाये गये थे और जो रुपया कुएं के लिए मंजूर हुआ था वह आदिवासियों को बिल्कुल कतई नहीं दिया गया। यह प्रश्न जब उठाया तो उसके कुछ दिन बाद सरपंच ने थोड़ी बहुत रकम देकर बी० डी० ओ० के सहयोग से इस मामले को रफा-दफा कर दिया और इस केस के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम उठाया हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता।

गये साल, उपाध्यक्ष महोदय, यहां से सीमलवाड़ा पंचायत समिति के अधिकारियों ने दो हज़ार रुपये की मुर्गियां लीं। सीमलवाड़ा पंचायत समिति द्वारा दो हजार रुपये की मुर्गी खरीदी गई, वह आदिवासियों के लिए खरीदी गई थी; लेकिन वह अन्य जातियों के लोगों को मुर्गी दे दी गई और कुछ कर्मचारी भी खा गये और आदिवासियों के पास वे मुर्गी पहुंची हों, ऐसा मुझे तो कभी भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार दो हजार रुपये की मुर्गियां यहां से ले जाईं जाकर पंचायत समिति सीमलवाड़ा में गईं उनका क्या हुआ, इस बारे में सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है कि वह पूछताछ करे, और जब इस तरह के केसेज़ आपके सामने खूबसूरती से आते हैं तो आपको छानबीन करनी चाहिए कि आदिवासियों के लिए मुर्गी गई, उनको खा कौन गया या मर गईं बीमारी से?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): कौनसी पंचायत का जिक्र है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति....

श्री मथुरादास माथुर: डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचायत समिति सीमलवाड़ा में आपने कई हजार रूपये कुएं खोदने के लिये दिये हैं। मैं बाज़ बाज कुओं को जब देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और उसके साथ साथ दुख भी होता है। कुओं में पानी नहीं। कुएं जैसे खड्डे हों और उसमें पानी नहीं और यदि किसी में लघु मात्र पानी है तो लोग उससे लघुशंका करते हैं उस पानी से। बाकी उन कुओं में जो नाम मात्र के कूएं हैं, पानी नाम मात्र भी नहीं। वे कुएं क्या हैं दो तीन फुट के खड्डे हैं। उनको कहा जाता है कि ये कुएं हैं। इतना ही नहीं जब कहा जाता है तो आस-पास में जो कुआ है उस कुएं का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दे कर यह कहा जाता है कि यह कुआ कम्प्लीट है। कुछ २००), ४००) रु० खर्च कर दिये जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में कितने कुए खोदे गये, इसके लिये सरकार को पता लगाना चाहिये।

इसके अलावा अनुदान रहट और कुओं के लिये या बैलों की खरीद आदि के लिये दिये जाते हैं उनमें यह देखा गया है कि जहां

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पर १००) रु० अनुदान के होते हैं वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ८०) रु० मिलते हैं और ज्यादा से ज्यादा ६०) रु० मिलते होंगे ।

एक माननीय सदस्य : ६०) रु० मिलते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और बीच में आपाधापी में लोग खा जाते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसींद) : ये सुनी-सुनाई बातें हैं

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, किसको दिये, यह तो आपको बताना चाहिये । आपने सभी पंचायत समितियों को बेईमान बता दिया । माननीय सदस्य ने किसी गांव का नाम नहीं बताया और यह कह गये कि कूओं के बारे में पंचायत समिति को पैसे दिये गये और कुए नहीं खुदे और खड्डे दो-दो, तीन-तीन फीट के खोदे गये । उनसे पानी से लोग लघुशंका करते हैं । समझ में नहीं आता कि यह कौनसे रावण की लघुशंका हो जाती होगी । आपने एक आदमी का नाम नहीं बताया और सबको बदनाम कर दिया ।

श्री चौनसिंह बाघेल (बैंगू) : १००)रु० के अनुदान के ८०) रु० कई लोगों को मिले हैं ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं आपको नाम बताने को तैयार हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत समिति सीमलवाड़ा का नाम लिया है । माननीय सदस्य ने शायद नाम नहीं सुना होगा । कुए भी सीमलवाडा में खुदे हैं, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं । यह मुझे मालुम नहीं, लेकिन सरकार को मालूम करना चाहिये कि कितने कुए खुदे और कितना अनुदान दिया गया ।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो अनुदान बैलों और तकावी के रूप में मिलता है उसके बारे में माननीय सदस्य ने आपत्ति की कि उसके बारे में मुझे निश्चित रूप से मालूम नहीं कि दर असल में १००) रु० के ८०) रु० दिये जाते हैं, लेकिन जब बीसियों आदमी यह कहते हैं कि इतने रुपयों का अनुदान था और, इतने रुपये मिले हैं तो आखिरकार इतने लोग कहते हैं तो कुछ बात है तभी इतने लोग कहते हैं । तो सरकार को चाहिये कि इसके संबन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करे और विचार करें ।

एक तलवाड़ा में प्रशासन अधिकारी हैं ; उनकी भी शिकायत आई है और यह गश्ती पत्र है, माननीय मंत्री को भी प्राप्त हुआ होगा । उसमें लिखा है कि वहां के प्रशासन अधिकारी हैं, अपने कर्मचारियों को दबाते हैं । उनकी धर्मपत्नि है वह कोई इन्शयोरेन्स कम्पनी की एजेन्ट हैं । अगर कोई कर्मचारी इन्श्योरेन्स नहीं करना चाहता तो उसको दबाया जाता है, उस पर तरह तरह के दबाव डाले जाते हैं,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इन्श्योरेन्स पोलिसी लेने के लिये उसको परेशान किया जाता है और अनुदान लेने के लिये जो लोग आते हैं उनको भी इन्श्योरेन्स के लिये कहा जाता है और यहां तक होता है कि फर्स्ट-प्रीमियम की रकम भी अनुदान में से काट ली जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करेगी और कोई ऐसी शिकायत अगर आपके पास नहीं आई हो, मुमकिन है माननीय मंत्रीजी के पास शिकायत आई भी हो और रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हो, तो यह शिकायत मेरे पास भी है सरकार उचित समझे तो इस संबन्ध में छानबीन करते वक्त....

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री) : पहली तो सीमलवाड़ा था और यह दूसरा ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह दूसरा, सीमलवाड़ा समिति के प्रशासन अधिकारी हैं।

शिड्यूल ट्राइब कमीशन का यह विचार है कि...

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन अधिकारी बहुत हैं। यह प्रशासन अधिकारी किस विभाग का है, यह जरा आप बता दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास चिट्ठी है। मैं आपको बता सकता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : कई प्रशासन अधिकारी होते हैं। इसलिये १० तरह के प्रशासन अधिकारी एक जगह पर होते हैं, कौनसे विभाग का प्रशासन अधिकारी है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप शिकायत को देख कर कह सकते हैं कि १० तरह के प्रशासन अधिकारियों में से कौन सा है। मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता। सारे दस्तखतों समेत शिकायत है, मैंने आपके समक्ष रखी है।

आदिवासियों के लिये आश्रम स्कूलों को उत्तम गुरू की व्यवस्था मानी गई है। ये जो आश्रम स्कूलें चलती हैं उनको शासन सत्ता दल के लोग चलाते हैं। लेकिन विरोधी दल के लोग भी इस प्रकार की स्कूलों को चलाने की मांग करें तो मैं यह कहूंगा कि जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार उनको भी मौका दिया जाना चाहिये ताकि इससे एक प्रकार की प्रतियोगिता होगी और आपको यह प्रतीत होगा कि शासन दल के लोगों द्वारा जो स्कूलें चलाई जाती हैं उनके मुकाबले में विपक्षी दल द्वारा चलाई जाती हैं वे ज्यादा अच्छा काम करती हैं या नहीं। इसलिये आपको विपक्षी दल द्वारा इस प्रकार के आश्रम चलाने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे इस बात का भी ज्ञान होगा कि सत्तारूढ़ दल के मुकाबले में वे अच्छा काम करते हैं या सत्तारूढ़ दल द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं अच्छा काम करती हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

पार्टी कोई स्कूल नहीं चलाती और सत्तारूढ दल कांग्रेस पार्टी आती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पार्टी के नाम से कोई स्कूल नहीं चलती है। आप भी करिये चालू। आपको भी जंगलों में रहना पड़ेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप "संभवत:" यह कह गये, यह तो ठीक है। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि इन आश्रम को चलाने वाले हैं वे कांग्रेस के आदिवासी हैं या वे लोग है जो संस्था में कार्य करते थे और कार्यवाहक वर्कर थे और उनको वेतन मिलता है। मैं उनके नाम दे सकता हूं। मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आश्रम स्कूलें चलती हैं उसका श्रेय कांग्रेस को है। मगर मैं यह कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रूप से नहीं होता है। अध्यापकों को तनख्वाह भी समय पर नहीं चुकाई जाती है। जो आश्रम हैं उनमें भ्रष्टाचार और आपाधापी है। यह डूंगरपुर और सेवासंघ उदयपुर की व्यवस्था है।

जब शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन डूंगरपुर में आया था तो उसके चेयरमैन थे उच्छरंगराय ढेबर। उनके समक्ष भी हम लोगों ने तथ्य रखे, उनके सम्बन्ध में भी कुछ हुआ हो ? ऐसा नहीं लगता। भारत सेवक समाज, आदिवासी सेवा संघ आदि समाज कल्याण विभाग से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त करते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। इनके वर्कर्स कांग्रेसी होते हैं, जिन पर मर्जी हो उन्हीं को यह रुपया दिया जाता है, यह रुपया देने के कोई रूल्स नहीं हैं. कोई नियम नहीं हैं, मनमाने ढंग से रुपया दिया जाता है।

मकानों के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करूंगा। खैरवाड़ा, कांकर, एकलिंग जी के पास आपने मकान बनाये हैं; आपने मकान बनाये यह अच्छा किया, पर मकान बनाये तो लोगों के रहने के लिये मकान बनाये. पर अमूमन देखा यह गया है कि वे मकान खाली हैं। इसके बजाय तो यदि आप आदिवासियों को कुए खुदवाने के लिये अनुदान देते, जहां उनकी भूमि है, वहां ऐसे मकान बनाये जाते तो मैं समझता हूं आपका प्रयास सार्थक हो सकता था; पर जवाहरनगर नामक बस्ती है। धरियावद के पास वहां हजारों रुपया खर्च कर मकान बनवाये, वहां कौन रहेगा ? जहां हरियाली हो फलदार वृक्ष हों, जहां नदी-नाले होंगे, जहां भूमि होगी, वहां आदिवासी रहेंगे या १५ मील दूर जा कर रहेंगे ? आदिवासी तो पालों में बिखरी हुई बस्तियों में रहने वाले हैं, उनको एक जगह लाकर बसाना चाहें तो वह व्यवस्था उसी प्रकार की होगी जैसे कल क्वेश्चन अवर में नटनियों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। कहा गया कि नटनियों को जमीनें दीं। उप-मन्त्री महोदय यहां विराजमान हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर नटनियों को जमीनें देकर आप यह समझते हैं कि वह पर्याप्त है तो मेरी समझ में इससे उनका कोई सुधार नहीं हो सकता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी राय में क्या होना चाहिये ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धंधा देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : उनका धंधा खराब है, इसलिये उन्हें सुधारते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धंधा सुधारना चाहिये और इसके लिये उनको कोई अच्छा धंधा देना चाहिये, जो वे कर सकें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने आदिवासियों को नटनियों के साथ जोड़ दिया....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे को आप कुछ कहने तो देते नहीं ..

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने नटनियों और आदिवासियों को बराबर कर दिया; यहां बहुत से आदिवासी भाई बैठे हैं, उन्हें यह बहुत बुरा लगेगा।

श्री चौसरसिंह चानेल : बराबर नहीं किया है, आपको पता नहीं है, आप गलतफहमी पदा करने की कोशिश कर रहे है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नटनियों का और आदिवासियों का मेरे से मुकाबला किया जाय तो कोई बुरा नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने सुना नहीं। मैंने आपसे मुकाबला नहीं किया। आप नटनियों के साथ आदिवासियों का....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बुड्ढा आदमी हूं; सुनता नहीं, बहरा भी हो गया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दीजिये, इन्टरप्शन्स मत कीजिये। (श्री महारावल से) आप शीघ्र समाप्त करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त कर देता हूं। जो बस्तियां हैं उनके अन्दर टिन के कोटे का स्टाल होता है, टिन का कोटा अलॉट होता है, जो टिन पतरे इन बस्तियों में बांटने के लिये मिलते है उनमें से आधा-दूधा दूसरी जगह खर्च हो जाता है।

नटनियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके दुराचरण में कमी लाने के लिये कोई न कोई व्यवस्था अनुदान के रूप में करनी चाहिये। जमीन आप उनको देते हैं, जमीन तो वे बेच देंगी और जो पैसा आयेगा उससे कुछ दिन अपना काम चला लेंगी। अगर ये 'बैड करेक्टर' हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अन्दर आप सुधार करना चाहते हैं तो अन्य देशों के उदाहरण भी ले सकते हैं। उनको अनुदान के द्वारा, किसी जगह रख कर, खाना-पीना देकर उनके आचरण में सुधार ला सकते हैं; न कि जमीन दे दो, जैसा कि कल आपने बताया, उस व्यवस्था के द्वारा सुधार नहीं हो सकेगा इनके आचरण में।

श्री गिरधारीलाल व्यास : खाना-पीना कब तक देंगे, हमेशा के लिये तो यह चलता नहीं रह सकेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ५, २५, ५० जो बहुत खराब हों उनमें भी यदि आप अगर इस तरह से सुधार ला सकेंगे तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी, यह एक उदाहरण बन जायगा। आप श्रीगणेश करके देखें तो सही, इससे लाभ मिलेगा। अगर आप श्रीगणेश ही नहीं करना चाहते तो हम कुछ नहीं कर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सकते, मैं तो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, करना, नहीं करना आपकी मर्जी है।

गाडोलिये लोहारों के बारे में कई बार यहां सदन में कहा गया। लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी ग्राये, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री भी आये, इस सबका परिणाम यह हुआ कि स्कूल के अन्दर एक दो छात्र वहां है और लाखों रुपया फिजूल का खर्च हुआ। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपका ध्येय बुरा नहीं; एक हद तक कहूंगा अच्छा है, पर आपके काम ग्रच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, आपका वितरण दूषित है, पक्षपातमय है और मैं समझता हूं यह समाज कल्याण विभाग नहीं, कांग्रेस कल्याण विभाग है, इसमें जैसी समाज व्यवस्था है वह समाज को ग्राहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर ले जा रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री उपाध्याय।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तोड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास पर मेरे ३ कटमोशन हैं। मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि इन्होंने हम लोगों को, राजस्थान के नागरिकों को पंचायतें बना कर, पंचायती राज्य कायम करके एक बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी ही नहीं दी, बल्कि करोड़ों रुपया पंचायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा खर्च करने का अवसर प्रदान किया है और आज बराबर के दर्जे में बैठने का मौका दिया है। सामन्तवाद के जमाने में कहीं पंचायतों का पता नहीं था, कोई बराबर के मुसायबी दर्जे नहीं थे, एक पैसा भी पंचायतों को जुर्माना करने का हक नहीं था। ग्राज करोडों रुपया पंचायतों के प्रतिनिधियों के द्वारा खर्च करने का अवसर दिया है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

राजस्थान की ८० प्रतिशत जनता जहां रहती हैं, वहां आज पंचायती राज स्वायत्त शासन चल रहा है, २३२ पंचायत समितियां, २६ जिला परिषदें और ७३६६ पंचायतें राजस्थान में काम कर रही हैं। सबसे पहले १६३७ में जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे यहां था तो रिपन प्रस्ताव पास होने पर पंचायतों का निर्माण हुआ, उसके बाद स्टेटों में भी पंचायतें बनीं जो विभिन्न दृष्टियों की थीं, अलग अलग कानून बनाये गये जो टूटे फूटे कानून थे। खुशी की बात है कि जब देश आजाद हुआ तो १६४८ में पंचायतों पर अध्यादेश जारी हुआ और संयुक्त राजस्थान के अन्दर क्रियान्वित किया। १६४६ में वृहत् राजस्थान बना और पंचायतों और जिला परिषद् के ५३ के नियम लागू किये गये, उसके आधार पर तहसील पंचायतें थीं उनको दीवानी, फौजदारी आदि अधिकार थे और वे दूसरे तरीके से चलती थीं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी साथ साथ थीं। उसके बाद २ अक्टूबर, १६५६ में पंचायती राज हुआ और हमारे दिवंगत

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

पंडित जवाहरलालजी नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज कायम किया गया और उसी के द्वारा आज पंचायतें चल रही हैं। उस कानून के द्वारा जो पंचायत समितियां, पंचायतें बनी उनमें जो करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है वह विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न मदों में खर्च किया जाता है। कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, निर्माण विभाग, विकास विभाग, उद्योग विभाग, जन-सम्पर्क विभाग, जन-स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग आदि कई विभागों का पैसा पंचायत समितियों द्वारा खर्च किया जाता है।

मुझे बहुत खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि राजस्थान सरकार इस पंचायती राज को और सहकारिता को दोनों को चाइल्डहुड यानी बचपन अवस्था में मानती है। मैं राज्य सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बचपन में जिस बच्चे का चरित्रबल, मनोबल नहीं बनाया जायगा तो भविष्य में जाकर वह बच्चा बड़ा होकर कभी सशक्त नहीं हो सकेगा।

शासन बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, नैतिक बल बिना भय के नहीं बन सकता। १९५२ में ब्लॉक सिस्टम था, उसका लाखों-करोड़ों रुपया पंचायतों और पंचायतों के प्रतिनिधियों में बाकी पड़ा है जो उनको विकास के लिये दिया गया था।

बड़े जोर से कांग्रेस पर यह लांछन लगाया जाता है कि पंचायती चुनावों में बकरे काटे गए, शराब पिलाई जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि यह बात वे लोग ही करते हैं जो एक ओर आग लगाते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि बुझाओ। कांग्रेस तो सत्य और अहिंसा से चुनाव लड़ती है। मेरे क्षेत्रों में मैंने अपनी आंखों से देखा, हाल बताता हूं जिन आदमियों ने बकरे काटे, भैंसें काटीं, लोगों को शराब पिलाई। इस सब के बावजूद जनता ने उनको हरा दिया। लोग समझ गए कि वास्तविक स्वरूप किसका है। ये शराब की बातें तो हमारे विरोधी पक्ष वाले कहते हैं जो स्वयं ऐसा करते हैं, कांग्रेस नहीं करती है।

२ अक्टूबर, १९५९ को सामुदायिक विकास योजना चालू हुई; उसके अन्तर्गत पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें काफी रकमों का घोटाला हुआ।

श्री ओंकारसिंह बावेल (बेंगू): बसी के प्रधान थे उनको कुछ करना चाहिए, वहां घोटाला होता रहा है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय: मैं २४ साल से कांग्रेस का कार्य कर रहा हूं। विरोधी पार्टी इसी तरह शराब पिला कर, देहात के लोगों को अपने कब्जे में कर लेते थे, अभी भी मैंने आपके उम्मीदवार को ४३२ वोटों से हराया। इसी तरह से सरकार से अर्ज करता हूं कि ऐसे आदमियों को जो ऐसे काम करते हैं, बेईमानी और गड़बड़ घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। सन् १९५८ में वहां के भूतपूर्व बसी के सरपंच ने खाद के बीज के अन्दर गड़बड़ घोटाला किया और

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

कलेक्टर ने रिपोर्ट की। इस तरह से सन् १९५९ में उस सरपंच ने एक सदस्या पंच को मेहनताना देकर नौकर रखा और जो अयोग्य करार हुआ। एक सदस्य गोपी को नाजायज तरीके से जमीन दी, पंचायत की संपत्ति का दुरुपयोग किया। इस तरह से पंचायत बर्सी के कई कारनामे हैं। अफसोस की बात है कि बावजूद जिलाधीश महोदय और अधिकारियों को अर्ज करने पर भी आज मार्च आ गया, नवनिर्वाचित पचायत को अब तक चार्ज तक नहीं दिया और वहां के दोषी आदमी को चार्ज शीट नहीं किया। वहां हजारों रुपयों का घोटाला है और आए दिन घोटाले होते रहते हैं। सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सुझाव के रूप में अर्ज करूं कि पंचायतों को ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बुलानी चाहिए क्योंकि ग्राम सभा में पचायतों के सब मामले जनता के सामने आते हैं, उसमें जनता को उनसे सवाल पूछने का अधिकार है इसलिए ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है।

वन में मिलने वाली आमदनी के लिए सरकार को राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने आदेश दिया है कि वह पंचायतों को मिलनी चाहिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक भी जयपुर की पाल पंचायत, अमरपुरा, सेमलपुरा बिजयपुर, बसी, पालिका और दूसरी पंचायतों को वन से मिलने वाली आमदनी नहीं मिली। अतः मेरा अनुरोध है कि वह जल्दी से जल्दी दिलाई जाय।

दूसरी यह प्रार्थना करता हूं कि जनतंत्र में पंचायतों को सफल बनाने के लिए अनुशासन सिखाया जाय और बचपन से ही बताया जाय तो उसका फायदा आगे होगा।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटमोशन है कि पंचायत समिति सराड़ा में ट्राइबल ब्लॉक खोले जायें, वहां ६५ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। वहां पर सरकार ने हमारा ट्राइबल ब्लॉक नहीं खोला है, यह दुख की बात है।

पास ही पंचायत समिति खेड़वाड़ा है वहां ट्राइबल ब्लॉक गत वर्ष से दिया गया है। जितनी आबादी खेड़वाड़ा तहसील में आदिवासियों की है उतनी आबादी आदिवासियों की सराड़ा तहसील में है। वहां आदिवासी सारे पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। वहां अलग अलग बस्तियां हैं। वहां के आदिवासियों के लिए इस तरह का सामाजिक सुधार, शिक्षा या उद्योग आदि कई बातों की कमी है। ऐसी हालत में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां पर आदिवासी ट्राइबल ब्लॉक खोला जाय। वहां के आदिवासी हर मामले में पिछड़े हुए हैं, गरीब लोग रहते हैं। आज अकाल का समय है, इस वर्ष वर्षा की कमी से वहां के कई गांवों में अकाल घोषित किया गया है। वहां पर सारे पहाड़ी गांव हैं जिनमें करीब करीब ४०–५० गांव अकाल की स्थिति में हैं लेकिन केवल १९–२० गांवों में अकाल घोषित किया गया है। जहां जमीन काफी मात्रा में है वहां पर २५-५० हजार के छोटे छोटे तालाबों का निर्माण हो सकता है और

(श्री देवीलाल मीणा)

आदिवासियों को काफी लाभ हो सकता है। पंचायत समिति द्वारा जो तालाब बनाए जाते हैं उनमें पंचायत समिति को २५ हजार की रकम पूरी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पंचायत समिति वहां पर बना नहीं सकती। केवल पांच हजार की रकम दी जाती है। इस रकम में से तालाब का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए पंचायत समितियों के २५ हजार के तालाबों का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सहायता देनी चाहिए ताकि वहां के आदिवासी क्षेत्र में सारे तालाबों का निर्माण हो सके। जब तक उस क्षेत्र में सारे तालाबों का निर्माण नहीं किया जावेगा तब तक वहां के आदिवासियों को लाभ नहीं हो सकेगा। मैदानी इलाके हैं वहां तो काम दे सकते हैं। लेकिन पहाड़ी दरों में दो सौ से चार सौ बीघा भूमि के प्लॉट हैं उनमें तो छोटे २ तालाबों से ही लाभ हो सकता है। छोटे तालाबों का पंचायत समिति से निर्माण किये जाने पर पहाड़ी क्षेत्र के कुओं को भी काफी फायदा हो सकता है। समाज कल्याण विभाग ने काफी हमारे क्षेत्र में कार्य किया है लेकिन वैसे देखा जाय आदिवासियों को जितना फायदा मिलना चाहिये उतना नहीं मिला है। उस क्षेत्र में कुओं का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र होने से काफी पत्थर है, ५००) रु० से कुओं का निर्माण नहीं होता। वहां एक हजार से बढ़ कर तीन हजार तक रुपये खर्च होते है तब जाकर कहीं कुओं में पानी का अन्त आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग तो हमारा कल्याण विभाग है ही लेकिन आदिवासियों पर यह विभाग काफी दिलचस्पी लेकर काम नहीं करता है। इसलिए उनको जो पैसा आदिवासियों के काम के लिये दिया जाय वह पैसा पंचायत समितियों के मार्फत ही काम में लाया जाय, उनके द्वारा ही उस पैसे को खर्च करवाया जाय। मेरे क्षेत्र में ऐसी बातें हैं जो आदिवासियों को सही रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कई अड़चनें पैदा होती हैं। तहसीलदार भी उन आदिवासियों के लिये कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। जैसे मैं अर्ज करता हूं कि समाज कल्याण विभाग का कोई न कोई विभाग इसीलिये है कि आदिवासियों का भला किया जाय, तो उनको भी आदिवासियों की ये अड़चनें आती हैं कि जमीन नहीं मिलती, सिंचाई योजना नहीं बनायी जाती। तो वहां पर उस विभाग को दिलचस्पी लेकर काम करना चाहिये। पंचायत समितियों में जो काम होने वाले हैं उनमें इस विभाग द्वारा भी ध्यान देना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ साथ इस राज्य को और राज्य सरकार के अधिकारियों को कई तमगे और उपाधियां प्राप्त हुई हैं। पद्म श्री की उपाधि यहां के मुख्य सचिव को प्राप्त हुई है तो राजनीति में बहुत बड़ा फायदा यहां के मुख्य मंत्री को मिला है। उसके बावजूद मैंने जो यह कटौती प्रस्ताव दिया है उसमें यह बताया है कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा ग्रामराज स्थापित नहीं

(श्री नत्थीसिंह)

हो सकता है। इस बात को मैं ही कहता होऊं, ऐसी बात नहीं है। संविधान में एक बात कही गई है, जो निर्देशक सिद्धान्त हैं उनमें यह कहा है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन स्वायत्त संस्थाओं के इकाई के रूप में काम करने में सक्षम हों। लेकिन आज यह सही बात है कि इस बात में हमारा राज्य असफल रहा है। ग्राम पंचायत हमारा राज्य आज इकाई के रूप में नहीं बना पाया है और इस बात के लिये हमारे मंत्री महोदय का जो एवजी में जबाव देंगे सादिकअली अध्ययन दल जो बनाया गया था उसने जो इस सम्बन्ध में ओब्जर्वेशन दिये हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जो उन्होंने ग्राम पंचायत के विषय में कहा है। अध्ययन दल ने कहा है "उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं, सब अधिकार और कर्त्तव्य केवल कानून की पुस्तकों को ही सुशोभित करते हैं, व्यवहारिक क्षेत्र में उनका शायद ही कोई प्रभाव हो।" इससे अधिक कन्डेमनेशन आपकी पॉलिसी का और कोई हो नहीं सकता, जिसमें आप ही के अध्ययन दल ने स्वयं ने माना है कि पचायत के माने में जो कुछ किया उसके द्वारा कानून की पुस्तकों को ही सुशोभित किया गया है। इसके कारण क्या हैं? उन कारणों पर इस राज्य सरकार ने अहमियतता के साथ विचार करने की कोशिश नहीं की। अध्ययन दल की रिपोर्ट है उस पर समग्र रूप से विचार करेंगे और इस नतीजे पर आयेंगे कि उन पंचायतों को कैसे मजबूत किया जा सके।

लेकिन दूसरी बात माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं कि यह जो विकेन्द्रीकरण का तरीका है, जो आज हमारे राज्य में है, क्या इससे हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े हैं? हमने पंचायत को सशक्त बनाने के बारे में बिल में यह कहा था कि इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े, अधिक से अधिक जन-सहयोग मिले। इसी अध्ययन दल ने जो ओब्जर्वेशन दिये हैं वे स्पष्ट हैं कि इस सारे काम को करने में पंचायत राज संस्था असफल रही है और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं पंचायत समिति को हस्तान्तरित की गईं उनकी दृष्टि से कार्य का समग्र मूल्यांकन किया जाय तो यह कहना होगा कि पंचायत समितियां पंचायतों के द्वारा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कराने में असफल रही है। जब इस तरीके से इस राज्य में सबसे ज्यादा जो इस बात के लिए शोर मचाया गया है कि हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा एक सारे देश में करिश्मा कर दिया है तो उसके कार्यकलापों के विषय में उसी के द्वारा बिठाये गये अध्ययन दल की यह रिपोर्ट है कि पंचायत राज का सरकार के जिम्मे जो काम दिया गया था उसमें वह असफल रही है। आखिर क्या कारण हैं? इस सदन में दो राय नहीं है कि पंचायत राज सफल और सबल बनना चाहिये और उसको सबल किस तरह से बनाया जाय, इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण का भेद है और उसी का यह प्रभाव है, परिणाम

(श्री नत्थीसिंह)

है कि हमारा जो पंचायती राज है वह एक तरह से दुर्गति की ओर जा रहा है।

इस अध्ययन दल की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद राज्य सरकार ने एक ही कदम लिया है और उस कदम के द्वारा शायद माननीय मंत्री यह कहना चाहें कि हमने प्रगति की है उसके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य चर्चा कर चुके हैं और उन्होंने एक कदम लिया है चुनाव प्रणाली में अन्तर करना। उस चुनाव प्रणाली में अन्तर करके आपने क्या प्राप्त किया है, उसकी भी आज दो राय नहीं रह गयी है। जब उस वक्त चुनाव की प्रणाली में, उसके काम में परिवर्तन किया जा रहा था उस समय भी मैंने संशोधन रखा, पार्टी के लोगों ने संशोधन रखे कि आप जो इलेक्ट्रोरल कॉलिज को बड़ा कर रहे हैं इससे भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं लेकिन इससे रुकेगा नहीं, किन्तु इससे बढ़ेगा; इसलिए आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाइये। उसको नहीं माना गया और आज इसमें दो राय नहीं है, मंत्री महोदय भी अपने दिमाग से सोच कर, दिल पर हाथ रख कर नहीं कह सकते कि पंचायतों के चुनाव के जो परिणाम हुए हैं, गांवों में सक्रिय रूप से रचनात्मक कार्यों के जरिये ग्राम राज में सफलता प्राप्त करना चाहें तो कभी भी कोई इस बात में सफल नहीं होंगे। सफल वही हो सकेगा जो दस हजार खर्च कर सकता है, २० हजार खर्च कर सकता है, ३५ हजार खर्च कर सकता है, पंच और सरपंच को भगा कर ले जाये, उनको गंगा जमुना का स्नान कराये, उनको भोजन आदि देकर उनसे धर्म-कर्म लेकर सफल हो जाय। भ्रष्टाचार बढ़ा है। इससे यह हुआ है कि चाहे वे आज न मानें लेकिन इस बात को मान गये हैं, अपने दिल से कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से इससे जो हमारे राज्य में ग्राम राज्य को समन्वित करना चाहते थे उसको एक बड़ा गहरा धक्का लगा है।

चुनाव का लम्बा समय निकल गया है। मेरा हमारी सरकार पर आरोप रहा है, जब कभी भी ग्राम-राज संस्थाओं के संबंध में किसी भी समय निर्णय लेने का होता है तो हमेशा जल्दबाजी होती है। यह नतीजा हमारे जल्दी में कानून पास करने का था, यह कानून आधी रात को पास कराया गया, उसका नतीजा यह चुनाव हुए। इन चुनावों से एक परिणाम हुआ, जो अच्छा परिणाम है, इस देश में कुछ ऐसे लोग भी युथोपियन्स जिन्हें कहा जा सकता है, पंचायत राज संस्थाओं में, जो तमाम प्रतिनिधि संस्थायें हैं, देश भर में जहां पालियामेंट तक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराये जायं, यह प्रणाली काम में आती है। इस बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि विरोधी पक्ष दो चार वर्ष में आये हैं, सफल हुए हैं; अब की बार ऐसा दिखता है कि सबको वे भगाकर ले जायेंगे, करप्शन को घोर बढ़ावा मिलेगा। आज जिस तरह से पंचायत परिषद, के अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके जो भयानक परिणाम देखने को मिले हैं, उससे राजस्थान के रहने वाले के दिमाग में यह बात गले नहीं उतरेगी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिये जो चुनाव होते हैं उसको किस तरह से सही रूप दिया जा सकता है। इतनी जल्दबाजी की गई सहकारी समितियों

(श्री नत्थीसिंह)

में जो ऑप्शन का प्रावधान रखा गया। सहकारी समितियों में जो यह प्रावधान रखा था उसके अनुसार उनका जो चुनाव किया था वह माकूल था। सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को गुप्त मतदान तो कराया गया, लेकिन जहां ८० प्रतिशत लोग बगैर पढ़े लिखे होते हैं, वहां पर भी सिम्बल नहीं दिया जाता है, उसको जिस किसी को वोट देना होता है वह निर्वाचन अधिकारी को जाकर कह दे, वह पेन्सिल से मार्क कर देता था। इससे तो अच्छा यह था कि हाथ उठाकर चुनाव करवाते। लेकिन ये सब जल्दबाजी के परिणाम हैं।

आज स्थिति यह क्यों हैं, इसमें असफल होने का कारण यह है कि पंचायत राज संस्थाओं के विषय में हमारी सरकार का दिमाग अस्पष्ट है। संविधान के डाइरेक्ट प्रिन्सीपल्स में कहा गया है, जहां ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की बात कही जाती है निश्चित रूप से आज का सिस्टम है, उसमें परिवर्तन करना होगा।

जिस समय पंचायत राज का विकेन्द्रीकरण किया गया, २ अक्टूबर, १९५९ को जो अधिकार थे उससे आज बहुत कम अधिकार हैं, पंचायतों में काम करते हैं उनको। इस सादिकअली रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत के गांव वाले दिलचस्पी नहीं लेते, ग्राम पंचायतों का कोरम पूरा नहीं होता, ग्राम पंचायतों को कोई अधिकार नहीं होता। यह ठीक है कि ग्राम पंचायत के सरपंच को अधिकार दिये गये हैं और यह भी सही है कि ग्राम पंचायत का सरपंच पंचायत समिति में बैठता है लेकिन उत्तरोत्तर सरकार द्वारा उसका असर कमजोर किया जाता है, उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

२ अक्टूबर, १९५९ में पहले, पहल पंचायत राज का विकेन्द्रीकरण किया गया। पंचायत समिति में बैठने वाले हर सदस्य को अधिकार था, पंचायत समिति की गतिविधि पर अंकुश रखता था, प्रश्न करने का अधिकार था। पंचायत समिति की बैठक महीने में एक बार करने का था, उसमें सवाल पूछ सकते थे, अपने विचार प्रगट कर सकते थे और दूसरी बात कर सकते थे। लेकिन राज्य सरकार ने, यहां के विकास विभाग ने अपने सर्क्यूलर्स द्वारा किसानों के, पंचायत समितियों के अधिकार छीन लिए और इतना ही नहीं एक महीने के बजाय, यह कहा गया कि तीन महीने में बैठक होगी; और भी कमी की गई। इसका नतीजा यह हुआ, कहां तो यह कहते थे पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए हम यह कर रहे हैं वहां यह कर दिया गया प्रधान और विकास अधिकारी के अन्दर सारी शक्ति या निश्चित कर दी। पुराने स्वप्न जो विकेन्द्रीकरण के नाम पर लेते थे वे सब शक्तियां पंचायत समिति में केन्द्रित हो रही हैं। जहां पंचायत समिति को जो कुछ अधिकार थे वे इन दो शक्तियों ने ले लिए, इसका नतीजा यह हुआ कि विकास अधिकारी और प्रधान मिल गये तो पंचायत समिति के मेम्बर्स की कोई पूछ नहीं।

सादिकअली की रिपोर्ट में एक बात कही गई और वह सही कही गई है। पंचा-

(श्री नत्थीसिंह)

यत राज के जरिये से जो स्वप्न देखा गया था, समाज का जो कमजोर वर्ग है, उसको ऊपर उठाने में यह पंचायत राज कामयाब होगा, उसकी वर्ग की सेवा कर सकेगा उसमें यह पंचायत राज नाकामयाब रहा है। इसकी रिपोर्ट में साफ साफ दर्शाया गया है। पंचायत राज संस्थाओं द्वारा समाज के अशक्त वर्ग को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला, कमजोर वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि पंचायत समिति के साथ जो केन्द्रीयकरण किया गया, स्थायी समितियों द्वारा जो तय किया जाता है; जैसे तकाबी देने के लिए पैसे मिलते हैं, उसके लिए पांच-सात आदमी घर में बैठ कर फैसला करते हैं। इससे यह आप निश्चित मानिये कि जो समाज का सशक्त वर्ग होगा वही उसमे फायदा उठायेगा, कमजोर वर्ग को फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पंचायत राज संस्थाओं का जो रूप है उस रूप ने हमको कोई शक्ति नहीं दी जो किसी तरह से तरक्की कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी ही मैंने बोलना शुरू किया है। मैं केवल नीति संबंधी ही बात करूंगा, भावों में बह कर नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमने फाइव टायर सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है। यह खुद में ही मूलभूत गलती है। अगर आप ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं ग्राम पंचायत और ग्रामों का उत्थान करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से फैसला लेना होगा, हालांकि सादिकअली रिपोर्ट में यह नहीं सुझाया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि पंचायतों के कमजोर होने का बड़ा कारण यह है कि नजदीक में ही पंचायत समिति जैसी सशक्त संस्था है। इसमें केवल थेगली लगे, इस तरह का सुझाव दिया गया है केवल अधिकार कर लगाने का दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। पंचायत समितियों ने कैसा काम किया है, हम चाहते हैं गांवों में उन्नत बीज मिले, हम चाहते हैं खाद के लिये कुओं के लिये तकाबी मिले, अनुदान मिले; लेकिन आखिर इसका फैसला कौन करता है?

आज जिस प्रकार की दलबन्दी है, यह सही है कि पंचायत समितियों में आधे से अधिक पंचायतों में कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं; वहां न तकाबी मिलती है, न अनुदान मिलता है, न विकास कार्य होता है। इसका कारण यह है कि फैसला करने वाले वे लोग नहीं जो जनता के निर्वाचित हों। वे लोग पंचायत समिति में बैठकर गुटबन्दी के आधार पर फैसला करते हैं। आज हमें देखना यह है कि राजस्थान सरकार यह बात कहती है कि हम ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना चाहते हैं, गांव आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको स्वावलम्बी बनाने के लिये, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिये सोचना होगा। कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिये क्या करना होगा? ऋण की बातें करते हैं, इसके लिये एजेन्सीज बना रखी हैं; पंचायत समितियें सहकारी समितियें तकाबी देती हैं, एग्रीकल्चर विभाग लोन देता है–ट्रैक्टर

(श्री नत्थीसिंह)

वगैरह के लिये पम्पिग सेट के लिये । इसका साफ कारण यह है कि एक तरफ आप यह बात कहते हैं, हमारा उत्पादन का कार्य क्रम समग्र रूप से एक होना चाहिये, दूसरी ओर कदम उठाना नहीं चाहते । जब हमारा दिमाग साफ है गांवों के उत्थान के लिये, तो गांव की पंचायतें और गांव की सहकारी समिति में समन्वय हो, फिर उत्पादन कार्यक्रम बनायें और फिर देखे कि सब से बड़ी बाधा कहां होती है । सबसे बड़ी बाधा पंचायत समिति है । पंचायत समिति एक एक ग्राम कृषक के लिये नहीं सोचती । इनीशियेटिव गांव पंचायत के पास नहीं आ सकता । हम हिम्मत के साथ निर्णय लें, हमारी पंचायत राज संस्थाओं में पंचायत समिति जैसी संस्था नहीं होनी चाहिये । इसको उन्मूलित कर देना चाहिये । ग्राम पंचायतों को चाहिये कि वे विकास के अधिक से अधिक काम के साधन दें, पैसा दें और काम करने के लिये स्टाफ दें ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप सजेस्ट कर रहे हैं टू टायर सिस्टम को ?

(१. म. प.)

श्री नत्थीसिंह : जी हां ।

उत्तरदायी बनाया जावे ग्राम सभा के प्रति । जिला परिषद् को सशक्त बनाया जावे और जो प्रशासन अधिकारी आदि हैं वे उत्पादन के कामों में प्रशासन कार्यों में पंचायत को मदद दें, मार्ग दर्शन दें । पर उन पर नियन्त्रण जिला परिषद् का रहे । इससे ग्राम पंचायतें सशक्त होंगी । इनीशियेटिव लेने की क्षमता उनमें आवेगी । इसके लिये उनको पैसा दें ।

ग्राम पंचायतें आज तरक्की क्यों नहीं कर रही हैं, मैं इसके लिये भी सरकार को दोषी ठहराता हूं । आज तरीका जो इन पर नियन्त्रण करने का सरकार का है एक दम दूषित और पक्षपातपूर्ण है । आज होता क्या है ? मैं दो-एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा ।

आज हमारी सरकार मन चाहे तब जिसको चाहे सरपंच को हटा दे और किसी सरपंच को और किसी प्रधान को, अगर चाहे तो नहीं हटावे । कोई चाहे कितना ही अच्छा काम करे, पर तब भी अगर वह सरकारी पार्टी का आदमी नहीं है तो हटा दे, और कोई कितना ही बुरा काम करे, कुकर्म करे, अगर वह सरकारी पार्टी का आदमी है तो उसको सरकार शील्ड करे, आंख उठाकर भी उसकी तरफ न देखे, तो यह सारी गड़बड़ी की जड़ है । दो तीन बातें मैं बता दूं, ताकि सम्भव है वह मन्त्री महोदय के गले उतर जावे मेरी बात । सरकार अपना डिस्क्रिशन भी इसी तरह से यूज़ करती है । हमारे यहां से शिकायत की गई प्रधान के खिलाफ । उन्होंने दूसरे की जायदाद गलत तरीके से ले ली । पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया । एक ने स्थायी समितियों के लिये नोमीनेशन भरे, वे फाड़ कर फेंक दिये । डिप्टी डेवलपमेन्ट

कलेक्टर ने कहा कि परचों की रसीद दो तो वह भी मांग ठुकरा दी । कोई रसीद नहीं दी गई । गबन के मामले हुए । उन पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई । एक इन्क्वायरी की गई । मिनिस्टर महोदय ने ए० डी० एम० को जांच दी, पर आज तक रिपोर्ट नहीं ।

यही नहीं, एक जगह पंचायत समिति में बीस नोमीनेशन पेपर्स फाड़ कर फेंक दिये जावें तो कुछ नहीं हो, क्योंकि वह आपकी पार्टी का आदमी है और दूसरी तरफ एक महिला का पर्चा खारिज कर दिया, तो इसी तरह उसे सस्पेण्ड कर दिया । सिविल जज ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये । तो भी दो वर्ष तक कुछ नहीं हुआ । एक सरपंच ने कहा कि आप चाहो तो काम करा दूं । एक ने तरकीब बताई । शौच हो तो पाखाने में चला जाना चाहिये और शौच से निवृत्त होकर बाहर आ जाना चाहिये । वे एक कांग्रेसी से मिलते हैं और कांग्रेस में मिल जाते हैं । तुम्हारा साथ छोड़ते है । कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो देखो क्या होता है । मिल गये और बहाल हो गये । सही कहता हूं । एक महीने में हो गये । कहां तो सिविल जज के ऑर्डर की भी पर्वाह नहीं की गई और दूसरी तरफ एक महीने में ही यह परिवर्तन हो गया ।

श्री मथुरादास माथुर : उसे डिसेन्ट्री तो नहीं थी ?

श्री नत्थीसिंह : डिसेन्ट्री तो सरकार को है ।

श्री मथुरादास माथुर : हमें तो कॉन्स्टीपेशन है ।

श्री नत्थीसिंह : तो इस तरह वे आराम से सरपंच हो गये । इसलिये मैं यह कहता हूं कि हमें आज इस बात को तय करना होगा कि हमें इस तरह के कामों से दूर रहना होगा । चुनाव मन्त्री जी बैठे हैं । आप नीति की बात नहीं करते । नीति की बात मानने को तैयार नहीं । हो सकता है आपकी चलती न हो । इसके पीछे शक्ति दूसरी हो ।

तो इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पंचायती राज सशक्त हो तो आपको इस तरह के काम छोड़ने होंगे ।

मैं चाहता हूं जो भी पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख गड़बड़ी करे तो उसे सजा दी जाय । ठीक किया जावे । पर इसके लिये पॉवर सरकार को नहीं देकर एक स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल को होना चाहिये जो सही जांच कर सके और निष्पक्ष होकर निर्णय दे सके ।

पर आज तो हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय, की एक सवाल उठाया गया, एक बेचारा मास्टर तीन साल से सस्पेण्ड कर दिया गया, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं । मंत्री कह देंगे, मानता हूं, अन्याय हुआ है पर मैं क्या करूं, मैं पूछूंगा जोइन्ट डेवलपमेन्ट कमिश्नर साहब से । फिर नहीं हुआ वहां से भी तो कह देंगे हम क्या करें, हमने तो भेज दिया । अदालत का फैसला उसके पक्ष में है । पर फिर भी यह हाल है । तो इसलिये यह जो हालत अगर सुधारनी है तो आज की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हमें करना होगा ।

(श्री नत्थीसिंह)

एक दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आज हम पंचायती राज संस्थाओं को बजट बनाकर ऊपर से देते हैं। इसमें हमें उनका इनीशियेटिव लेना होगा। पंचायत समिति का कुछ हाथ नहीं। जिला परिषद् से भी खाना पूर्ति होती है। यहां से बजट उनका बनकर जाता है। तो यह विषय पंचायत राज संस्थाओं को देना होगा। बजट वे बनावें, उसे किस तरह से क्रियान्वित करना है वें करें।

आज पंचायत समितियों और जिला परिषदों की हैसियत क्या है ?

औषधालय खुलवाने की बात सामने आई। भरतपुर की बात बताता हूं। वहां से जितने की रिकमण्ड की, एक जगह नहीं खोली गई। पर चुनाव के वक्त मन्त्री ने देखा कि यहां खोला जाय तो खुल गये। तो यह मखौल है इन संस्थाओं की।

तो निश्चित रूप से इनके कार्यक्षेत्र का विभाजन किया जाना चाहिये। पंचायत राज संस्थाओं को फ्री हैण्ड देना चाहिये, सिवाय एक बात के कि फण्ड्स का मिस यूटीलाइ- जेशन तो नहीं हो रहा है।

अब चूंकि घण्टी दे दी है, मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर हमारे मन्त्री महोदय इन मूलभूत बातों को मानकर चलें तो निश्चित कह सकता हूं कि दो वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं का रूप दूसरा ही नजर आवेगा और इस तरह से निश्चित रूप मे ग्राम राज की सुदृढ़ इकाई बना सकते हैं, अन्यथा नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में पंचायती राज्य की नींव पड़ी है तब से राजस्थान के गांवों में कुछ न कुछ विकास के कार्य हुए हैं। अभी माननीय सदस्य जो पंचायती राज्य के असफल होने के बारे में कह रहे थे तो मैं कम से कम यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जब से राजस्थान में पंचायती राज्य कायम हुआ है तब से हर गांव में कुछ न कुछ विकास का काम हुआ है। यह मानना कि पंचायती राज्य होने के बाद में राजस्थान ने किसी प्रकार से प्रगति नहीं की और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषदों ने राजस्थान के गावों के विकास के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया, यह बिल्कुल अनुचित होगा। मगर जैसा माननीय सदस्यों ने कहा इसमें यह बात जरूर हो सकती है कि किसी न किसी कार्य में कमी हो सकती है जिसकी पूर्ति करने के लिए अध्ययन दल ने अपने सुझाव दिये हैं कि इस प्रकार से कार्य करने से हमको अमुक काम में ज्यादा सफलता मिलेगी। यह कहना कि राजस्थान में पंचा- यती राज्य असफल हुआ है यह बिल्कुल गलत और बेबुनियादी है। पंचायती राज्य ने गांव गांव में विकास किया है, स्कूलें खोली हैं, दवाखाने खोले हैं, सड़कें बनाई हैं, पीने के पानी के लिए कुए खोदे हैं और खेती बाड़ी में जिस प्रकार से विकास करने की योजना बनाई है और जिसके जरिए विकास किया है, हमारे पशुधन के विकास के सम्बन्ध में जैसी योजना बनाई है, यह सब हमारे सामने है। हमारे माननीय नेता जो अपोजीशन के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि कोई आदमी जो कुओं के लिए तकावी दी गई वह खा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गया, स्कूल अधूरे पड़े हैं और वहां पंचायत समिति की तरफ से पैसा नहीं मिला, इस वजह से पंचायती राज्य असफल हो गया। माना किसी जगह पर धन के अभाव में इस प्रकार की कमी रह सकती है उन बातों को देखते हुए पंचायती राज्य को असफल बतायें, यह तो गलत बात सी प्रतीत होती है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पंचायती राज्य का असफल होना नहीं बताया, पंचायती राज्य की खामियां बताई थीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य मेरे से पहले बोले और मैं बोला, दोनों को इसमें शामिल कर दिया है। तो इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा। जहां तक कमियों का प्रश्न है, मैं खुद भी अनुभव करता हूं कि पंचायती राज्य में जो कमियां हैं और जिस प्रकार से पंचायती राज्य हमने कायम किया है उसमें जो कमियां आई हैं उनको हमें पूरा करना है और हम पंचायती राज्य को ज्यादा से ज्यादा सफल किस प्रकार से बना सकते हैं इस प्रकार का प्रयत्न हमें करना है। जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है पंचायती राज्य की तरफ से गांव गांव में कुए खुदवाने की योजना बनाई है जिसके तहत हमारे जो डेवलपमेंट्स हैं उनके द्वारा गांवों में कुए खुदवाने के लिए जो धन दिया जाता है वह अपर्याप्त सा है। जब कि पंचायत समितियों में जितने उनको कुए खुदवाने हैं व गांव गांव में जो पानी की व्यवस्था करनी है उनके सुझावों के अनुसार अगर उनको रकम दी जाये तो उसमे हमारी जल की समस्या की पूर्ति हो सकती है। मगर यह हम खुद भी अनुभव करते हैं कि एक साथ में सारे राजस्थान की जो योजनायें हैं वे पूरी नहीं हो सकतीं जल की। उनके जितनी ज्यादा जरूरत की चीजें हैं उनको सबसे पहले लेना पड़ेगा और उसी प्रकार से उनको प्रिफरेन्स देना पड़ेगा तभी जाकर वह सफल हो सकती हैं। लेकिन उनमें टैक्निकल डिफिकल्टीज़ और आती हैं। राजस्थान में पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा कुओं के बारे में एक नापतौल का पैमाना कर रखा है और नपती करके कुए खोदने का साधन है उसके द्वारा पंचायतों में जो धन दिया जाता है और वहां की जनता से चन्दा लेकर जो कुए खोदते हैं उसमें जो टैक्निकल डिफिकल्टी ओवरसीयर की तरफ से पंचायत समितियों में और पंचायतों में आती है वह एक बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में बहुत सी जगह पहाड़ी हैं, कुछ जगह रेतीले स्थान हैं, कुछ जगह तो कुए आसानी से खुद जाते हैं और कुछ जगह कुए बड़ी मुश्किल से खुदते हैं और सब जगह कुओं की खुदाई का एक ही भाव है। उससे यह कठिनाई आती है कि ओवरसीयर उसकी रिपोर्ट नहीं देता वह कहता है कि अमुक नाप की वजह से पूर्ति नहीं होती इसलिए आपको दूसरी स्टेज का पैसा नहीं मिल सकता, इस प्रकार की कठिनाईयां आती हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गांव वालों को पानी पिलाना चाहते हैं और गांवों में कुए खुदवाना चाहते हैं तो आपको अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग दरें निर्धारित करनी पड़ेंगी ताकि कुए सुगमता से खुद सकें।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसी प्रकार से पंचायतों के तहत आपने ५० एकड़ के तालाब उनको दे दिये मगर उनकी मरम्मत के लिए या उनके दूसरे कामों के लिए पैसों का कोई प्रावधान नहीं किया और उसमें भी जो पंचायत समितियों को पैसा दिया जाता है तालाबों की मरम्मत के लिए वह इतना अपर्याप्त है कि अब तक पंचायत समितियों के तहत जो तालाब गये हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और वे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायत को जो तालाब दिये गये हैं उनके कार्य के लिए उचित मात्रा में रकम दिलाई जाये ताकि यह ठीक तरह से बन सकें। इसी प्रकार से दूसरे अधूरे कार्य जो स्कूलों के संबंध में हैं, अस्पतालों के सम्बन्ध में हैं या और भी कोई अधूरे काम हैं-राजस्थान की पंचायतों में बहुत से काम हुए हैं, हर गांव में दो-तीन काम हुए होंगे, वे काम अब तक धन के अभाव में अधूरे पड़े हुए हैं इसलिए जो जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनकी जांच कराके विकास विभाग को चाहिए कि ऐसे कामों को पूरा कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा दें।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समितियों के तहत कुएं खुदवाने के लिए तकाबी देते हैं उसके द्वारा हम यह चाहते हैं कि कुएं ज्यादा से ज्यादा खुदें, खेती में वे उन्नति करें और खेती में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, मगर इसके साथ ही साथ रूरल अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की तरफ से कम्प्रेशर मशीनें भेजते हैं उनका इतना अभाव है कि पंचायत समितियों में वह पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पातीं जिसकी वजह से किसानों को कुएं खुदवाने में कठिनाइयां आती हैं। दूसरे यह कि वहां पर पैसा जमा करा देते हैं और टाइम पर कम्प्रेशर नहीं पहुंचता और वह पैसा वापिस भी नहीं मिल पाता और उसमें साल साल भर लोगों को लग जाता है। कम्प्रेशर मशीन आ भी जाती है-२०० रुपये किसी ने जमा कराये तो १०० रु० का खोदकर चले जाते हैं और १०० रुपये उनके जमा रह जाते हैं और काश्तकारों को वह १०० रुपया वापिस नहीं मिल पाता है। इस तरह की कठिनाइयां हैं। मेरा सुझाव है कि पंचायत समितियों को इस काम को आवश्यक तौर पर करना है यदि वह खेतीबाड़ी में उन्नति करना चाहते हैं तो। इसलिए सुझाव यह है कि सरकार को चाहिए कि जहां भी इस प्रकार का प्रावधान है या जो पंचायत समिति आपके पास सुझाव भेजें कि हमको काफी कुएं खुदवाने हैं तो ऐसी पंचायत समितियों को आपको कम्प्रेशर की मशीनें दे देनी चाहिए लोन वगैरह देकर, ताकि कम्प्रेशर के द्वारा वे अपने कुएं आसानी से खुदवा सकें और आपको यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि कुछ पंचायत समितियों ने अपनी इन्कम से कम्प्रेशर की मशीनें मंगाई और एक साल में ही उन्होंने उस पैसे की पूर्ति कर डाली। इस प्रकार की मशीनों की बहुत सी काफी इतनी मात्रा में आवश्यकता है।

जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर और ग्राम-सेवक और फील्डमैन इस प्रकार के बहुत से आदमी खेती बाड़ी के संबंध में रहते हैं। मगर उन दिनों जब सिर्फ

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ब्लॉक्स के ग्राम सेवकों में जिस प्रकार का उत्साह था जब कि पंचायती राज्य कायम नहीं हुआ था और ए० ई० ओ० और ग्राम सेवक काम करते थे उस प्रकार का काम पंचायती राज्य के बनने के बाद नहीं हो रहा है; इन लोगों में कुछ शिथिलता आ चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट दोनों को चाहिए कि अगर खेतीबाड़ी में तरक्की करना चाहते हैं और विकास करना चाहते है तो जो सबसे मोटा मुद्दा है और जिसके द्वारा पंचायती राज्य को सफल बना सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो ऐसी मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा हमको एक्टिव बनाना चाहिए ताकि हमारे वे प्रोग्राम सफल हो सकें।

इसी प्रकार से आसींद पंचायत समिति के अन्दर आपने पिछली साल कॉटन पैकेज प्रोग्राम में उसको लिया, मगर मशीनरी के अभाव में न तो कोटन फील्डमैन आये, न किसी प्रकार का सीड बांटा गया और न दूसरे कॉटन इन्स्पेक्टर वगैरह आये और उसके साथ ही साथ जो दूसरी मशीनरी कॉटन पैकेज के संबंध में और उनमें जो बीमारियां लग जाती हैं और जो दवायें छिड़कने की मशीनें होती हैं उनके अभाव में इस पकेज प्रोग्राम को पूरा नहीं कर पाये। या तो इस पैकेज प्रोग्राम को हाथ में लेना ही नहीं चाहिए था और यदि लिया ही है तो आपको पूरे के पूरे साधन देने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा रेवेन्यू विभाग की पंचायतों, पंचायत समितियों के साथ जिस प्रकार का सहयोग है उससे भी यह नहीं कह सकते कि इससे हमारी पंचायतों को, पंचायत समितियों को कुछ इमदाद मिली है। जहां तक चरागाह, नामांतरकरण के मामले और अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड का प्रश्न है इन सब प्रश्न को रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का सहयोग नहीं मिला है जैसा कि उनको मिलना चाहिए। लोग चरागाह पर नाजा-बज़ कब्जा करते चले जा रहे हैं मगर कोई केसेज़ उनके खिलाफ इन्स्टीट्यूट नहीं करते। नामांतरकरण के मामले चलते आ रहे हैं। पंचायतों की हिदायत के बावजूद भी पटवारी पंचायतों के पास नहीं आते। इसी प्रकार से पंचायतों और पंचायत समितियों में जमीनों के अलॉटमेन्ट का सवाल है वह भी हल नहीं हो पाता तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट का जो सहयोग है उसके अभाव में पंचायतों को इमदाद नहीं मिलती। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हम पंचायतों की नींव को मजबूत नहीं करेंगे तब तक पंचायत समितियां सफल नहीं हो सकती हैं। आज न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें दो प्रकार की प्रणाली हैं। जैसा कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में है कि पंचायतों की आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक पंचायतों की आर्थिक हालत आप ठीक नहीं करेंगे तब तक हम पंचायती राज्य को ज्यादा से ज्यादा मजबूत नहीं बना सकते। मेरा सुझाव है कि पंचायतों को जो आय है रेवेन्यू की उसमें से सेन्ट परसेन्ट नहीं, तो कम से कम ७५ प्रतिशत पंचायतो को आय देनी चाहिये ताकि ये मजबूती से चल सकें

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और अपने क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट।

इसी प्रकार से न्याय पंचायत के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विकास पंचायत और न्याय पंचायत को अलग अलग कर दिया है। जब कि विकास पंचायत और न्याय पंचायत पहले एक साथ थी तब पंचायत के लोगों का हर प्रकार का सहयोग भी मिलता था, मगर जब से न्याय पंचायत अलग बनी है तब से पंचायत और गांव का सहयोग नहीं मिलता है, और न्याय पंचायत की हालत यह हो रही है कि उनको कोर्ट फीस के अलावा और किसी प्रकार का आर्थिक साधन उनके पास में नहीं है, यहां तक कि वे अपने क्लर्क और चपरासी को पैसा भी नहीं चुका सकते उनकी हालत दिन पर दिन बदत्तर होती जा रही है। इसलिए उनको राज्य सरकार की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। इसी प्रकार से प्राइमरी हैल्थ सैन्टर....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन): आपका मतलब यह है कि उनको अलग अलग नहीं रखें?

श्री गिरधारीलाल व्यास: मेरा मतलब यह नहीं है, पर मेरा मतलब यह है कि उनकी आर्थिक हालत जो बिगड़ रही हैं उसको सरकार की तरफ से सहयोग देकर ठीक करना चाहिये ताकि वे सुचारू रूप से चल सकें।

इसी प्रकार से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में बड़े बड़े अस्पताल करोड़ों रुपयों की लागत से बनाये जाते हैं। गांवों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाते हैं जब कि गांव वाले १० हजार रुपया देंगे, तब जाकर वह काम होगा। गांव वाले रुपया भी देते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद भी यूनीसेफ से जो मदद मिलनी चाहिए दवाइयों की, जो स्टाफ मिलना चाहिए उस स्टाफ की पूर्ति में जिस प्रकार की इमदाद गांव वालों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से इमदाद दिलवाई जाय।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट नहीं, एक मिनिट में खत्म करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: कृषि सहकारी समिति के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह मान कर चलते हैं कि हमारे यहां लोग इकट्ठे होकर खेती करें और राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिले। हमारे यहां आसींद पंचायत समिति में एक कृषि सहकारी समिति बनाई गई और उसके १५ सदस्य होंगे। और उनको ७०० बीघा जमीन भी एलॉट की गई, मगर वह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जमीन एक आदमी खा रहा है। उस पर न स्वयं वह खेती करता है और न दूसरे मेम्बर ही खेती करते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी ही सारी जमीन को हड़प कर रहा है और सारा फायदा उठा रहा है बिचौलियों से खेती करवा कर....

श्री परसराम मदेरणा : फार्मिंग सोसाइटी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक आदमी जो यह कर रहा है तो सरकार को चाहिये कि ऐसी सोसाइटी को भंग करके ७०० बीघा जमीन को जिसका कि वह नाजायज़ फायदा उठा रहा है उसको सरकार अपने तहत में ले।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक प्रश्न जिला परिषदों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जिला परिषदों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे और जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं कलेक्टर वगैरह उनको जिला परिषद् के तहत में लाकर वह नहीं करेंगे तब तक जितने भी डेवलपमेंट का काम हम करना चाहते हैं, विकास का काम करना चाहते हैं वह पूरा नहीं हो सकेगा। अगर हम विकास का काम करना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अमरसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या २२, मख्य शीर्षक ३७ के तहत पंचायती राज्य के अपने हाल ही के अनुभव आपके द्वारा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

पंचायती राज की स्थापना २ अक्टूबर १६५६ को हुई। उस वक्त हम लोगों ने यह सुना कि स्वर्ग आसमान से उतरकर जमीन पर आने वाला है। किसी ने तो यह कहा कि लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण हो जायेगा, किसी ने कहा कि गांवों का विकास हो जायेगा, किसी ने कहा कि सस्ता न्याय मिलेगा, और न जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलीं। लेकिन अब देखें कि वाकई जो हम सोच रहे थे उसमें सफलता मिली है ? मैं तो यह देखता हूं कि पंचायती राज बनने से पहले जो पंचायतों की हालत थी वह आज खराब हो गई है। उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती चली गई। उसका खास कारण यह है कि पहले बड़ी बड़ी पंचायतें थीं वे अब छोटी कर दी गई हैं और न्याय पंचायतें उनसे अलग कर दी गई हैं गवर्नमेंट को न मालूम क्या सूझबूझ आई। इसका कारण मैं समझता हूं कि छोटे छोटे नेता जो गांवों के हैं उनको पकड़ कर पार्टी के काम में लगाना है, अपनी पार्टी का सम्पर्क बढ़ाना चाहते हैं इसलिए उनके लिये यह फील्ड खोल दिया है। नहीं तो इसकी आवश्यकता ही क्या थी ? बड़ी बड़ी पंचायतें थीं और सब गांवों के लोग बाग एक पंचायत में आ जाया करते थे और काम हो जाता था। इससे प्रशासनिक खर्चा ज्यादा होता है। अब चार जगह सेक्रेटरी और चपरासी की नियुक्ति करनी पड़ती है।

(श्री अमरसिंह)

तो दूसरा, अगर हम यह देखें साहब कि यह विकास का काम हुआ तो मैं यह कहूंगा कि कोई विकास होने को नहीं आया, शायद वह कागजों में हो...

(गणपूरक-घंटी)

मैं यह अर्ज कर रहा था कि विकास के मामले में खाने-पीने की जो सामग्री है उनका विकास कुछ नहीं हो पाया है, मगर थोड़ा बहुत कुछ कहा जा सकता है तो कहीं कहीं कुछ पंचायत भवन या स्कूल के खंडहर जरूर खड़े हुए हैं, कोई आधे बने हैं और आधे वैसे ही हैं, पूरा काम नहीं हुआ है। इसका खास कारण क्या है ? मैं जहां तक समझा हूं वह यह है कि सरपंच जो वहां के जैसे होने चाहिए वैसे चुन कर नहीं आ रहे हैं। उसका भी खास कारण मैं यह बतलाऊं कि अच्छे आदमी आगे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ? इसलिए कि सेवाभाव से काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग घर का काम छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि काम में खलल पड़े तो कुछ न कुछ दिया जाय पारिश्रमिक। इसके लिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। प्रधान के ५०-५०) रु० ज्यादा बढ़ाये जाते हैं, प्रमुख के बढ़ाये जाते हैं, और एम० एल० ए० को भी कई प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो फिर पंचों और सरपंचों के साथ अन्याय क्यों होता है ? उनको भी कुछ न कुछ पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि अच्छे लोग आगे आ सकें और काम कर सकें। "भूखे पेट भजन होई न गोपाला।" इसकी मन्शा साफ यह है कि अच्छे लोगों को आगे लाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि बुरे लोग जो खा-पी जायं, स्वार्थी लोग हों वे रहें और हमेशा उनके सिर पर तलवार लटकाये रहें और वे आपके मन के मुताबिक चलें। इस तरह से पंचायती राज ठीक तरह से नहीं चल सकता है।

असल में देखा जाय तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पंचायती राज्य सरकार के चुनाव के वास्ते एक संस्था मात्र ही है। वे चाहते हैं कि हर गांव में उनका एक एक एजेन्ट हो जाय और जनरल इलेक्शन में उनकी मदद करें और उनकी पार्टी को तरक्की दें; इसके अलावा और कुछ नहीं दिख पा रहा है।

इसके अलावा पैसा जो दिया जाता है, अनुदान खूब दिया जाता है और वह भी कब दिया जाता है जबकि बरसात का एन मौका होता है। वे लोग रिपोर्ट कर देते हैं कि बरसात के होने से पुलिया बह गई, तालाब ढह गये और नाप वगैरह नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने पहले भी यह अर्ज किया था कि बरसात से पहले यह होना चाहिए और एन मौके पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पैसा देना चाहते हैं तो कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार से तलवार उनके सिर पर लटका कर रखना चाहते हैं। इसके बारे में मैं दो-एक मिसालें देना चाहता हूं। एक पंचायत बिचून, तहसील दूदू में है वहां के सरपंच ने डबल रोकड़ बही रखी और कुछ लोगों ने यह वहीं बरामद करा दी और कलेक्टर साहब का फैसला हुआ कि वाकई ४२० की गई है, डबल रोकड़-बही रखी गई है और गबन किया है

(श्री अमरसिंह)

लेकिन फिर क्या होता है कि उसको दबा दिया जाता है। जब उसका क्वेश्चन यहां रखा गया यह देखने के लिए कि यहां उसका क्या जवाब देते हैं कि उसका निलम्बन किया या नहीं किया। तो उन्होंने फौरन दुबारा इन्क्वायरी के लिए भेज दिया और जवाब दे दिया। मैं नहीं समझता कि जब उसका कुसूर बन चुका है तो दुबारा इन्क्वायरी के लिए भेजने की जरूरत क्या है? अध्यक्ष महोदय, वह इन्क्वायरी भी दो चार महीने के लिए होती तो कोई बात होती। लेकिन उसे भेजे हुए दो साल हो गये हैं। इसका नतीजा यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस केस को पब्लिक के सामने नहीं आने दिया है और येन-केन प्रकारेण उसको सरपंच बनाया गया। इसका नतीजा यह होता है कि वह अगर पार्टी का साथ छोड़ कर चला जाता है तो उसके ऊपर हमेशा यह तलवार लटकी हुई है कि उसको फौरन निलम्बित कर दिया जाय। इस प्रकार उसको आप लटकाये रखना चाहते हैं।

इसी प्रकार बिकानी के सरपंच का उदाहरण देना चाहता हूं। जो पंचायत समिति दूदू में है उसको बच्चों के स्कूल के लिए, सड़क के लिए रुपया दिया गया। उसके बाद नक्शा वगैरह पहले वाले डाइमेन्शन का न बना कर उसे तब्दील कर दिया गया और रुपया खा-पी गये। इसके साथ ही जो जम[illegible] अलॉटमेंट हुआ है वह अपने छोटे छोटे [illegible] बच्चों के नाम जमीन का एलॉटमेंट करवा दिया है। इसकी वहां की पब्लिक ने शिकायत की है और एक एक कॉपी हर विभाग को-आपका जो एन्टी करप्शन विभाग है, विजिलेन्स कमीशन है-भेजी है और नन्दा जी तक भी भेज दी है। लेकिन उनका नतीजा क्या हुआ? कोई इन्क्वायरी उसकी नहीं कराई गई है। क्योंकि उसको दुबारा जिता कर लाना था, इसलिए अगर उसकी इन्क्वायरी होती तो पब्लिक पर बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए उस कागज को दबा दिया गया। इस प्रकार आप पंचायतों को जागीर बना कर रखना चाहते हैं। इन पंचायतों में हमें अच्छे और योग्य आदमियों के हाथ में देना चाहते हैं लेकिन बुरे आदमियों को अपने पक्ष में करके आप उनके सिर पर तलवार लटकाये रखना चाहते हैं। फिर आप एलान करते हैं कि आपकी पॉलिसी अच्छी है इसलिए आपकी पार्टी जीत कर पंचायत राज्य में आ सकी है और आपकी पार्टी ने पंचायत राज्य के चुनावों को जीता है। मैं आपको बता दूं कि पंचायत राज्य के चुनावों में आप जीते नहीं है बल्कि यह भी आपका एक षड्यंत्र मात्र है। इसका नमूना अभी आपको बताने को तैयार हूं। जब समय समय पर आपकी गलत नीतियों के कारण लोग नाराज हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि उनके सामने किसी प्रकार का करिश्मा, जादू का खेल दिखा कर चकाचौंध करने वाला बम्ब छोड़ दिया जाय ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाय। इसके लिए १९५९ के अन्दर इस सरकार के द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार का जब लोगों के सामने नजारा रखा गया तो लोगों ने देखा कि अब क्या होने वाला है। अब तो स्थिति सुधर गई है।

(श्री अमरसिंह)

अब क्या स्थिति होने वाली है। जब वह चीज ठण्डी पड़ गई तो देश के अन्दर आप कामराज योजना को ले आये और दुबारा लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। फिर आपने देखा कि मामला ढीला पड़ता जा रहा है तो आपने देखा कि जनरल इलेक्शन आ रहा है इसलिए उससे पहले पंचायती चुनाव के अन्दर विजय प्राप्त करें। अब आप यह एलान करने लगे हैं कि लोगों को आपकी नीतियां पसन्द हैं इसलिए आप पंचायती चुनाव के अन्दर जीत कर आये हैं। लेकिन यह आपका षड्यंत्र मात्र है, वर्ना आपकी वास्तविकता को हर व्यक्ति समझता है। आप येन केन प्रकारेण पंचायत-चुनाव में जीत कर आये हैं उसका कारण यह है कि आप अयोग्य और बुरे आदमियों को सरपंचों के पद पर लाकर उनके सिर पर यह तलवार लटकायें रखना चाहते हैं। इस तरह की नीति आपने बना रखी है।

दूसरी बात यह है कि आपने चुनावों का तरीका इतना लम्बा बनाया है कि तीन-चार महीने तक किसान, व्यापारी या धन्धा करने वाले आदमी इस प्रकार के चुनाव में नहीं पड़ते हैं। इतना टाइम और पैसा उनके पास नहीं होता है इसलिए वे लोग नहीं आते हैं और जो पैसे वाले लोग हैं वे चुनावों में जीत कर आ जाते हैं। यह प्रणाली भी एक तरह का षड्यंत्र है। इसके बाद आपने चुनाव इतने खर्चीले बनाये हैं कि पच्चीस, तीस हजार रुपया प्रधान के चुनाव में लग जाते हैं। यह हर एक गरीब के लिए सम्भव नहीं है, जो हलुआ और बर्फी लोगों को खिला सकें और चुनाव जीत सकें। जिन लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल सकता, वे लोग खिलाने के लिए कहां ला सकते हैं और लोगों को इतने दिनों तक रोक सकते हैं। आप समझते हैं कि यह आपकी वास्तविक जीत है और आपकी सही नीति है। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : भ्रष्टाचार की जीत है।

श्री अमरसिंह : इसके बाद आपने मास्टर लोगों को पंचायत समिति के नीचे दे दिया है। यह भी आपके षड्यंत्र का एक नमूना है। आप उन मास्टरों से अपना प्रचार करवाते हैं और दूसरी ओर उन्हीं मास्टरों को आप चुनाव के वक्त पोलिंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं। वह जाकर अनियमित तरीके से, जिनके नौकर हैं पंचायत समिति के प्रधान के, उनका पक्षपात करते हैं। अपनी मदद कराने के लिए आपने यह तरीका अख्तियार कर लिया है...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : पंचायत समिति के टीचर्स को पोलिंग ऑफिसर और इलेक्शन स्टाफ में नहीं लगाया जाता।

श्री अमरसिंह : जो फागी के टीचर्स हैं उनको दूदू में लगाया गया है, सब जगह लगाये गये हैं। यह हो सकता है कि आपकी तरफ नहीं लगाये हों, लेकिन हमारी तरफ लगाये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : सब जगह लगाये गये हैं।

श्री अमरसिंह : इसके अलावा पहिचान के वास्ते जनरल इलेक्शन में स्याही का निशान अंगुली पर लगाया जाता है जिससे मालूम हो जाय कि यह आदमी वोट डाल कर आया है। इस तरीके को खास कर इन पंचायत चुनावों में हटा दिया है। चुनाव के पहले जो चुनाव गाइड निकली उसमें यह लिख कर दे दिया कि निशान नहीं लगाये जायेंगे। इसका कारण यह है कि आप यह चाहते थे कि अगर चुनाव के वक्त यह देखें कि दस-बीस आदमी के वोट से अपनी पार्टी का आदमी हार सकता है और जब खिलाफ पार्टी के लोग अधिक आते हैं और वोट देते हैं तो आपके आदमी आकर चार-चार, पांच-पांच वोट डाल जाते हैं। जब उन वोटों को डालने वाले असली आदमी आते हैं तो उनको कहा जाता है, आप पहले डाल गये हो, अब क्या दुबारा डालना चाहते हो। सरपंच और उसकी पार्टी के आदमी बैंठे हुए होते हैं, वह अगर बोलते हैं तो उनको जवाब दिया जाता है कि डिस्टर्ब मत कीजिये ; आप हमारे काम में डिस्टर्ब करेंगे तो बाहर निकलवा देंगे। इस तरह सरपंचों को बाहर निकलवा भी दिया गया है। आप इस तरह गुंडों के जरिये पांच-पांच वोट डलवा देते हैं जो आदमी उपस्थित नहीं उनके। इस तरह आपने मास्टर वगैरह के द्वारा यह काम लिया है और चुनावों में कामयाबी हासिल की है। इसके बाद भी जो व्यक्ति खिलाफ पार्टी के जीत गये हैं उनके लिए आपने यह उपाय किया है कि उनकी पेटियों पर तहसीलदार की मोहर लगवा दी गई और कहा गया कि पिटीशन से वास्ते काउंटिंग किया जायगा कि कितने इनवेलिड वोट डाले हैं। इस प्रकार ग्राउन्ड पिटीशन के लिए तैयार किये गये हैं और उनके सिर पर भी एक तलवार लटका दी है कि तुम्हारे खिलाफ पिटीशन करवा दी है। या तो इधर बैठो नहीं तो दुबारा गिनती करवा कर हरा देंगे। यह तरीका आपने अपनाया है।

आपका यह भी तरीका रहा कि चुनाव जातिवाद के जरिये जीते हैं। पहले लोगों में जातिवाद भड़काया और उनमें से केन्डीडेट खड़े किये और उन्होंने विजय प्राप्त की। इसका ज्वलन्त उदाहरण सांगानेर का देना चाहता हूं। वहां कांग्रेस टिकट दिया एक ब्राह्मण को। पहले तो जाट ही जातिवाद के लिए बदनाम थे। अब दूसरे लोगों ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें। अब ब्राह्मणों ने जातिवाद अपनाया है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस का केन्डीडेट ब्राह्मण था वह जीत गया और जीतने के बाद प्रमुख बन गया है। यह निश्चित हो जाता है कि यह आदमी कांग्रेस का है। अब की बार ब्राह्मण को दे दिया, पहले राजपूत को दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार आपकी पार्टी का ब्राह्मण था और पहले जिस केन्डीडेट को जिताया था उस राजपूत को आपने टिकट दिया नहीं। वह तो हार गये इस वक्त पार्टी का जोर कहां गया। इस वक्त वह ब्राह्मण आपने जिता दिया। उसको आपका केन्डिडेट समझ कर लोगों ने वोट दिया था क्योंकि वह हलुए और बर्फी के अन्दर बिक गये। यह पार्टी की जीत नहीं हुई, यह तो जातिवाद का नमूना हुआ। यह आपका षडयंत्र है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री अमरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये नीतियां बहुत गलत हैं । इसलिए इसमें सुधार करें वर्ना जो एक अरब रुपया पंचायती राज्य में खर्च किये हैं वह व्यर्थ में समझता हूं और इस अनुदान का मैं विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास योजना पर बहस चल रही है । उसमें मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं विकास के बारे में....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : कोरम ही कोरम है । बहुत काम है ।

श्री श्रवणलाल : विकास के बारे में सरकार ढिंढोरा पीटती चली आ रही है और विकास के नाम पर सरकार बहुत बड़ा खर्च करती है इसका ढिंढोरा पीटती चली आ रही है–लेकिन यह खर्च किस प्रकार से किया जाता है. .

(गण-पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सदन की बैठक को सफल बनाने के लिए सत्तारूढ़दल की कम दिलचस्पी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सत्तारूढ़ दल और बेसत्तारूढ़ दल क्या ? आप और हम यहां बैठे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी मन्शा नहीं है तो इसे भंग कर दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मन्शा नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : भीखाभाई नहीं है, नहीं तो हाउस का कोरम बना रहता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हो सकता है, यह मेरा दुर्भाग्य है ।

श्री श्रवणलाल : हमारी सरकार इस विकास के नाम पर धन-राशि खर्च करती है, उसको अगर देखा जावे और सही तरीके से खर्च किया जावे तो हमारी सरकार में बहुत अच्छी तरह से विकास हो सकता है लेकिन यह विकास एक नाममात्र विकास है । इसमें कुछ ही आदमी जो हमारी सरकार के चापलूस हैं या चिलम भरने वाले कहिये, वे ही आदमी इस विकास में फायदा उठाते हैं । जैसा कि मैंने कई बार सदन में पंचायत समिति के कुछ प्रश्न उठा कर कई बार प्रश्न पूछे । जिसमें सही रूप से गबन साबित होता है और कई प्रश्न ऐसे थे जहां विकास का कार्य नहीं किया गया और कई में बड़ा घोटाला था, मगर उन प्रश्नों को सरकार की तरफ से बहुत सीधेपन से टाल दिया गया । कुछ समय पहले मैंने पंचायत समिति हिन्डौन में ग्राम पंचायत बरगमा के लिए एक लेडी क्वार्टर के लिए २।। हजार की मंजूरी हुई । उसके लिए हमारे माननीय मंत्री ने बताया कि उसका काम प्रगति पर बदस्तूर चल रहा है । लेकिन उपाध्यक्ष

(श्री श्रवणलाल)

महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह बड़े अफसोस की बात है कि आज भी वहां जाकर मालूम किया जावे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर लेडी क्वार्टर का नाम निशान नहीं है और इसलिए सरकार को झूठी सूचना भेज कर यह बता दिया जाता है कि वर्क चल रहा है और योजना का काम पूरा हो रहा है। इस तरह से उत्तर देकर हमारे इस सदन को वहम में डाल दिया जाता है।

ऐसी योजनाएं जो हमारी सरकार ने कुछ हरिजन भाइयों के लिए, कोलोनी के लिए रखीं, मैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए कुछ पैसा फ्री दिया जाता है उसमें ७५० फ्री दिया जाता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि उस कोलोनी के नाम पर पैसा खर्च किया गया लेकिन वह कोलोनी नाममात्र के लिए कोलोनी है। जैसा मैं आपको मिसाल के तौर पर एक कोलोनी का नाम ले रहा हूं। पंचायत समिति रायसिंहनगर में कोलोनी बनाने के लिए सन् १९६० में करीब २८ हजार के आस-पास रकम दी गई। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत विजयनगर को १० हजार, दूसरी ग्राम पंचायत नजबो को ८७५० रुपये और ग्राम पंचायत भोमपुरा को १० हजार रुपये। इसमें से पहली ग्राम पंचायत को ५ हजार, दूसरी ग्राम पंचायत को ४३७५ और तीसरी ग्राम पंचायत को ५ हजार रुपये दिये। उपाध्यक्ष महोदय, पहली किश्त दे दी गई और उसके बाद में दूसरी किश्त भी एक दो और ग्राम पंचायत को दे दी गई। लेकिन आज भी मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जब यह प्रश्न विधान सभा में उठाया गया तो यह बताया गया कि काम प्रगति पर है। पहली किश्त के पैसे लग चुके हैं और दूसरी किश्त के पैसे भी लग रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इसी बात का है कि वह कोलोनी कहां है और वह पैसा कहां पर लग रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : पंचायत समिति का क्या नाम बताया आपने ?

श्री श्रवणलाल : पंचायत समिति रायसिंहनगर।

श्री मथुरादास माथुर : यह गंगानगर में है या और कहीं की है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह पंचायत समिति कौनसी है ?

श्री श्रवणलाल : मैंने पंचायत समिति रायसिंहनगर आपको बताई है वहां पर पंचायत समिति द्वारा कोलोनी बनाई जा रही है।

श्री मथुरादास माथुर : रायसिंहनगर तो गंगानगर में है।

श्री श्रवणलाल : मैं पंचायत समिति रायसिंहनगर की बात कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आपको पता नहीं है कि यह पंचायत समिति कहां पर है।

श्री श्रवणलाल : तो एक तरह से माननीय उपाध्यक्ष, जो ७५०) रु० के हिसाब से रिजर्व रखे जाते हैं वह भी नहीं के बराबर है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप जो उनको ७५०) रुपये देते हैं उसको बढ़ा कर १०००) रु० कर दें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्ध रखता है। मैं इसका कैसे जवाब दूंगा ? कोई एग्रीकल्चर की या कोई ट्रेनिंग सेन्टर की बात कहते। पंचायती राज्य के विकास की बात आप कहें उसका मैं आपको संतोषपूर्वक जवाब दूंगा। लेकिन एक समाज कल्याण विभाग की बात आप कह रहे हैं उसका मैं जवाब कैसे दूंगा ? यह अलग डिमान्ड है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे मेरे विषय की डिमान्ड के बारे में कहें तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : समुदाय विकास में सभी आ जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह अलग डिपार्टमेंट है। बजट अलग है। समाज कल्याण विभाग के कमिश्नर को पता नहीं, मिनिस्टर को पता नहीं। फिर भी आप जो कुछ कहें आपकी मर्जी है। रावला तेल पल्ले में लीजे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): आप रावला तेल पल्ले में ले लीजिये और माननीय मंत्री को कमजे कर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा कोट फट जावेगा और तेल भी सारा ढुल जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहें।

श्री श्रवणलाल : कोई बोलने वाला नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : इधर कई बोलने वाले हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इधर से एक ही बोलने वाला है।

श्री मथुरादास माथुर : आप बोल लिये तो सब बोल लिये। हाथी के पैर में सब आ जाता है।

श्री श्रवणलाल : आपने एतराज किया तो मैं इसको छोड़ता हूं। पंचायत समितियों में अनुदान दिया जाता है उसमें भेद-भाव की नीति अपनाई जाती है। जो उनकी पार्टी का आदमी होता है उनको अनुदान दिया जाता है और जो विपरीत पक्ष का आदमी होता है उसको अनुदान नहीं दिया जाता है। आप इसके लिए अनुदान के आंकड़े उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, नजर आवेंगे कि जिनको साल में एक पैसा भी नहीं दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल ठीक है।

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की भेद-भाव की नीति जो वर्ती जाती है वह नहीं रखनी चाहिए और जो अनुदान के पैसे हैं उसको हर पंचायत समिति में हर पंचायत को बराबर दिया जाना चाहिए जैसा कि मैंने बताया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ऐसी कौनसी पंचायत समिति है ?

श्री श्रवणलाल : मैंने बताया कि कुछ इसी तरह की....

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मुझे उत्तर देना है आपको और आप अनुदान नहीं दिया गया इसकी बात करते हैं। कई विभाग हैं जो अलग अलग अनुदान देते हैं। तो मुझे यह मालूम पड़ जावे कि किस विभाग ने अनुदान नहीं दिया। इसलिए आप उसको जरा बता दें, वर्ना आप कहते हैं कि नहीं मिलता और हम कहते हैं कि मिलता है। बस फैसला हुआ।

श्री श्रवणलाल : हिन्डौन पंचायत समिति में कई पंचायतें ऐसी हैं जिनको अनुदान नहीं दिया गया ; ढंडोर है, सूरोट है।

एक माननीय सदस्य : ये तो ग्राम पंचायतें हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अगर पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को नहीं दे तो उसका तो हम क्या करें ? यह उनका काम है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य का कहना यह है कि पंचायतों में इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये ; बिना इस प्रकार के विचार के कि वे किस पक्ष की हैं, किस पार्टी की हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जन-सहयोग देवें ही नहीं, तो रुपया कैसे मिल सकता है?

श्री मथुरादास माथुर : हम कब इन्कार करते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पंचायत समितियां अगर इस पर पाबन्द नहीं रहें तो फिर तो सरकार को इन्टरफियर करना चाहिये।

श्री श्रवणलाल : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं, कुछ पचायत समितियों के अन्दर जिनको कि कोई अनुदान नहीं दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं हों और सबको बराबर हिस्सा दिया जाना चाहिये।

हमारे यहां की पंचायत समिति के ग्राम बरमवा में लेडीज क्वार्टर्स के लिये जो पैसा दिया गया था उससे और श्रमदान वहां के लोगों ने देकर ५००० की लागत से एक स्कूल भवन बनाया गया था। उस स्कूल भवन को पंचायत समिति के प्रधान ने दूसरे व्यक्ति को ७५० रुपयों में बेच दिया, यह शर्म की बात है। जहां जनता का श्रमदान लगा, जनता का पैसा और सरकार का पैसा लगा और उससे ५ हजार की लागत का

(श्री श्रवणलाल)

१. स्कूल भवन बनाया गया, उस भवन को ७५० में प्रधान द्वारा बेच दिया जाय, इस पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार अनुदानों के बारे में पक्षपातपूर्ण नीति चलती आ रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अनुदानों की रकम जो कि कुओं के लिये मिलती है उन कुओं का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं । खीपकेपुरा में एक कुएं के लिये २००० रुपया मंजूर हुआ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, वह दो हजार रुपया गायब हो गया, उसका कोई पता ही नहीं, पंचायत समिति ने २००० रुपया दिया, उसका भी कोई पता नहीं कि वह किसकी जेब में है, कहां गया, कैसे गया, किसने खाया, आज तक कोई पता नहीं है। जो हरिजन पानी पीने के लिये कुआ बनवाना चाहते थे। उन्होंने निजी श्रमदान करके पानी पीने योग्य बनाया । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दो दो जगह से रकम मंजूर हो कुएं के लिये एक भी जगह का पैसा नहीं लगे और चार हजार रुपया इस तरह से गायब हो जाय, उसका आज तक कोई पता नहीं लगाया जाय कि वह रुपया कहां गया यह बड़े आश्चर्य की बात है । मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पैसा खाने वाले हैं उनके खिलाफ जरूर कोई न कोई कदम उठाना चाहिये और वह रुपया वसूल किया जाना चाहिये ।

पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं कि इस विभाग के नीचे अध्यापकों के आ जाने से अध्यापकों के लिये एक बड़ी भारी समस्या हो गई है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा था प्रधान और और एस. डी. आई. अध्यापकों को किस प्रकार परेशान किया करते हैं । हमारी पंचायत समिति हिन्डौन के प्रधान और वहां के एस० डी० आई० ने एक अध्यापक के विषय में लिख कर दिया था कि अगर इस लड़के को पास नहीं किया तो आपको मोअत्तिल कर दिया जायगा, इसकी चर्चा मैंने इस सदन में पहले भी उठाई थी पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वह अध्यापक परेशान है, उसको ग्रेड इन्क्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है और १४ महीने हो गये उसको वेतन तक नहीं मिला है । इस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है । आजकल इस प्रकार का सर्क्यूलर है कि छोटी तनख्वाह वालों को होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाय, पर प्रधान और एस. डी० आई० मिल कर ८ मास्टरों को दूसरे जिलों में ट्रान्सफर कराने की कोशिश कर रहे हैं । इस प्रकार की गलत कार्यवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये और जल्दी से जल्दी ऐसे अधिकारियों को जो कि अध्यापकों को इस प्रकार बिना किसी अपराध के परेशान करते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेकर जो इन्क्रीमेंट और वेतन अध्यापकों को नहीं दिया जा रहा है वह दिलाना चाहिये । इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा अर्ज न करके एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूं । सूरतगढ़ पंचायत समिति के जो प्रधान हैं उन्होंने १६ हजार रुपये का खाद और बीज बेचा था, जबकि पंचायतों के

(श्री श्रवणलाल)

सक्यूंलर के अन्दर यह साफ लिखा हुआ है कि प्रधान को किसी प्रकार का व्यापार नहीं करना चाहिये, पर उन्होंने वहां पर पंचायत समिति को जो पंचायत समिति को खाद और बीज दिया गया उसका खुल कर व्यापार किया है। १६ हजार का खाद और बीज उन्होंने बेचा है। इस प्रकार की कार्यवाहियां पर अगर सरकार ने कोई एक्शन ले कर रोक नहीं की तो इस प्रकार की कार्यवाहियों बढ़ेंगी। होमपुर और खानपुर, सूरतगढ़ फॉर्म के कुएं व चराई के बारे में करीब २५ हजार रुपया था, वह सरपंच बीरबलसिंह को दिया गया था, वह भी आज पता नहीं किसकी जेब में है, कहां है, जमा कराया या नहीं कराया; कुछ भी पता नहीं है। इस तरह से विकास के पैसों में बहुत घोटाले हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनिट में सुरक्षा कोष के पैसों के बारे में कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : सुरक्षा कोष का क्या प्रश्न है यहां ? इस मांग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। That's all right.

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री हीराभाई !

श्री मथुरादास माथुर : हम तो हीराभाई को सुनने को बड़े उत्सुक हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात चाहे मजाक में या ठीक समझ कर मन्त्री महोदय सुनने को उत्सुक हैं, पर अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उस वक्त समाज कल्याण और विकास खण्ड को अलग समझ कर वे खुद नहीं समझ रहे हैं तो क्या किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामुदायिक विकास के लिये हम किस तरह से चाहते थे और आज यह कहा जा रहा है। आज हमारी राष्ट्रीय नीति यह थी कि जहां ६६ प्रतिशत आदिवासी हों वहां मल्टीपर्पज ब्लॉक खोल दिये जायेंगे पर आज राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां बागीडोरा के कुछ एरिया में ९९ प्रतिशत आदिवासी रहते हैं पर वहां अभी तक कोई विकास खण्ड खोलने की सरकार की मंशा नहीं है। क्योंकि दो बार विरोधी पक्ष के सदस्य विधान सभा के लिए वहां से चुन कर आ गए....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): ये समाज कल्याण का ब्लॉक मांगते हैं, उसको समाज कल्याण वाले जानें; कॉम्युनिटी डेवलपमेंट वाला खण्ड हो तो बोलिए।

श्री हीराभाई : राष्ट्रीय विस्तार का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय विस्तार में यह आ जाता है...

श्री मथुरादास माथुर : विस्तार के मतलब में तो सदन के माननीय सदस्यों की तन्ख्वाह भी आ गई।

(२. म० प०)

श्री हीराभाई : अब जाकर इन विकास खण्डों से कुछ आदिवासी लोगों का भला होगा। विकास खन्ड इसलिए होते हैं कि वहां के आदिवासी और हरिजन जो हैं अधिक मात्रा में हैं, उन लोगों को किसी न किसी तरह से फायदा हो, उनकी तरक्की हो। दुनियां में जितने मनुष्य हैं उनके बराबर उनको लाने के लिए इतनी व्यवस्था विकास द्वारा की जाती है लेकिन आज वहां पर लगातार अकाल पड़ता जा रहा है। अभी तक मजदूरी का साधन नहीं खोला जा रहा है, लोग भूख के शिकार होते जा रहे हैं। अगर वहां सामुदायिक विकास ढंग से होता तो लोगों को मजदूरी भी मिल सकती थी। अगर कहीं शहर में ऐसी घटना होती तो मंत्री महोदय, खुद राष्ट्रपति महोदय भी चले आते लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों को जानवर के बराबर समझा जा रहा है।

(२.०२ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

वहां आदिवासी क्षेत्र जो हैं वहां पहाड़ी जमीन है और बिल्कुल पथरीला क्षेत्र है, उसको मशीन द्वारा काट कर ठीक करना पड़ेगा। पंचायती राज को सफल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कौन करेगा ? अगर करेंगे तो पार्टी विशेष को लेकर करेंगे। इसलिए जहां जहां भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां छोटे छोटे तालाब बनाने भी पड़ेंगे।

(गणपूरक घण्टी)

अगर हमें सचमुच पंचायतों द्वारा विकास करना है तो हमें पंचायतों को मजबूत बनाना होगा लेकिन पंचायतें तो क्लर्क का वेतन नहीं दे सकतीं।

एक माननीय सदस्य : कोई मन्त्री महोदय सदन में नहीं हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आ रहे हैं।

श्री हीराभाई : मन्त्री महोदय कहेंगे कि अब ग्राम सेवकों को क्लर्क बनाते हैं लेकिन मैं तो कहता हूं कि वहां क्लर्क और चपरासी को वेतन नहीं मिलता। पंचायत को आय नहीं है और आप पंचायती राज का ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन जब तक राज्य की आय में से ५० प्रतिशत पंचायती राज को मदद नहीं देंगे तब तक पंचायती राज नहीं चलेगा। मैं मानता हूं कि आपने पंचायती राज के जरिए विकेन्द्रीकरण किया है, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार किया है लेकिन इसके साथ साथ साधन भी देने पड़ेंगे। साधन तो मथुरादास माथुर योजना मंत्री के हाथ में रहेगा। अगर पंचायती राज की आवाज मजबूत करनी है तो चाहे दिल्ली की पार्लियामेंट कमजोर हो जाय लेकिन नीचे का पहिया मजबूत होना चाहिए। इसलिए ५० प्रतिशत आमदनी आपको पंचायतों को देनी होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में आदिवासी लोग झगड़ों में ही तबाह हो रहे हैं। सर-

(श्री हीराभाई)

कार कहती है कि हम सस्ता न्याय आदिवासियों को दिलायेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उधर उन गरीबों का काफी खर्च हो जाता है। सरकार को उन लोगों के लिए फ्री वकील की व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरा हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोगियों को ले जाने का वाहन है। पंचायत समिति ने २५ हजार में खरीदा है, उसका एक मील का एक रुपया लिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : जल्दी समाप्त करें, कई लोगों को बोलना है। दो मिनट और।

श्री हीराभाई : जितने आदिवासी या हरिजन लोग हैं, जो बीमार होते हैं, उनके लिए इस वाहन को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। तब जाकर रोगी बच सकता है नहीं तो गरीब रोगी पैसा दे नहीं सकेगा और उसकी जान चली जायेगी।

इसके अलावा जो अपंग हैं, उनको स्कूल जाने के लिए साइकल की व्यवस्था की जाय। पंचायत समितियों द्वारा उसकी सिफारिश की जाय और राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्री महोदया, पंचायती राज के संबंध में हमारे सदन में तकरीबन बिल्कुल दो विभिन्न विचारधारायें यहां पर पेश की गई हैं और केवल हमारे सदन में ही नहीं, इस पंचायती राज के बारे में सारे देश में दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कही जा रही हैं जो मुझे सदन में देखने को मिलीं। एक ओर से यह कहा जाता है कि हमारी जनता अभी अशिक्षित है और इसलिए पंचायती राज के जरिए इन पंचायतों को जो सत्ता दी गई है यह देना उचित नहीं है। यह कहा जाता है कि इन पंचायतों के जरिये जो हमने डेमोक्रैटिक डिसेंट्रलाइज़ेशन का सिस्टम लागू किया है, इससे सारी अव्यवस्था फैल गई है। इस दृष्टिकोण के लोग इस बात को कहते हैं कि गवर्नमेन्ट को इस कदम को वापिस ले लेना चाहिये और जब तक कि हमारे देश की जनता पूरी तरह से शिक्षित न हो जाय तब तक हमें इसे एडवेन्चर की तरफ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल इसके बरखिलाफ यह बात कही जाती है खास तौर से गवर्नमेंट के स्पोक्समैन की तरफ से कि हमने इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के जरिये देश में एक बिल्कुल क्रान्तिकारी कदम उठाया है। यह क्लेम किया जाता है कि पंचायती राज कानून लागू करके इन संस्थाओं को एस्टेब्लिश करके एक्चुअली, वास्तविक रूप से हमने राज्य की सत्ता आम जनता के हाथों में सौंप दी है और उनको अपना विकास करने का पूरा अवसर प्रदान कर दिया है और जिस प्रकार से एक सही तरीके से जनतन्त्र की हमारी कल्पना थी उसी प्रकार का एक जनतन्त्र अपने देश में, अपने राज्य में स्थापित कर दिया है।

सभापति महोदया, मैं बहुत नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दोनों ही विचारधाराओं को वास्तविकता मे दूर मानते हैं। पहली जो विचारधारा है, जो इस डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के खिलाफ है, जिसकी यह मान्यता है कि इससे देश में बहुत अहित हो रहा है, हमारे देश की जनता इस योग्य नहीं है। हमारी मान्यता है कि आमतौर पर या तो उस अधिकारी वर्ग की ओर से इस बात को कहा जाता है जो ब्रिटिश शासन काल से एक ओटोक्रेटिक रूल के आदी हैं जो हमारे देश में डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देना चाहते। जो हमारे देश की इन्डिपेन्डेन्स के हक में भी नहीं था या उन दलों या पार्टियों की ओर से इस बात का प्रतिपादन किया जाता है जो वास्तविक रूप से जनतन्त्र की हामी नहीं हैं समाजवादी इन्स्टीट्यूशन्स के विरूद्ध हैं और वही ब्रिटिश साम्राज्यवादी दलीलें आज भी दी जाती हैं जिस जमाने में चर्चिल और टोरी पार्टी कहते थे कि हिन्दुस्तान के लोग अनपढ़ हैं, हिन्दू मुसलमान आपस में लड़कर मर जावेंगे, इसलिए हिन्दुस्तान सेल्फ गवर्नमेन्ट के काबिल नहीं है। ठीक उसी प्रकार की दलीलें आज उन्हीं पार्टीज और तत्वों की ओर से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन पंचायती राज के बारे में दी जाती है।

समापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किस्म का भी यहां पंचायती राज कायम हुआ है, कमियों से भरा हुआ है जिसके बारे में मैं अभी अर्ज करूंगा उसके कारण हैं, उन खामियों को देख कर मेरे वे दोस्त जो इसकी आलोचना करते हैं वे बिल्कुल इस सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे खराबियां इस सिस्टम के अन्तर्निहित नहीं हैं। वे खराबियां वास्तविक रूप में इसलिए हैं कि वास्तव में सही तरीके से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइज़ेशन को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। जो रेशनल हैं, पूरी तरह से अमल में लाया जाना चाहिये था, पूरी सत्ता दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी जा रही है, इस कारण सही तरीके से लोगों को अधिकार नहीं होने के कारण, सही तौर पर साधन नहीं होने के कारण, अनुचित तौर पर सरकार की ओर से हस्तक्षेप होने के कारण आज यह गलत स्वरूप हमारे सामने पेश हो रहा है इस कारण ये खराबियां हैं। इसका सही हल यह नहीं है कि हम उसको कैंसिल कर दें, उस पंचायती राज के सिस्टम को खत्म कर दें बल्कि इसका हल यह है कि सही तरीके से जनतन्त्र का एक्सटेन्शन करें, नीचे तक उसको ले जायें, इसके साधनों को बढ़ायें और अनुचित तरीके से राज्य के हस्तक्षेप होते हैं उनको खत्म करके लोगों को स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर दिया जाय तब ही यह बात हो सकती है।

समापति महोदया, हमारी यह जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको जो शक्तियां प्रदत्त हैं उनकी ओर हम दृष्टिपात करें तो हमारी पंचायतों, पंचायत समितियों, और जिला परिषदों, इनमें कुछ और माननीय सदस्यों ने भी जिक्र किया है, सबसे पॉवरफुल पंचायत समितियां हैं। लेकिन उन सब को टोटल रूप में भी लेते हैं, टोटेलिटी में भी लेते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो भी कुल मिला कर जो उनकी शक्तियां है वे सीमित हैं, उनके साधन सीमित हैं, जिन साधनों की उनके पास उपलब्धियां है वे सीमित हैं, इसके अलावा जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकी हैं। अगर पंचायतों के पॉवर्स को देखें ओब्लीगेटरी और डिस्क्रीशनरी पॉवर को देखें और उनके फन्ड्स को देखें तो उनमें कोई तालमेल नहीं है। कोई अनुपात नहीं है। उनके पॉवर्स तो इतने हैं, तमाम जिम्मेदारी उन पर हैं : म्युनिसिपैलिटी के फंक्शेन्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फन्क्शन भी उनके जिम्मे हैं। गांवों में जितनी भी बातें हैं वे सब उनके जिम्मे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से साधनों की बात नहीं है। माननीय सभापति महोदया, जिस तरह कॉस्टिट्युशन ने पंचायती सिस्टम हमारे देश में कायम करने की बात कही है मैं आपको संविधान का आर्टिकल ४० पढ़ कर सुनाता हूं। वह कहता है :

"The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

सभापति महोदया, हमारी आशा थी कि हमारी ग्राम पंचायतें इस किस्म की हों कि जो राज्य की नीची से नीची कड़ी में अपने आप में पूरी तरह से पॉवरफुल हों। राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं, गांवों में किसी किस्म का काम हो, चाहे रेवेन्यू का हो, एग्रीकल्चर का हो, मेडिकल (स्वास्थ्य) विभाग से सम्बन्धित हो, किसी भी विभाग से सम्बन्धित कोई कार्य हो वे राज्य पंचायत के जरिये फंक्शन हों। इस प्रकार का कन्सेप्शन पंचायतों का हमारे देश में बनने का था। और सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार का कन्सेप्शन इस प्रकार का पूर्णतया स्वरूप देने के लिए कुछ प्रदेशों में प्रयत्न हुए थे। केरल में एक कमेटी बिठायी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इस बात को सजेस्ट किया था, इस बात की रिकमन्डेशन की थी कि वास्तव में विलेज पंचायत रीयल है, वास्तविक है। एक युनिट एक विलेज गवर्नमेंट होनी चाहिये और उसके जरिये ही आपका सारा का सारा फंक्शन होना चाहिये। एक गांव वाले के सामने उसकी हुकूमत उसका कलेक्टर और सेक्रेट्री नहीं है। उस पर जो हुकूमत करता नजर आता है वह पटवारी है, उस पर जो हुकूमत करता नजर आता है वह सिपाही है। जिस सिपाही और जिस पटवारी के तहत जिसके जरिये गांव में फन्क्शन होता है वही राज्य की पूरी सत्ता ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आनी चाहिये। उन प्रोटेगोनिस्ट या सरकार के नुमाइन्दे इस बात के लिये कमिटेड है कि हम पंचायत राज देश में कायम करेंगे मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मनोवृत्ति उन राजनैतिक दलों की है जो वास्तविक रूप में डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते और जनता का साथ नहीं देना चाहते है... .

श्री मथुरादास माथुर : आपने इधर इशारा किया या उधर ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मानता हूं स्वतन्त्र पार्टीज और इस प्रकार की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पार्टीज़ हैं जो इस बात में विश्वास नहीं करती हैं, जो वार बार इस बात को लाकर इस बात को कहना चाहती हैं जिससे इस देश में पंचायती राज का सिस्टम खत्म हो..

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) आप स्वयं टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट में विश्वास करते हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं क्या विश्वास करता हूं, मैं वही कह रहा हूं। मैं पूछता हूं इस सरकार से जो इस बात के लिए कमिटेड है, वे आज क्यों रिलक्टैंट हैं अपने पॉवर्स जिला परिषद् को देने के लिए, क्यों रिलैक्टैन्ट हैं अपने पॉवर्स पंचायत समितियों को देने के लिए, और क्यों रिलक्टैन्ट हैं अपने पॉवर्स पंचायत को देने में ? और आप क्यों नहीं इन पंचायतो और पंचायत समितियों और जिला परिषदों को रीयल गवर्नमेन्ट के ओर्गन्स बनाते हैं ? क्यों हिच-किचाते हैं आप ? क्या जरूरत है आज तहसीलदार की और कलेक्टर की ? क्या जरूरत है डबल खर्चा स्टेट के ऊपर बढ़ाया जाय ? क्या जरूरत है स्टेट के ऊपर डबल खर्चा रखा जाय ? इसीलिए कि आप विश्वास नहीं करना चाहते उन इलेक्टेड सरपंचों और प्रधानों में। जहां कि चीफ मिनिस्टर सुखाडियाजी अपने कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पॉलसी फ्रेम कर सकते हैं और एक एग्ज़ीक्युटिव पर, एक पर्मनिन्ट ऑफिशियल पर विश्वास करके उन पोलिसीज का एग्ज़ीक्युशन करा सकते हैं तो क्यों नहीं गांव की चुनी हुई पंचायत के पंच, सरपंच और प्रधान पर पॉलिसी के एग्जीक्युशन का विश्वास नहीं करते ? पर-मानेन्ट कर्मचारी तहसीलदार पर आप विश्वास कर सकते हैं लेकिन चुने हुए प्रति-निधि पर नहीं। सरपंच और प्रधान तह-सीलदार को नौकर रख कर करा सकते हैं जब कि आप स्वयं बी० डी० ओ० और तहसीलदार के जिम्मे ये सारे काम कराते हो। परमानेन्ट आपके ऑफिसेज रहें सर्विसेज रहे। आप केवल नीतियां तय करते रहे, उसका पालन एग्ज़ीक्युटिव के लोग करते रहें। इस प्रकार का सिस्टम डिस्ट्रिक्ट से लेकर नीचे पंचायतों तक करे। तभी जाकर सही तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन होगा। सरकार घोषनाएं तो बहुत करती है लेकिन वास्तविक तौर से सत्ता लोगों को देना नहीं चाहती। अभी आप उनको २० न० पै० अनुदान का देते हैं, क्या अधिकार है आप सारे लोगों से इकट्ठा करें, फिर भिन्न भिन्न तरीके से उनको भेजते हैं, यह सिस्टम बदलकर मैं निवेदन करना चाहता हूं लैन्ड रेन्वेन्यू को डिवाइड कर दीजिये, पंचायत समितियां, पंचायतें और जिला परिषदों में इन तमाम के अन्दर ६ करोड रुपये का जो रेवेन्यू है, जितनी ग्रान्ट्स देते हैं और ट्रान्सफेरेन्टी सब्जेक्ट हैं उनका टोटल मिलाकर देखें तो काफी बड़ी राशि हो जाती है; इस तरह से ये तमाम लैन्ड रेवेन्यू आप पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स को ट्रान्सफर कर दें। केवल आप नीतियों का केन्द्रीयकरण कीजिये, बड़ी बड़ी पोलिसीज का केन्द्रीयकरण कीजिये। सोशियलिज़म स्टेट के अन्दर ट्रेंड करना चाहते हैं। इन्डस्ट्रीज़ के बारे मे आप की पर्टिक्युलर पालिसी है उसको आप स्टेट लेवल पर फॉर्मुलेट करिये, उसी बेसिस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर गवर्नमेन्ट युनिट्स का आर्गनाइजेशन हो, उनको इनीशियेटिव लेने दीजिये, उनको खड़ा होने दीजिये, बड़ी पॉलिसीज के अतिरिक्त नीतियां अपने एरियाज़ की आवश्यकता के अनुसार वे ही फॉर्मुलेट करें तभी सही तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन होगा। सही तरीके से हमारे देश के लोगों के हाथों में इनीशियेटिव आयेगा।

हमारी सरकार क्लेम करती है कि इस सिस्टम के जरिये रियल पॉवर्स दे दिये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, वे वास्तविकता देखने की कोशिश करें। वास्तव में पंचायत राज गांवों में किन लोगों के हाथ में था कौन राज करता था। जिनके हाथ में सत्ता थी वे बड़े बड़े जमीन के मालिक थे; जागीरदार, जमींदार, बड़े बड़े सूदखोर और धर्म के मालिक, पंडित इस प्रकार ट्रीनिटी गुट्ट यह मिल कर राज करते थे। चुने हुए सिस्टम के अनुसार भी इन्हीं त्रिगुट के हाथ में गांव की सत्ता है। क्या आप यह सोचते हैं कि आप इस त्रिगुट के हाथ से सत्ता को छीन पाये हैं.......

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : माननीय सदस्य धर्म को मानते नहीं, इसलिए इस तरह से नाम लेकर धर्म की प्रतिष्ठा को गांव में गिराना चाहते हैं जो कभी धर्म की प्रतिष्ठा उनके कहने से गिरने वाली नहीं है।

श्री रामनन्द अग्रवाल : यह बात गलत है, मैं पाखन्ड के खिलाफ हूं; धर्म और मोरेलिटी की जहॉं तक बात है सही तरीके की सिद्धान्त की बात है, नैतिकता की बात है, उसका मैं पक्षपाती हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप तो ईश्वर के खिलाफ हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुनिया में जो यह पाखन्ड और ढोंग चला रखा है उसके मैं खिलाफ हूं। जरा आप इसे गम्भीरता से देखें गांव की उस जनता, गांव का हरिजन तबका या बगैर जमीन के जो लोग हैं वास्तव में इन लोगों में से हम किसी को ले सके हैं क्या ?

स्टडी टीम ने, जिन्होंने पंचायत राज की स्टडी की है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरीके के सरपंच चुनकर आये हैं उन सरपंचों में जिन लोगों की आमदनी...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) यह तो ६२-६३ की रिपोर्ट है उसके बाद तो दूसरे चुनाव हो गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद का इवेल्यूएशन तो आपको पता चल जायगा। पुराने चुनावों के बारे में स्टडी टीम ने जो कहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। २०० से ५०० तक की आमदनी वालों में एक परसेन्ट सरपंच आये हैं ५०१ से १ हजार तक १५ परसेन्ट। १ हजार एक से ३००० हजार तक की आमदनी वाले ४१ परसेन्ट। और तीन हजार से पांच हजार तक २२ परसेन्ट। पांच से छः हजार तक १३ परसेन्ट और ६ हजार से १० हजार तक ८ परसेन्ट। ये आये हैं पुराने चुनाव में सरपंच जिनकी आमदनी इस प्रकार थी।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अब जो नये आये हैं वे दूसरी केटेगरी के १३, तीसरी ४५, चौथे में १६, पांचवीं में १३,१० ये पुराने से नये भी आ गये हैं । तीन हजार से पांच हजार एक वाले १६ परसेन्ट, २२ परसेन्ट चले गये । ऐसे लोग सरपंच बन सके हैं जिनकी आमदनी है २५० रुपये माहवार से लेकर ४५० रुपये तक ।

श्री मथुरादास माथुर : इन लोगों की आमदनी बढ़ गई है, इससे वे इस केटेगरी में आ गये, यह क्यों नहीं मानते ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश न करें या तो आप यह साबित कर दें, अगर वास्तविकता यह है जैसा कि आप कहते हैं तो हमें सन्तोष होगा लेकिन आप वास्तविकता से दूसरी तस्वीर रखते हैं ।

हमारी गांव की पूरी पोपुलेशन की ८० रुपया माहवार से कम आमदनी है उनकी संख्या ७० प्रतिशत है । गांवों में ज्यादातर इसी प्रकार के लोग रहते हैं । आपकी पंचायतें कौन से लोगों को रिप्रेजेन्ट करती है; एट दी मोस्ट २० प्रतिशत आबादी जो रूरल पोपूलेशन की है उन लोगों को रिप्रेजेन्ट करती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं, वास्तव में गांव के आम लोगों का संबन्ध है आपकी वही ट्रेनेट गांव में आज भी राज करती है । आपने अपने कानून के जरिये करेला और उस पर नीम चढ़ा दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : जिन लोगों से आप चुनकर आये हैं उन्हीं से वे लोग चुनकर आये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो वास्तविकता नहीं है । वास्तव में आपके कानून ऐसे हैं, आपका सिस्टम ऐसा है जिनसे वे चुनकर आये हैं । वास्तव में आप खुद ही उनको विकास का अवसर देना नहीं चाहते । जिस वर्ग को रिप्रेजेन्ट करते हैं आप पूंजीपति वर्ग की गवर्नमेन्ट बनी हुई है वे ही सहयोगी उनके रूरल एरिया में है उन्हीं लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं । यही बात तथ्यों के साथ इवेल्युएशन कमेटी, सादिक अली रिपोर्ट में कहती है । इन चुनावों के कौन कौन से वर्ग को फायदा पहुंचाया ? आप उस कमेटी की रिपोर्ट को जानना चाहते हैं । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :—

"We are of the opinion that by and large Panchayati Raj institutions have not been able to devote special attention and render any significant help to weaker sections."

श्री मथुरादास माथुर : यह बात दूसरी है और आप कहते हैं वह दूसरी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं इस पंचायत सिस्टम का हामी हूं । हम यह चाहते हैं कि फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन किया जाय । ग्राम सभा को स्टेच्युटरी रिकग्नीशन दिया जाय । गांव को पंचायत, पंचायत समिति, न्याय पंचायत, को अपना अपना बजट मन्जूर करने के अधिकार दिये जांय । जिला परि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

षद् को और पॉवर दिये जांय ताकि ये इन्स्टीट्यूशन्स रीयल तौर पर पॉवरफुल इन्स्टीट्यूशन्स बन सकें।

इसी तरीके से जहां तक आर्थिक मसला है, भारत सरकार ने स्टडी टीम सन्थानम के चेयरमैनशिप में बिठाई थी। उसने भी रिकमन्डेशन्स की हैं। सरकार ने उन पर विचार किया होगा।

मैं उसको काफी नही मानता। पर जो रिकमन्डेशन की हैं उनका हमारी सादिकअली कमेटी ने भी समर्थन किया है कि पंचायत समितियों को एक रुपया, दो रुपया फी आदमी कम से कम अनुदान दें। अभी आप २० नये पैसा दे रहे हैं। यह तो मजाक सी बात है। इसके अलावा गम्भीरता से लैंड रेवेन्यू को ट्रान्सफर करने की बात कही, उस पर भी विचार करना चाहिये।

इस सन्थानम कमेटी ने स्टेट लेवल पर फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन बनाने का भी सुझाव दिया था। उस पर भी विचार करना चाहिये। क्योंकि उसके बगैर सही ढंग से पंचायत समितियों का काम चल नहीं सकता। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एन्टरटेनमेन्ट टैक्स, माइन्स टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स से होने वाली इन्कम का शेयर उनको देने के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है उसकी जिम्मेदारी इस पंचायत राज सिस्टम को नाकामयाब करने में सबसे बड़ी है।

पर अफसोस की बात तो यह है कि गलत आदमियों को प्रोत्साहन मिलता है। गलत कारनामों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं उदाहरण दूं।

अभी हमारे अलवर जिले में उप-प्रधान का चुनाव हुआ। आप आश्चर्य करेंगे कि जो सरपंच थे वे सुबह आठ बजे से १० बजे तक पंचायत समिति के ऑफिस के बाहर बैठे रहे, पर प्रधान महोदय आये नहीं। जब केवल दस मिनट बाकी रह गये तो आये। आते ही उन्होंने कहा कि मैं नोमीनेशन पेपर ले लेता हूं, और ठहरिये और नोमीनेशन लिया किसी का नहीं। एक नोमीनेशन पेपर अपने साथ अपनी जेब में लेकर आये थे, उसी को मन्जूर करके बाहर घोषणा कर दी कि उसका निर्विरोध चुनाव हो गया। अब उस आदमी का पर्चा सब्मिट करने भी कोई नहीं आया जो कानूनी तौर से लाजिमी था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं उनको देखना चाहिए, हालांकि मैं नहीं चाहता कि अनुचित तौर से ऊपर से हस्तक्षेप हों। पर जहां गड़बड़ियां हों, इस तरह से और पकड़े जावें तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि आइन्दा करने के उनके हौसले पस्त हो जावें। मैं बतला दूं मिनिस्टर महोदय को कि मैंने इस बात की जांच की, जब मेरे पास रिपोर्ट आई; तो मैंने जिला प्रमुख को भी पूछा कि क्या उनके पास ऐसी रिपोर्ट आई है और आई है तो आपका क्या कहना है? सम्पतरामजी एक्स मिनिस्टर हैं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वे प्रमुख हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि वैसी रिपोर्ट मिली है और उन्होंने जानकारी की है और बात बिल्कुल सच है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं हों और जिसमें आपके दल के लोग जिम्मेदार हों तो लोगों के कहने का मौका मिलता है। शंका होती है डेमोक्रैटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के अस्तित्व में। सरकारी लोगों को भी कहने का मौका मिलता है, जो समझते हैं कि अक्ल की ठेकेदारी उनके पास है और इन चुने हुए लोगों में तो अक्ल होती नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब इस सदन में भ्रष्टाचार के मामले लाये जाते हैं तो हम इससे यह नहीं चाहते कि बढ़ा बढ़ा कर कहा जावे ताकि तस्वीर यह बने कि पंचायती राज में तो सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने इस बात को महसूस किया कि यह राज्य सरकार अपने लोगों को, अपने दल के लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की कोशिश करती है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। मंत्रीजी बैठे हैं। मैं इन्स्टान्सेज दूंगा और चाहूंगा कि वे जवाब दें उनका।

सभापति महोदया, अभी जिक्र कर रहा था माननीय सदस्य लूणकरणसर के पंचायत समिति में वहां के प्रधान महाजन थे, राजा प्रधान थे। जब राष्ट्र संकट आया तो देश में जनता ने कुर्बानियां करनी शुरू कीं। प्रधान मन्त्री की अपील पर लोगों ने अपना तन-धन न्यौछावर किया। उस जनता द्वारा रक्षा कोष में दिये हुए धन में से इस पंचायत समिति के प्रधान ने ११ हजार रुपये का गबन किया।

(व्यवधान)

यह मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। इसमें साफ तौर से कहा है कि "उपरोक्त ७१४४६) रु० इकट्ठा हुआ। उपरोक्त ७१,४४६) रुपये में से १२३) रु० तो समिति की रोकड़ में जमा हैं। ये घटाये जाने पर ७१,३४३ रुपया सुरक्षा कोष की पहले की वसूली रह जाती है जिसमें से ५०,६६७) ५५ पैसे की राशि स्टेट सुरक्षा कोष में विभिन्न माध्यम द्वारा दिये जाने की सूचना ऑडिट को दी गई है; जिसमें अन्तिम सूचनानुसार १०३५५) २४ पैसे की राशि का सुरक्षा कोष में जमा कराने के प्रमाण नहीं हैं। अतः इसका गबन हो गया है"

मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तरह से राष्ट्रीय रक्षा में दिये गये धन का इस तरह से गबन किया है क्या आप उसको राष्ट्र द्रोह-नहीं मानते? जिनके खिलाफ इस तरह की झूंठ मूठ की सी. आई डी. की रिपोर्ट हो, मुकदमे भी नहीं चलाये जाते हों, उनको तो नजरबन्द किया हुआ है ....

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बारे में इतना निवेदन कर रहा हूं कि इस केस को पुलिस में रजिस्टर करा दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो कार्यवाही हो सकती है वह पुलिस के द्वारा की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी को गिरफ्तार किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक जो रिपोर्ट मेरे पास है उस पर से मैंने कहा है। अब गिरफ्तार होना जमानत देना, ये डिटेल की बातें हैं। जब प्रूव हो जावेगा तो जेल जावेगा और नहीं होगा तो घर जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही दृष्टिकोण आप दूसरी जगह, जिनको बिना कुछ साबित हुए नजरबन्द कर रखा है वहां क्यों नहीं अपनाते ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : तकलीफ तो आपको अपने भाई बन्धुओं की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दृष्टिकोण है यहां आपका कि जब प्रूव होगा तब गिरफ्तार होगा। दूसरी तरफ आप पूरे फैक्ट्स भी सामने नहीं लाना चाहते, मुकदमा भी नहीं चलाना चाहते, कारण भी नहीं बताना चाहते और डी. आई. आर. में नजरबन्द करते हैं और इसके लिए जब कि रिपोर्ट है और प्राइमा फेसी साबित है कि उसने गबन किया है तो क्या यह काफी नहीं समझते उसको गिरफ्तार करने के लिए देशद्रोही साबित करने के लिए; क्या यह काफी नहीं है ? क्या उसको हवालात में डालने के लिए यह प्राइमा फेसी केस नहीं ? है पर चूंकि यह आदमी आपकी पार्टी से सम्बन्धित है..........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपका चेहरा अब साफ नजर आ रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सभापति महोदया, यह एक ही नहीं, एक और बताता हूं। सूरतगढ़ के प्रमुख कांग्रेसी नेता के सगे भाई होते हैं, कांग्रेसी के लड़के होते हैं, बलवीरसिंहजी नाम है उनका।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अगर इतना समय दिया गया तो ३॥ बजे डिबेट खत्म नहीं होगी और हम बोलने से रह जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीन मिनिट में समाप्त करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सूरतगढ़ के श्री बलवीरसिंहजी ने प्रधान होते हुए ११ हजार ४२५) रु० का बीज पंचायत समिति को बेचा। उस पंचायत समिति के खुद प्रधान हैं और उसी को बेचा है। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। मेरे पास सरकार ने जो उत्तर दिया है २४ अगस्त, ६४ को मैं वही कह रहा हूं। तो यह सरकार ने खुद माना है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। पर आज तक यह मानने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसे प्रधान पद से नहीं हटाया गया। दुबारा भी वे चुन कर आये हैं। अब भी कोई कार्यवाही आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से रायसिंहनगर में..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट का इन्स्टान्स है। अभी समाप्त करता हूं।

इसी तरीके से रायसिंहनगर में एक सरपंच है ६० जी० बी० में उनके भाई प्रधान हैं। उन्होंने अपनी पंचायत के लिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कहा कि १००० मन इसको बीज दे दो। पंचायत समिति ने यह दिखा दिया कि बीज खरीदा और उस-जी० बी० ६० पंचायत को दिया। उसकी तरफ १८ हजार रुपया निकाल दिया। न बीज गया और न बीज दिया गया। १८ हजार रुपये लेकर पंचायत समिति का और गैर कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। यह सन् ६१ की बात है और आज तक एक पैसा वसूल नहीं किया गया। इस तरह का पक्षपात करते हैं, उनका भ्रष्टाचार छिपाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए इन पंचायत समिति और पंचायती सिस्टम को आप छुरा भोंक रहे हो, इस तरह से ये नहीं पनप सकतीं। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : सभानेत्री महोदया, सामुदायिक विकास योजना के अनुदान के में मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं। देश मे जनतंत्र स्थापित किये जाने के बाद में यह स्वाभाविक था कि पंचायत समितियों में भी विकेन्द्रीकरण होकर प्रजा की विभिन्न इकाइयों में उनको प्रजातंत्रीय तरीके से काम करने का अवसर दिया जाता, इसीलिए हमारे राज्य में सबसे पहले, देश में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन किया गया, जिसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन होने के बाद से धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने कई प्रकार के कार्य करके उनको मजबूत बनाने की कोशिश की है और जिस प्रकार की इमदाद दी गई है उससे भी साबित होता है। इस समय ३ करोड़ ४४ लाख की सामुदायिक विकास योजनाओं में सरकार ने मदद दी है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कुछ बातें सरकार को आपकी मार्फत निवेदन करूंगा क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं, उनका एक मकसद है और उस मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना है कि हमारे डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के जो उद्देश्य हैं उनको कहां तक पूरा किया है। सबसे पहला जो डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का उद्देश्य है वह यह है कि प्रजा को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा विकास के कामों में और एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप में शामिल किया जाये। तो इस दिशा में जनता का कितना योगदान रहा है यह भी हमें देखना है। वैसे कानूनी दृष्टि से उनको कई प्रकार के अधिकार मिले हैं, प्रधान उनके चुने हुए हैं वहां सरपंच के द्वारा काम होते हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना है कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के बाद में किस तरह से जनता का योग इन विकास के कार्यों में बढ़ा है। इसके बारे में मैं सरकार को थोड़े आंकड़े देकर बताना चाहता हूं कि एक तरह की टेन्डेन्सी ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हो रही है जो बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं निवेदन करूं कि जो सादिकअली कमेटी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिये

(श्री जुझारसिंह)

है उसके आधार पर १९५५-५६ में पब्लिक का कोआॅपरेशन ९२.१ परसेन्ट था, १९५६-५७ में १०३.४ पर्सेन्ट हुआ. १९५७-५८ में ६४ पर्सेन्ट था और १९५८-५९ में यह गिरकर ४९ पर्सेन्ट रह गया। उसके बाद में धीरे-धीरे जनता का कोआॅपरेशन गिरता गया और १९६३-६४ में वह ४२ पर्सेन्ट के करीब आ गया।

तो ये आंकड़े इस प्रकार के हैं कि जो ध्यान देने योग्य हैं। हमें यह देखना है कि क्या वजह है कि पब्लिक का कोआॅपरेशन विकास योजनाओं की तरफ से कम होता जा रहा है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जो इसमें कमियां हैं उनको मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी तरह से दूसरे आंकड़े जो कि बहुत सिगनीफिकेन्ट हैं और जिनको सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट से कोट करना चाहता हूं वे ये हैं कि उन्होंने यह कहा है, "Impact of Panchayti Raj on Extetion Agencies यह भी बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है। उसमें भी जो सरकारी और गैर सरकारी आदमियों की राय है उसके हिसाब से जो फेवरेबल इम्पेक्ट है उसमें ५७ आदमियों ने अपनी राय दी है। इसमें कलेक्टर, जिला परिषद् के प्रमुख और बी०डी०ओ० की रायें शामिल हैं। उसके विपरीत जो नॉट फेवरेबल ओपिनियन है व १११ की हैं और जो लोग यह कहते हैं कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ वे १५ हैं। पूरे ११६ के मुकाबले में ५७ आदमियों ने फेवरेबल इम्प्रेशन दिया है। यह जो ग्रामीण क्षेत्रों में और विकास योजनाओं में जो हमारे आॅफिसर्स हैं उनकी ओपिनियन है तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक्सटेंशन सर्विसेज का इम्पेक्ट ग्रामीण योजनाओं पर क्यों नहीं हो पाता है? उसमें क्या कमियां है? इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो आॅफिसर्स; बी० डी० ओ०, एक्सटेन्शन आॅफिसर्स और दूसरे प्रकार के आॅफिसर्स पंचायत समितियों में, लगाये जाते हैं उनका साइक्लोजिकल काॅम्प्लेक्स हो गया है। वे यह मालूम करते हैं कि उनको पंचायत समितियों में. जिला परिषदों में लगा देने से उनका रुतबा कम हो जाता है। जो बी०डी०ओ० लगे हुए है उनकी टेन्डेन्सी हो गई है और उनकी यह कोशिश होती है कि वे किसी तरह से एस० डी० एम० या और दूसरी ऐसी ही जगह पर ट्रान्सफर हो जायें और जल्दी से जल्दी वे विकास विभाग से हटाकर दूसरी जगह लगा दिये जायें। वे विकास के कामों को stop gap arrangements समझते हैं। और उनकी शहरों की तरफ दौड़ने की टेन्डेन्सी है। तो ये भी काॅम्युनिटी डेवलपमेट प्रोग्राम्स के लिये अच्छे लक्षण नहीं हैं और इसकी तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और उन लोगों के लिए कम्पलसरी कर दिया है कि जब तक विकास के काम में वर्क कम से कम ३ साल तक नहीं करते तब तक उनको दूसरी जगह पर नहीं लगाया जाता। अगर दूसरी

(श्री जुझारसिंह)

जगह लगाये गये हैं तो उनको विकास कार्यों में ३ साल के लिए काम करना पड़ता है। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी जो विकास की योजनाओं की तरफ और कॉम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आस्था होनी चाहिये वह हमारी सर्विसेज़ में डेवलप नहीं हो पाती है। यह विकास के लिए मैं अच्छा नहीं मानता हूं। तो इस तरफ भी ठोस कदम उठाये जाने चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले लोग महसूस कर सकें कि वह जनता की सेवा के लिए गावों में जाते हैं और यह उनका कर्तव्य है। इस तरह की भावना जब तक हमारे ऑफिसर्स क्लास में पैदा नहीं होगी तब तक हम गांवों में अपनी इच्छा की माफिक डेवलपमेन्ट नहीं कर पायेंगे। इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसीयर्स या इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के लोग हैं यह अक्सर जो ब्लॉक्स हैं उनमें बहुत सी जगह पर अपोइन्टमेन्ट्स नहीं लेते हैं। मेरे ख्याल से सालों और महीनों तक जगह खाली पड़ी रहती हैं और जो आदमी वहां पर लगाये जाते हैं खास तौर से पी० डब्ल्यू० डी० और इरिगेशन विभाग के लोग वहां पर नहीं टिकते। अपोइन्टमेन्ट होते ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हमारे कोटा क्षेत्र और झालावाड़ क्षेत्र के लिए मैं अर्ज कर सकता हूं। हमारे यहां कम से कम २५-३० पर्सेन्ट पंचायत समितियां ऐसी हैं कि जिनमें ओवरसियर वगैरह का पोस्टिंग नहीं है और वर्षों से नहीं है। इसकी वजह से जो छोटी मोटी योजनायें चल सकती हैं वे नहीं बन पाती हैं और उससे हमारा बड़ा नुकसान होता है। तो यह भी देखने की आवश्यकता है कि इस तरह की कोई भी जगह जिन पर इन लोगों के नहीं होने से नुकसान पहुंचता हो उनको खाली नहीं रखा जाये और इन पर अपोइन्टमेन्ट जल्दी कराया जाये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो सोशियल और इकोनामिक यूज़ है और जिनको डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के द्वारा करेक्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे यहां बड़ी-बड़ी ग्रामीण समस्यायें हैं उनमें हमारी सामाजिक समस्याओं में अनटचेबिलिटी और दूसरी तरह के कास्टिज़्म वगैरह हैं, जात-पांत वगैरह की भावनाएं हैं हमको यह देखना है कि पंचायत इन्स्टीट्यूशन हमारी इन बुराइयों को, जो कि गांवों में बहुत ज्यादा तादाद में फैली हुई हैं उनको मिटाने में योग देती है या नहीं, क्योंकि ये बुराइयां हमारी इन डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के मार्फत ही दूर की जानी चाहिए. विलेजेज़ की इन बुराइयों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और गांव के लोग बुराइयों के शिकार बनते जाते हैं तो हमको यह सोचना चाहिए कि इन्होंने उस दिशा में प्रगति नहीं की। जहां तक जात-पांत का सवाल है बहुत से माननीय सदस्यों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया। मैं भी अनुभव करता हूं कि धीरे धीरे इन ग्रामीण-क्षेत्रों में जात-पांत बढ़ रही है, और इस तरह से डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के द्वारा जो हम इन बुराइयों को मिटा सकते थे उसकी तरफ हमने कोई अच्छी तरह से प्रगति नहीं की, बल्कि और ज्यादा कीचड़ में फंसते जा रहे

(श्री जुझारसिंह)

हैं। दूसरी ओर सामाजिक बुराइयां हैं; जैसे अर्ली मेरेजेज, मरने के बाद नुक्ता गांठ वगैरह, इन पर कानूनी पाबन्दी लगा रखी है और लोगों में डर पैदा हो गया है लेकिन हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज की दिलचस्पी नहीं होने की वजह से कि उसको एक सामाजिक बुराई मान कर अपने ढंग से उसको मिटाने की कोशिश करें, यह है। इस तरफ हमारी इन्स्टीट्यूशन्स किस तरह से तरक्की कर सकती हैं और उनका ध्यान किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यह भी जब कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के देखने की है कि उनका किस तरह से दिमाग बदलना चाहिए। उनको किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, तो उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से इकोनोमिक फील्ड पर मैं कहूंगा कि हमारी तरफ, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्रों में कई तरह के प्रोब्लम्स आते हैं। एक प्रोब्लम वहां पर जलाऊ लकड़ी का प्रोब्लम होता है। उसमें जलाऊ लकड़ी लगाने का प्रोग्राम है। अभी तक बहुत कम पंचायतें गंवई जंगल लगा पाई हैं। इसमें दो तरह की डिफिकल्टीज आती है। एक तो शायद यह है कि प्लॉट एवेलेबल नहीं होता है। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। उसके साथ साथ गांव वाले इस मुश्किल को महसूस करते हुए अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं समझ पाये कि वे किसी प्लॉट को रिज़र्व करके उसको प्रोटेक्ट कर सकें। जहां तक जिम्मेवारी का सवाल आता है वे लोग रेस्पोन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं होते हैं, उनमें किसी को नाराज करने की हिम्मत नहीं होती है। सरकार उस तरफ नहीं बढ़ पाई है।

हमारी तरफ ज्वार काफी पैदा होती है। उस ज्वार की कड़बी जानवरों के खाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। उस कड़बी के बारे में गांव के लोगों की इस तरह की टेन्डेन्सी है कि उसको ठान में डाल देते हैं और उसकी अच्छी तरह से कुट्टी काट कर काम में नहीं लेते हैं। इस वजह से बहुत कुछ अच्छा फोडर नष्ट हो जाता है और जिसकी कि कमी गांव में होती जा रही है और गांव के मवेशियों को फूड पूरा नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर पंचायत समितियों को इस तरह की योजना बनानी चाहिए जिससे कि पंचायत क्षेत्र में इस तरह की कुट्टी की मशीन लगाई जाय जिसके मार्फत कुट्टी कटवा कर यह जो वेस्ट होता है जो कि बड़ा यूज़फुल फोडर है उसको काम में लिया जा सके ताकि मवेशियों को अच्छा फोडर मिल जाय और लोग बाग तवालत की वजह से काम में नहीं ले रहे हैं, उनका काम चल जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) कुट्टी! जो मेरी और माथुर साहब की हो गई है, आज!

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): दोस्ती थी ही कब जो कुट्टी हुई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा: आपकी और हमारी पुरानी दोस्ती थी। अभी मेरे पास कागज पड़े हैं।

श्री मथुरादास माथुर : तो फिर कुट्टी भी नहीं हुई।

श्री जुझारसिंह : विकास योजनाओं में इस तरह का प्रबन्ध किया जा सके तो एक यूजफुल काम होगा। तो मैं मंत्री महोदय का, सभापति महोदया, आपकी मार्फत ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तरह से वे करें, जिससे एक यह फोडर उपयोगी हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपने क्षेत्र की एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। एक बहुत ही छोटी सी महत्वपूर्ण बात है। बहुत से तालाब पंचायत समितियों को ट्रान्सफर हुए हैं, और उन तालाबों में जो कुछ भी पैदावार होती है या उससे आमदनी होती है वह पंचायतों को दी जाती है। तालाब में मछलियां भी होती हैं। तो बहुत सी जगह एकाध गांव हैं जो कि सेन्चुरीज में आ गये हैं। मैंने एक प्रश्न भी असेम्बली में उठाया था कि सेन्चुरी एरिया में जो तालाब ग्राम-पंचायतों को ट्रान्सफर हो गये हैं और ग्राम पचायत ने उसकी मछलियों का ठेका दिया और उसके बाद सेन्चुरीज आॅथोरिटीज की तरफ से उनका चालान हुआ और उनको परेशान किया गया। इस तरह की गांवों में जहां ड्युअल आॅथोरिटी, आॅपरेट होती हैं उसमें पचायतों का क्या अधिकार हो और किस तरह से इस प्रश्न को सोल्व किया जाना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि पंचायतों को परेशानी न उठानी पड़े।

इसी तरह से पंचायत समिति चेचट और सांगोद में करीब ३० स्कूल ऐसे हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। पंचायत समितियों को ट्रान्सफर होने से पहले विकास विभाग द्वारा ५० पर्सेन्ट एड देने का प्रावधान था ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उस ५० पर्सेन्ट के हिसाब से जनता ने कन्ट्रीब्यूशन देकर स्कूल बना दिया लेकिन गवर्नमेंट का ५० प्रसेंन्ट कन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और बाद में नियम तब्दील हो जाने की वजह से वे लोगबाग पूरी मदद नहीं ले पाये गवर्नमेंट से, तो उनको सरकार किसी तरह से स्पेशल प्रोवीजन करके पूरा करे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभानेत्री महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : समय कम लें और और भी बोलने वाले हैं।

श्री मानसिंह महार : २० मिनट।

श्रीमती सभानेत्री : नहीं १५ मिनट।

श्री मानसिंह महार : अभी तो ३५ मिनट हैं।

श्रीमती सभानेत्री : और भी बोलने वाले हैं।

श्री मानसिंह महार : सभानेत्री महोदया, सदन के समक्ष आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस समय है। यह वह विषय

(श्री मानसिंह महार)

है। जिसके आधार पर हमारी पंचवर्षीय योजनायें चलती हैं।

इन सब पर मैं हमारे साम्यवादी मित्रों की बातें सुन रहा था तो मैं ताज्जुब में आ गया। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि आज डेमोक्रेसी मे हमारे चीन-समर्थकों की इतनी आस्था बढ़ती जा रही है कि वे हम स्वतन्त्र पार्टी वालों को यह कहते हैं कि हमारा पंचायती राज में विश्वास ही नहीं। पहली चीज तो यह है कि गांवों के अन्दर अगर कांग्रेस की कोई विरोधी संस्था पंचायत इन्स्टीट्यूशन में है तो वह स्वतन्त्र पार्टी ही है। ये साम्यवादी मगर तो कहीं टिकते ही नहीं। उसके बावजूद भी इस सदन में यह कहना कि साहब स्वतन्त्र पार्टी पंचायती राज में विश्वास नहीं करती है यह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उन सेठ साहब के लिए तो मैं क्या निवेदन करूं जिन्होंने इस प्रकार की बात कही। उन्होंने कुछ प्रजातन्त्र के बारे में....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सेठ साहब कौन?

श्री मानसिंह महार : हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो रामानन्दजी सेठ साहब हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। तो उन कम्युनिस्ट मित्र ने, सभापति महोदया, ऐसी बातों का जिक्र किया और बड़े जोरदार शब्दों में किया तब मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं यों बोलन[illegible] न्होंने कहा कि भारत [illegible] [illegible]नला हुआ तो चन्दा इकट्ठा किया गया। उस पवित्र चन्दे को प्रधान लोग खा गये, और उस बात का जिक्र करके इस देश के बारे में वफादारी दिखानी चाही। मगर मैं कहता हूं कि वह राजस्थान में नहीं के बराबर है वर्ना केरल वाली परिस्थिति आती तो आज वे लोग भी जिस प्रकार से उनके साथी एक जेल के अन्दर हैं वे भी होते, लेकिन वे कभी कभी सरकार की खुशामद करने लगते हैं। वह उस ग्रुप के मेम्बर हैं जो रूस की तो खुशामद करता है और चीन की गुप्त रूप से सहायता लेते ही हैं, लेकिन इस सरकार को भी बावली बनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि वे कहते हैं कि रूस के हैं और चीन के विरुद्ध हैं तो रूस और चीन में फर्क ही क्या है? जब साम्यवादी...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सरकार गायत्रीदेवी को बावली बनाने की कोशिश करे और हम सरकार को बावली बनाने की कोशिश करते हैं।

श्री मानसिंह महार : बड़ी खुशी है कि आप यह स्वीकार तो करते हैं कि आप सरकार को बावली तो बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बावली का बवली से प्रेम मिलन करते हैं हम तो।

श्री मानसिंह महार : आगे कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं उस चीज को। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे हरिरामजी आदरणीय हमारे

(श्री मानसिंह महार)

एम०एल.ए. हों और चाहे आप; एक ही हैं. उनको इस सदन में आने दें। अगर उनको नहीं आने देते हैं तो आप इस सरकार को बातली बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गायत्री देवी दिल्ली में भी वही बात कर रही हैं जो आप यहां बैठ कर कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं यहां पर वही बात करता हूं क्योंकि मैं उसी पार्टी का आदमी हूं। मैं इस तरह का मेम्बर नहीं हूं और न मैं इस देश का गद्दार हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश का वफादार हूं। मैं चाहता हूं भारत की अखण्डता, भारत की आजादी कायम रहे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माथुर साहब, आपको एक आदमी स्वीकार कर लो।

श्री मानसिंह महार : ये भारत के प्रति गद्दार हैं। उनको, इस सरकार को चाहिए, मैं इस सरकार को, सभापति महोदय, निकम्मी सरकार कहता हूं कि आज चीन का हमला हुए इतने दिन हो गये और आज तक ये लोग छूटे फिरते रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत बुरी सरकार है। न अय्यूब के दोस्त मानसिंह को पकड़ती है और न हमको पकड़ती है। वाकई में निकम्मी सरकार है!

श्री मानसिंह महार : अय्यूब से भी आपकी बोर्डर पर दोस्ती है। हमारी क्या दोस्ती है? जिस दिन अय्यूब भारत पर आंख डालेगा उस दिन आंख फोड़ देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तुम तो वही करोगे जो मानसिंह करेगा, मानसिंह कहता है। मानसिंह की अय्यूब से यारी है।

श्री मानसिंह महार : अय्यूब हिन्दुस्तान का अंग है। एक दिन अय्यूब को भारत के साथ रहना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं इस बात को?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तुम चन्द्रमहल के ×× खाते हो, तुम तो खूब समझते हो। बिल्कुल समझिये। खूब समझिये आप बेफिक्र रहें। यह मानसिंह वह नहीं जो चन्द्रमहल से वो हो जाय। आप इस प्रकार की बात मत कहो। हम भी जानते हैं कि आपके डांगी साहब रूम में जाकर क्या करते हैं...

(३. म. प.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चन्द्रमहल के ××× से आपके चेहरे पर रोनक है, प्यारे!

श्री मानसिंह महार : आप क्या कहते हो, ×× पर पले हुए तो तुम हो, जयपुर के राजाओं के ×× पर पले

×× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मानसिंह महार)

हुए हो, जयपुर के महाराजा मानसिंह और गायत्रीदेवी के ×× पर पले हुए हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ×× से नहीं मेहनत की है, तब पैसे लिये हैं ...

श्री मानसिंह महार : क्या मेहनत की है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और कई खेत और नोकर हैं।

श्री मानसिंह महार : जयपुर के महाराजा के ×× पर पले हुए हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको दान में, प्यार में और चीजें सप्लाई करने में जागीरें मिली हैं।

श्री मानसिंह महार : हमने खून दिया है तब मिली हैं राजस्थान में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने जमीन मेहनत से प्राप्त की है। तुम महार। जागीर के ×× पर पले हुए हो।

श्री मानसिंह महार : क्या समझते हो ? सरकार की खुशामद की बातें करते हो।

श्रीमती सभानेत्री : व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करें।

श्री मथुरादास माथुर : यह लफ्ज ×× है, इसको निकाल दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : यह निकाल दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसकी जगह ×× कर दीजिये।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल कर दीजिये, इसमें शक नहीं है, जयपुर राज्य के ×× खा रहे हैं। मैं आपसे कहूं, इनके बाप-दादों ने ऐसे काम किये है, कॉम्युनिस्टों की हिस्ट्री बताऊं, अधिकतर ऐसे व्यक्ति है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जयपुर के ×× कैसे हैं ?

श्री मानसिंह महार : जयपुर में नौकरियां की हैं इनके बुजुर्गों ने और उनकी वजह से तरक्की कर सके हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं सभापति महोदया, यह निवेदन करूंगा कि यह तो सरकार की कई बार चाल रहती है कि विरोधी दलों को आपस में लड़ायें। मैं मानसिंहजी से निवेदन करूंगा कि वे इसको छोड़ें और पंचायत राज्य पर कॉन्सेन्ट्रेट करें। न इसमें चीन का प्रश्न है न रूस का। उसका मौका जब सामने आयेगा तब कहें। अभी पंचायत राज्य पर जो कुछ कहना है और मथुरादासजी को कहना है वही कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत बड़ा दुःख हुआ !

××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि सरकार की इसमें कतई कोई चाल नहीं है; न रामानन्दजी को कहा और न मानसिंहजी को कहा। रामानन्दजी ने भाटा फेंका और ईंट में उसका जवाब मानसिंहजी से मिल रहा है। मुझे बता दें, अब चाल कहां है ! वह समझा दें !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गिरधारीलाल जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मजा ले लिया। शिकारी शिकार करता रहे और वे मजा ले लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनकी सिफारिश में आकर अपनी बात कहना आप भूल मत जाना !

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदया, मेरा समय लिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरे मित्र जो एस. एस. पी. के हैं...

श्रीमती सभानेत्री : आप पोइंट पर आ जायं।

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट पर सभापति महोदया ! एक नीति को सब मानते है, आ रहा हूं. और उधर बैठने वाले सदस्य भी, और इस किस्से के बाद मैं उसी बात को कहता हूं क्योंकि मैं भी एक सरपंच हूं...

एक माननीय सदस्य : सरपंच भी हैं क्या आप ?

श्री मानसिंह महार - जी हां, मैं सर पंच हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगले साल पंच बनेंगे।

श्री मानसिंह महार : मैं सरपंच हूं और अगर पंच भी बन जाऊंगा तो भी मैं उसमें गौरव अनुभव करता हूं। हम वे नहीं हैं। हम पंच बनेंगे तो उसमें भी गौरव समझते हैं, क्योंकि हम पंचायती राज में विश्वास करते हैं।

मैं यह समझता हूं कि पंचायती राज की जितनी योजनायें हैं उनको कामयाब करने की सही ढंग से कोशिश करनी चाहिये। आज के युग के अन्दर जो पंचायती राज्य और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं, उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। सभानेत्री महोदया, उसमें आज क्या हो रहा है ? आज उसके अन्दर सबसे बड़ी कमी जो है वह यह है, अभी जैसा मेरे कुछ मित्रों ने यहां बताया कि जो विकास कार्यों में जन-सहयोग मिलता था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसका कारण क्या है ? उसका मुख्य कारण हमारी सरकार की यह नीति है कि सरकार ने देखा, पंचायती राज्य एक बहुत नई चीज है, इसमें अगर कोई सरपंच या पंच किसी प्रकार का गबन वगैरह कर लेता है और अगर हम उसके खिलाफ स्ट्रोंग एक्शन लेते हैं तो उसका नतीजा यह हो सकता है, मुमकिन है पंचायती राज्य की संस्थाएं फेल हो जायं। यह सरकार की जो डरपोकपने की नीति है उसने इस पंचायती राज्य को खत्म किया है। गांवों के अन्दर गांव वाले, जब पंचायती राज्य कायम हुआ, उस वक्त श्रमदान वगैरह के अन्दर आगे होकर

(श्री मानसिंह महार)

काम करते थे, आज लोगों ने अपने हाथ खींच लिए। मैं कहता हूँ, इस बात की ताईद उधर बैठने वाले सदस्य भी करेंगे, यह बहुत रीज़नेबल बात है, मंत्रीजी भी इसकी ताईद करेंगे। उसका कारण यह हो गया है, गांव वाले यह कहते हैं कि श्रमदान किसके लिए करें। आज जो पैसा आता है, जो खर्च होता है वह सरपंच की मर्जी के माफिक होता है, सरपंच पैसा लेकर आधे से ज्यादा पैसे को खा जाता है। थोड़ा बहुत उसमें लगाते हैं और सारा भार हम गांव वालों पर डालते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस बात के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिये कि जो सरपंच, पचायती राज्य में डेवलपमेंट का पैसा आया है, उसको खा गए है, जिन्होंने बेईमानी और धोखेबाजी की है, उन सरपंचों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। यह बहुत जरूरी चीज है। डेवलपमेंट विभाग की मैं आपको सबसे ऊंचे ऑफिसर की बात बताता हूं, जिनको जब जाकर इस प्रकार की बात कही जाती है तो वह उसको टालमटोल करते हैं। मैं उन पर यह आरोप लगाता हूं कि वे लोगों को संरक्षण देते हैं। मैंने आपके जोइन्ट डेवलपमेंट कनिश्नर को आज के तीन वर्ष पहले कुछ सरपंचों के खिलाफ अर्जियां दीं, उन अर्जियों का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? उसका आज दिन तक पता नहीं। वे अर्जियां गायब हैं। मैं अगर गलत कहता हूं तो वे कह दें या मंत्री महोदय के थ्रू कहला दें कि मैं गलत हूं।

मैंने इस सदन में विकास अधिकारी, झोटवाड़ा के बारे में बातें रखी थीं। मैं चाहूंगा, हमारे सामुदायिक विकास मंत्री उस पर भी प्रकाश डालें। मैं उस पर बाद में जब कभी बोलूंगा तो और डिटेल्स कहूंगा, लेकिन सरकार की ओर से तो कुछ जवाब आना चाहिए। उस विकास अधिकारी ने तीन तीन तरह की तकावी लीं और जब उसका काम पूरा हो गया तो तकावी वापिस जमा करा दीं। और इस सदन में और सदन के बाहर मंत्री महोदय यह कहें तो यह शर्म की बात है। सभापति महोदया, मंत्री महोदय यह कहेंगे कि उन्होंने तो ब्याज समेत रकम जमा करा दी है, अब आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं, ब्याज सहित रकम जमा करा दी, पर मेरा एतराज यह नहीं है। मेरा एतराज यह है कि यह रकम आती है, यह गरीबों के लिए आती है, यह गांव में रहने वाली जनता जनार्दन के लिए आती है, यह उत्पादन बढ़ाने के लिए आती है। अब भी आप चल कर देखिये, मैं इस सदन के सदस्यों से अपील करूंगा, यदि आज मन्त्रीजी उसमें गोलमाल करें तो मैं और लोगों से अपील करूंगा। झोटवाड़ा नजदीक है, मेरी गाड़ी में चलिये। मैं बताऊंगा, डेढ़ बीघा जमीन के ऊपर, सभापति महोदया, चार-पांच हजार रुपये की तकावी ली हुई है। उस डेढ़ बीघा जमीन में क्या उत्पादन बढ़ता। डेढ़ बीघा के लिए पांच हजार की धनराशि न देकर किसी गरीब को, जिसके पास तीस चालीस बीघा जमीन होती उसको दे देते तो उससे उत्पादन बढ़ता। तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करके एक कानून बना दें कि मिनिमम जिसके पास तीस-पैंतीस बीघा जमीन हो या इससे कुछ कम जमीन

(श्री मानसिंह महार)

हो, उसको ही तकावी दी जाय औरों को नहीं दी जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने सदन में पहले कई चीजें रखी हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती । फिर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान झोटवाड़ा पंचायत समिति के सरपंच इन्दरसिंह, रामसिंह मढ़िया के कारनामों की ओर आकर्षित करूंगा । उन सरपंच महोदय ने, सभापति महोदया, उनके गांव के पास जो धनकिया का स्टेशन है, वहां से जयपुर तक का फर्स्ट क्लॉस का किराया हर बिल में ड्रा किया है । यह सर्टिफाइड कॉपी उनके ट्रैवलिंग बिल की मौजूद है मेरे पास, यह मैं सदन की मेज पर रखता हूं सिर्फ इसलिए कि सरकार का ध्यान हमारी बातों की ओर जाय । मैं कहता हूं कि उन तारीखों में वहां से कभी फर्स्ट क्लॉस का टिकट नहीं काटा । एक बार उन्होंने झूंठा टिकट दिल्ली का बता दिया । और बाद में दिल्ली का बता कर उसको काट दिया और कहा कि मैं ऊंट से दिल्ली गया था । जहां काटा है, पहले वहां रेल का दिखाया था, लेकिन उसको काट कर कहा–मैं ऊंट से दिल्ली गया था । आश्चर्य की बात है कि इस युग के अन्दर ऊंट से दिल्ली जायं सरपंच महोदय, लेकिन आज उनको यह सरकार शील्ड करती है, मैं यह साफ आरोप लगाता हूं कि सरपंच इन्दरसिंह को सरकार शील्ड करती है, यहां का विकास विभाग उसको शील्ड करता है । सरपंच इन्दरसिंह के खिलाफ आपकी पुलिस में मुकदमा दर्ज है । लेकिन मुकदमे को दर्ज हुए तीन वर्ष हो गये हैं, यह उसकी कॉपी है, जिसे मैं सदन की मेज पर रखता हूं । लेकिन वे कागजात, माथुर साहब, आपका डेवलपमेंट विभाग जो है वह दबाये हुए बैठा है और पुलिस को नहीं दे रहा है । पुलिस को नहीं देने से, पुलिस के पास जो केस है, उसमें आज वह कुछ नहीं कर सकती है । फाइल न देने से पुलिस भी मजबूर है । आप यह भी देख लीजिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । तो यह तो मैं कुछ नमूने आपको बताता हूं । इसी तरह से पंचायत समिति आमेर में जालसू पंचायत है वहां के सरपंच को १५–२० हजार गांव के लिये दिये गये थे । मगर मैं यह कहूंगा कि उसने १५, २० हजार में से एक पैसा भी गांव के कार्य के लिये खर्च नहीं किया । वह उन रुपयों को दबा कर बैठ गया । फिर भी विकास अधिकारी उसको और धन दे रहे हैं । जालसू नाम है उस पंचायत का, आप इसको नोट कर लीजिये । इसका उत्तर आप मुझे दो तीन दिन बाद दे दीजिये । १५–२० हजार रुपयों को सरपंच दबाकर बैठ गया और कोई काम नहीं कराया । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने उसको बाद में पैसा क्यों दिया, जब आपको यह मालूम था कि पहले जो रुपये दिये है, उससे उसने कोई काम नहीं किया ? पहले ५ हजार रुपये दिये; उसने पांच हजार का काम नहीं किया तो फिर आपने उसको ५ हजार क्यों दिये और

(श्री मानसिंह महार)

तीसरी बार फिर पांच हजार रुपये क्यों दिये, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, मेरे पास और भी कई बातें हैं, मगर समय की कमी के कारण उन सारी बातों पर नहीं जाऊंगा और आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे पास ये कागजात हैं और आप देख सकते हैं। मैं इनको सदन की मेज पर रखता हूं और इसलिये रखता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जावे और आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फाइल को दबा कर बैठा है और जानकारी देने में असफल रहा है।

आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने पंचायती राज्य की घोषणा की और उसमें यह घोषित किया है कि शहरों के आदमियों को नहीं लिया जावेगा, मगर मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों के आदमियों ने आखिरी समय में जाकर अपने नाम दर्ज कराये और कई प्रधान और कई सरपंच बन गये जिनको नहीं बनाने के लिये आपकी घोषणा थी। इस प्रकार की गड़बड़ियां की गई हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं। एक वकील साहब ने दो दिन पहले अपना नाम दर्ज कराया और रिटर्निंग ऑफिसर से मिल कर सरपंचों और पंचों के ५० नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट कराये। उनका नाम है रामावतार शर्मा, आप इसको भी नोट कर लीजिये। इसी प्रकार आपने झोटवाड़ा में शकुन्तला जो प्रधान बनी है उसमें भी यही किया है।

एक माननीय सदस्य : आप क्या कर सकते हैं ?

श्री मानसिंह महार : कर तो क्या सकते है ? हम तो यहीं एप्रोच कर सकते हैं और मंत्री महोदय से निवेदन कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप किसी और को एप्रोच करें।

श्री मानसिंह महार : मैं किसी दूसरे को एप्रोच करने की नहीं सोचता क्योंकि सामूहिक रूप से माथुर साहब ही इन सारे विभागों को रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं आप ही सही सही कह दें कि क्या शकुन्तला झोटवाड़े की रहने वाली है ? इन्होंने आसलपुर में दो रुपयों में मकान किराये ले रखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि वहां पर एक बार उनके नोमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया था, मगर फिर दुबारा टेलीफोन उड़े और उसके बाद उसका नोमिनेशन पेपर लिया गया। इस तरह से मैं यह निवेदन करूंगा कि आपका डिपार्टमेंट गलत लोगों को संरक्षण देता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको कॉम्युनिटी राज्य को सक्सेसफुल करना है और डेवलपमेंट करना है तो न्याय करें और अगर इसी तरह से करने लगे तो मैं यह कहूंगा कि पंचायत राज्य कभी भी सफल नहीं होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदया, इस मांग के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और काफी माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि पंचायती राज्य की योजना है, वह ठीक रास्ते पर नहीं चल रही है और पिछली पंचायत चुनावों में बदली प्रणाली के बारे में काफी विचार प्रकट किये हैं । सभापति महोदया, मैं आपके जरिये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ५६ में जब पंचायती राज्य की घोषणा की गई सर्व प्रथम, उसके बाद से लेकर आज तक गांवों में विकास की प्रगति काफी हुई है । यह सिर्फ मैं आंकड़ों के आधार पर ही नहीं कहता, लेकिन हर गांव में विकास कार्य का नमूना मिलता है, इससे कह सकते हैं कि इस ओर काफी प्रगति हुई है । सारे राजस्थान में विकास खण्ड खुले हैं और हमारे यहां ११२ प्रथम श्रेणी के खंड हैं, ८२ दूसरी श्रेणी के और ६८ तीसरी श्रेणी के है । इस तरह से विकास खंडों ने सारे राजस्थान को कवर कर लिया है । इस विकास खंड को खोलने का कारण यह था कि राज्य की मंशा थी कि जो भी डेवलपमेंट के कार्य हों, वे लोगों के सहयोग से हों और इसी मुख्य आधार पर यह योजना लागू की गई थी । सभापति महोदया, इसमें अगर कोई कहीं शिथिलता आई हो तो इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान समय समय पर स्टडी टीम के जरिये दिलाया गया और यह सादिकअली कमेटी रिपोर्ट भी इसीलिए तयार की गई । इसके आधार पर कुछ संशोधन कानून में किया गया और मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार की तरफ से उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सही कदम उठाये जावेंगे ।

हर तरफ से इस बात की बातें आती हैं कि जिला परिषद् में गड़बड़ियां हैं । रुपया खाने की कोई शिकायत नहीं है । मगर यह है कि उसका उपयोग समय पर नहीं होता और प्रगति जिस रूप से होनी चाहिये नहीं हो पाई । मैं यह कहूंगा कि सादिकअली रिपोर्ट में भी इसका संकेत है । ग्राम पंचायतें हैं, उनके साधन सीमित होने के कारण और वहां पर वैतनिक सचिव नहीं होने से ग्राम पंचायतों के विकास का काम रुका रहता है क्योंकि पंचायत के सरपंच को और भी अपना काम करना पड़ता है । इसलिए मैं इस रूप में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठायें क्योंकि सादिकअली रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को ग्राम पंचायतों की इकाई को बहुत मजबूत बनाना होगा और उनको पर्याप्त साधन और धन देना होगा । उनको एक वैतनिक सेक्रेटरी की जरूरत है । विकास अधिकारी होता है वह विकास कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है लेकिन विकास खंड से रकम है, सरपंच रसीद करके लेता है, उसके बाद में कार्य होता है । इसलिए जो कार्य होता है उसमें ज्यादा प्रगति देने के लिए सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा । सरपंच के पास पैसा रहता है और उसके पास इतना ज्यादा वजन आपने डाल दिया है कि जिसको वह पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसको घर का काम भी करना पड़ता है । इसलिए ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने की बात है जहां तक, वह अपूर्ण है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं...

(श्री रघुनाथविश्नोई)

(गणपूरक घंटी)

तो सभानेत्री महोदया, ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए सचिव की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर देनी चाहिये।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों के विकास कार्य बहुत कम समय में होने चाहिए, इस रूप में भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो रकम ग्राम पंचायतों को दी जाती है, उसके लिए जो टाइम राजस्थान सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है उसकी तरफ एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स या विकास अधिकारी ज्यादा ध्यान नहीं देते इस वजह से रकम खर्च हो जाती है और बाद में बड़ी दिक्कतें रहती हैं इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि ग्राम पंचायतों का काम सुचारू रूप से कराना है तो ग्राम पंचायतों को अधिक साधन देनें पड़ेंगे और पंचायत सचिव को जब तक नहीं रख दिया जायगा तब तक इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में कठिनाई होगी, आज वह कठिनाई हो रही है और आगे भी होगी।

ग्रामों में गृह निर्माण कार्यों के लिए और दूसरे ग्रामीण विकास कार्यों के लिए केन्द्र से रुपया दिया जाता है, इस सम्बन्ध में योजना बनाई गई है उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, इस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं थोड़ा सा कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। सादिकअली कमेटी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के कामों पर जोर देने की सिफारिश की है। राजस्थान सरकार का भी उत्पादन बढ़ाने पर जोर है तो राज्य सरकार को चाहिए कि पंचायतों की मांगों के अनुसार विशेष साधन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये। पर्याप्त मात्रा में ये साधन जब तक राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं करायेगी तब तक विकास योजनाएं केवल कागज में ही रहेंगी।

मैं थोड़ा लोन्स के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। ग्राम पंचायतों में लोन्स दिये जाते हैं। नियमों में प्रावधान है कि इन लोन्स का हिसाब लोन लेने वाला पेश करें। हिसाब पेश करने में अनपढ़ लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए कि विकास अधिकारी और ओवरसियर जाकर देख ले कि कार्य हो गया है या नहीं : कार्य हो गया तो हिसाब पेश करने पर जोर न दिया जाय। दूसरे मैं यह भी निवेदन करूंगा कि लोन्स का पैसा पीनल इन्ट्रेस्ट से वसूल नही किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि खास निर्देश नहीं होंगे तो विकास के कार्यों पर बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि आज लोगों में यह भावना बनती जा रही है, मैं सांचोर पंचायत समिति का उदाहरण देना चाहता हूं, पहले लोगों ने लोन लिये, चार पांच साल बाद उन्हें डेढ़े पैसे देने पड़े हैं, हालांकि उन्होंने काम कर लिये थे; इसलिये काम अगर हो गया है तो हिसाब पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिये। विकास अधिकारी, ओवरसीयर जाकर हिसाब देख ले, काम को

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

देकर हिसाब प्राप्त कर ले और फिर किश्तें हो जानी चाहिये । पीनलइन्टरे से पैसा वसूल नहीं करना चाहिये । इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान, मैं, आकर्षित करना चाहता हूं ।

लोन्स के बारे में एक बड़ी भारी दिक्कत है । यह प्रावधान है, मोर्टगेज डीड जमीन वगैरह का ऋण के लिए करते हैं तब तक विकास अधिकारी पैसा नहीं देते, इसके लिये सरकार ने सक्यूंलर भी इश्यू कर दिया है, पर उसका पालन नहीं हो रहा है । सरकार को आदेश दे देना चाहिये, तहसील में जाकर रजिस्ट्रेशन करायें इससे बड़ी दिक्कत होती है, पंचायत समिति में लोन्स पड़े हुए हैं और इस प्रकार पंचायत समितियों में लोन्स का इन्ट्रेस्ट फालतू लगता है, इस रूप में खास तौर से आज दिक्कत पंचायत समितियों में आ रही है, इसलिये मैंने, माननीया सभापति महोदया, आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह देखा जाता है कि जो विकास अधिकारी, एक्स्टेन्शन ऑफीसर्स हैं, उन्हें वास्तविक रूप में जितना कार्य करना चाहिये उतना नहीं करते हैं । पन्द्रह, बीस दिन उन्हें टूर करना चाहिये, पर मैं अपनी जानकारी के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स्टेन्शन ऑफीसर्स दौरे नहीं करते हैं और यदि कुछ करते भी हैं तो गांवों के लोगों को सूचित करके दौरे नहीं करते हैं और इस प्रकार गांव के लोगों को इस से कोई फायदा नहीं होता । राज्य सरकार को उन्हें इन्स्ट्रक्शन्स देने चाहिये कि वे गांवों में जाकर कार्य करें, ताकि गांवों के लोगों को आवश्यक गाइडेंस दी जा सके और हिसाब वगैरह भी समय पर लाया जा सके ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीया सभापति महोदया..........

श्रीमती सभानेत्री: अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रिप्लाई तो होते रहते हैं, बाद में दे देना साहब, हमारी बात तो सुनो, फिर रिप्लाई देना । हमारी बात बिना सुने ही क्या रिप्लाई दोगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं एक खास बात रखना चाहता हूं ....

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं पहले उठा था, ये बाद में उठे थे, बाद वाला पहले कैसे बोल सकता है ?

श्रीमती सभानेत्री : आपको ५ मिनट दिये जा सकते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा साहब पांच मिनट ही सही, ५ के बाद पांच मिनट तो और बढ़ा लूंगा ।

माननीया सभानेत्रीजी, आज जो यह विकास का मामला चल रहा है, उसमें मैं यह तो जरूर मानता हूं कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था और इसमें विकास होना

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बहुत ही जरूरी था, पर सभानेत्रीजी आज जिस तरह का विकास हो रहा है और दूसरे प्रान्तों में, मद्रास और बंगाल में और दूसरी२ जगह जिस तरह विकास के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रुपया देकर उन प्रान्तों के गांवों का विकास किया है, उस तरह से शुरू से सारे हिन्दुस्तान में पंचायती राज पहले राजस्थान में हुआ और यह पंचायती राज होने के बाद आज राजस्थान में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। जो भी आज पंचायतों के अन्दर राजस्थान पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, इन तीनों का एक्ट बनाया, उसमें काफी खामियां हैं और जिला परिषद् के ढांचे के ऊपर से ये बार बार कहते हैं कि हम प्लानिंग की योजना नीचे से चलाते हैं, उसके फीगर्स लाते हैं, परन्तु इन पंचायत समितियों और पंचायतों के आज तक भी राजस्थान सरकार के पास इस तरह के फीगर्स नहीं हैं। इस पंचायत समिति के अन्दर कहीं बंजर भूमि पड़ी है, जहां एग्रीकल्चर के रुपये की, कहीं पानी के रुपये की जरूरत है, दूसरे जो सड़कें बनी हुई हैं, उनसे छोटे छोटे गांवों को मिलाने की जरूरत है, दूसरी सड़कों से गांवों को मिलाने के लिये छोटी-छोटी सड़कें बनानी हैं, इस तरह से गांवों को मिलाना है, और दूसरे कई आवश्यक काम हैं, उनके लिये राजस्थान सरकार के पास पूरे फीगर्स नहीं हैं। जितने फीगर्स हैं वे केवल कागजी फीगर्स हैं, कागजों के अन्दर ही हैं, जैसा कि लोग कहते हैं, इतने पेड़ लगाये हैं, सभानेत्री महोदया, अध्यक्ष म महोद जाकर देखें कि फीगर्स सही हैं या गलत हैं, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि जितने फीगर्स दिये जाते हैं, पेड़ उगाने के या एग्रीकल्चर के या दूसरे वे गलत फीगर्स हैं। अगर राजस्थान सरकार ने इतना रुपया विकास के लिये, कृषि के लिये खर्च किया, मैं मंत्री महोदय को निवेदन कर देना चाहता हूं। आज किसान यह नहीं जानता कि कृषि के अन्दर, जमीनों के अन्दर कौन कौन से तरीकों की खाद पड़नी चाहिए।

(३. ३०. म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

न जनता जानती है; न कृषि के एक्सटेन्शन ऑफीसर्स जानते हैं कि इस भाग के अन्दर इस तरह की खाद डालनी चाहिए और जो नदी की जमीन है या दूसरी जमीन है उसमें किस तरह की खाद डालनी चाहिए और जितना रुपया दिया जाता है, सरकार की तरफ से, आज तक भी करीब ५० प्रतिशत हिसाब पंचायत समितियों से सरकार के पास पूरी तरह से नहीं आया है और दूसरी बात यह है कि यह जरूर है कि वेटेरिनरी विभाग के डॉक्टरों ने गांवों के अन्दर पंचायत समितियों में जाकर कुछ काम किया है, परन्तु जिस तरह की सुविधाएं मेडीकल विभाग के डॉक्टरों को मिली हुई हैं उस तरह की सुविधाएं न उन डॉक्टरों को दी गई हैं, न उनकी सीनियोरिटी है, न उनका प्रोमोशन है। तो यह मानकर चलना चाहिए कि एक ही विभाग के अन्दर दो तरह के भेदभाव की नीति है। एक डॉक्टर पंचायत समितियों में जायगा और मेडीकल विभाग का डॉक्टर नहीं जायगा। एक डॉक्टर को

(मुक्तिलाल मोदी)

गांव गांव में जाना पड़े और उसको कोई अलाउंस नहीं दिया जाय, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है ?

और विकास का जो काम है उसके अन्दर ग्रांट-इन-एड का जितना रुपया है, वह रुपया जिस तरह से राज्य सरकार ने तय किया है कि आधा रुपया गांवों से लेना चाहिए, आधा रुपया सरकार देगी ? मैं यह मानकर चलता हूं कि ग्रांट-इन-एड का रुपया जरूर दिया जाता है, परन्तु जितना रुपया गांवों से लेना चाहिए उतना रुपया वसूल नहीं होता है, और काम अधूरा पड़ा रहता है । इस तरह जो सरकार का रुपया है वह पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता है और आज जो पंचायतों का ढांचा है, जिस तर कार ने बनाया, वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक हजार या डेढ़ हजार की जनसंख्या के पीछे एक पंचायत और उसका खर्चा चले नहीं और राज्य सरकार दे नहीं और फिर उन पंचायतों के अन्दर विकास का काम कैसे हो सकता है ? उन पंचायतों के अन्दर विकास का काम तभी हो सकता है जबकि इन पंचायतों को इतना खुशहाल बनाया जाय कि वे अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकें । आज तो वहां पर जो एक सेक्रेटरी और चपरासी रहता है उनकी तनख्वाह भी पंचायतों की आमद से वसूल नहीं हो पाती है । तो ऐसी हालत में आज जो छोटी छोटी पंचायत समितियां बनी हुई हैं, उनको गांवों के अंदर परेशानी होती है । किसान भी इस बात के लिए सोचता है और दूसरा वर्ग भी सोचता है कि आज पंचायतों के अन्दर इस प्रकार का वातावरण राज्य सरकार ने पैदा कर दिया है कि जो उन्नति करनी चाहिए थी वह नहीं की । सरकार ने उनको आपस की दुश्मनी और परेशानी के अन्दर डाल रखा है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट तो दो ।

श्री मानिकचंद सुराणा : अभी उपाध्यक्ष महोदय ने एक केस रखने के लिए पांच मिनट का समय दिया है । इसलिए आपकी इजाजत से मैं उसे रखना चाहता हूं । मैं सिर्फ एक ही केस रेफर करूंगा । जनरल ऑब्जर्वेशन्स कोई नहीं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि आप उस चीज को अभी रख लें....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): मैंने आपके केस के बारे में फैक्ट्स मंगाई हैं और आ गई तो मैं खुद ही रख लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के बारे में जो चर्चा हुई सबसे पहले तो विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे, वे दो तरह के थे ! एक तो इस प्रकार का सुझाव था कि जो पंचायती राज की प्रणाली राजस्थान ने स्वीकार की है, उसमें क्या परिवर्तन किया जाय, जिससे सही माने में यह प्रजातन्त्र देहात और गांवों तक पहुंचा कर और उस अंग को जो पिछड़ा हुआ है, जिनको हम कमजोर तबके के लोग कहते हैं,

(श्री मथुरादास माथुर)

उनको पूरा फायदा मिले और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होकर समाज के दूसरे अंग के के साथ में हमराही होकर देश के कल्याण में आगे बढ़ सकें। और उसमें जो आमूल परिवर्तन के जो सुझाव रखे, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

दूसरे इस तरह के सुझाव थे कि मौजूदा प्रणाली में रहते हुए भी इस प्रणाली के अन्दर जो कुछ कमियां हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मसले भी दिए गए उनको सुधारा जाय, जिसकी वजह से पंचायती राज की रोशनी और तेजी से गिरे।

सबसे प्रथम, उपाध्यक्षजी, मैं पहले सुझाव पर अपने विचार रखूंगा और क्या राजस्थान सरकार इस बारे में सोचती है। यह पंचायती राज कोई छोटा-मोटा सरकारी विभाग नहीं है। यह सब विभागों का मिला हुआ विभाग है जो समाज के अन्दर क्रान्ति लाने की कोशिश करता है। दूसरे शब्दों में हमारे समाज की क्रांति का एजेंट है। अगर यह विभाग भी होता तो भी पहले शिक्षा का काम शिक्षा विभाग में चलता था, दवाइयों का काम मेडीकल डिपार्टमेंट करता था, तो फिर इस विभाग की क्या आवश्यकता थी? वह इसलिए हुई कि जब तक जनता का सहयोग किसी भी विकास के कार्य में नहीं लिया जायगा, सहयोग ही नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जो देहात में रहते हैं, जो समस्याओं के बीच में रहते हैं, उनके द्वारा ही फैसला होकर, हम इन विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ाएं, तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती। मैं इसके पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता, सब जानते हैं। राजस्थान को इस बात का श्रेय है, चाहे माननीय सदस्य उसमें कितनी भी खामियां देखने की कोशिश करें, मगर आप और हम सब मानते हैं कि राजस्थान ने ही सबसे पहले इस प्रणाली का श्रीगणेश किया। उसके बाद में दो चुनाव हो गए, वह भारतवर्ष में-नहीं सारी दुनिया के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव पहले राजस्थान में ही किए गए। इस चुनाव के अन्दर पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुखों को कुल मिला कर १,०२,४३६ व्यक्ति चुने गए।

इस तरह का प्रजातन्त्र कहीं देखने में नहीं आता है। मैं सिर्फ श्री टायर्स की बात करता हूं। ग्राम सभा से लोक सभा तक हमारे देश की जनता मुख्तलिफ जगहों के लिए अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजती है। लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, पंचायत समिति, ग्राम सभा जिसको पंचायत कहते हैं। इस प्रकार का प्रजातन्त्र किसी भी देश में नहीं होगा। मैं टोटेलिटेरियन या समाजवादी देशों की चर्चा नहीं करता हूं। तो हमारे पंचायती राज की संस्थाओं में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हो सकता है कि दो-चार, दस-बीस हजार ऐसे हों लाखों में से सिलेक्शन इलेक्शन या नोमीनेशन भी हो तो भी लाखों आदमियों में से कुछ आदमी ऐसे निकल सकते हैं जो स्वार्थपूर्ण काम करते हों, जिससे कि देश की तरक्की पर बाधा पड़ सकती है। कुल मिला कर ७३ कट मोशन्स इस मांग पर पेश हुए थे। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है, कुल १४-१५ है। और चार पांच केसेज जो दिये हैं उनके बारे में तो जो मेरे

(श्री मथुरादास माथुर)

पास जानकारी है वह मैं रखूंगा, बाकी मामलात में भी जांच की जायगी। हमारी यह कभी इच्छा नहीं है कि ऐसे आदमी चाहे वे चुन कर आये हों, अपने किन्हीं स्वार्थपूर्ण कार्यों की वजह से जो समाज के विकास के बदले में उसका विनाश का प्रयत्न करते हैं, उनको प्रश्रय दिया जाय। हमारी यह मंशा नहीं है कि किसी प्रकार ऐसे आदमियों को छोड़ा जाय।

मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये यह माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार की इस प्रकार के आदमियों के साथ रियायत नहीं बरती जायगी। दो तरह से चुने हुए आदमियों को ठीक किया जा सकता है। एक तो यह है कि चुनाव होते हैं तो जनता सबसे बड़ी अदालत है। भ्रष्टाचारी वगैरह होते हैं, वे छन कर रह जाते हैं और जो ईमानदार लोग हैं, वे चुन कर आ जाते हैं। ३४५ सरपंच जिनके खिलाफ जांच चल रही थी उनमें से २८८ सरपंच चुन कर नहीं आये। इसके माने यह हैं कि सौ में से ८० पर्सेन्ट जनता ने उनको ठुकरा दिया। जांच ही नहीं हुई। हर विषय को लेकर यहां पर चर्चा होती है। पांच साल बाद जनता सबसे बड़ी अदालत है जो भ्रष्टाचारी को थाम लेती है और दामन पकड़ कर बैठ जाती है या यों कहिये कि यहां नहीं आने देती। राजस्थान की जनता में पूरा विश्वास है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो मिनिस्टर चुन कर नहीं आये, उनके बारे में भी जनता का यही फैसला हुआ जो माननीय मंत्री महोदय मानते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह बात कह रहा हूं कि जिनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही थी, मैं तो उन्हीं के लिए कह रहा हूं। चुनाव में हार जाय तो क्या करें ? तो क्या जो माननीय सदस्य चुन कर नहीं आये वे भ्रष्टाचारी हो गये ? नहीं। मिनिस्टर की तो बात ही क्या, शायद अगले साल माननीय सदस्य खुद चुन कर न आयें। तो भ्रष्टाचारी थोड़े ही कहूंगा। मैं आपको यह बता रहा था कि ३४५ के खिलाफ जांच चल रही थी, उनमें से २८८ को जनता ने नहीं भेजा। हो सकता है एक दो केसेज में देर हो जाय, जो प्रावधान हैं, कानून बना हुआ है, नोटिस देने में, शो कॉज नोटिस देने में देर लग जाती हो, हो सकता है अदालत के सामने सुबूत न मिले जिससे कामयाब हो जाय। इससे इसके माने यह नहीं हैं कि विभाग की ओर से कोई कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रही हो। ८५१ सरपंच उप सरपंच हैं जो डिफाल्टर्स हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। २७ प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यवाही की गई है उससे ३६ सरपंच हटा दिये गये हैं। ८७ उप–सरपंच के खिलाफ मुकदमे दायर कर दिये गये। ३७५ के साथ कार्यवाही की जा रही है, पेन्डिंग है। १५७ को वार्निंग देकर छोड़ दिया। ये आंकड़े इसलिये रखे हैं, हो सकता है पांच–चार मामलों में जो भी मेरे पास इस समय सूचनायें मौजूद हैं उनके विषय में निवेदन कर दूंगा, बाकी के लिए बाद में संतोष करा

(श्री मथुरादास माथुर)

दिया जावेगा। माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, आज नहीं, पहले भी यह बात कही है कि राज्य सरकार चुने हुए व्यक्तियों के खिलाफ अफसरों को बिठा कर जांच कराती है, इसलिए अफसरों से जांच नहीं होनी चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सादिक-अली कमेटी ने रिकमन्डेशन्स की हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उसी पर आ रहा हूं।

राज्य सरकार की बराबर यह मंशा रही है कि हमारे यहां पर पंचायती राज की प्रणाली को चलाने के लिये जितने भी सिद्धांत बरते जायं, विचारधारा बरती जाय जो कि लाभदायक हो, इसके विकास के लिए। माननीय सदस्यों को इसीलिए मैंने आंकड़ों के जरिये से बताने की चेष्टा की और उनको तसल्ली कराने की चेष्टा की कि राज्य सरकार बराबर इस ओर प्रयत्नशील है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पचायती राज को कामयाबी के लिये पूरे तौर पर लगन के साथ कार्य करना है क्योंकि आज हमारा यह पंचायती राज शैशवावस्था में है। देश की डेमोक्रेसी भी शैशवावस्था में है। इन्फेन्सी में होते हुए भी प्रजातंत्र और जनतंत्र की इन संस्थाओं को बलशाली बनाने के लिए हमारी जनता ने अपूर्व धैर्य, साहस से काम लिया है। जनता ने बड़ी अक्लबन्दी दिखायी है। वह इतिहास में अंकित की जावेगी। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज इसलिए कायम किया गया था कि नयी नयी पौध जमीन में से निकल कर अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे। जो लोग चुन कर आ जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, इस सम्बन्ध में मैं सदन की जानकारी के लिए आंकड़े रखना चाहता हूं। जब पंचायती राज की संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रशिक्षण के लिए बुलाये गये तो बड़े उत्साह पूर्वक आये। पंचायत समिति की ट्रेनिंग का पर्सेन्टेज ८० प्रतिशत रहा, न्याय पंचायतों का ७३ पर्सेन्ट और उसके बाद पंच और उपसरपंच का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना था वह ५१ पर्सेन्ट रहा है और जो प्रगतिशील किसान हैं कैम्पों के जरिये से चुने जाते हैं उनकी संख्या १७ हजार रही है। इस तरह से लोगों की इस ओर दिलचस्पी है। ट्रेनिंग का इन्तजाम किया जाता है। ट्रेनिंग उनको दी जाती है।

माननीय उपाध्यक्षजी, स्टडी टीम जो बैठी थी, उसके लिए कहा गया। अलवर से आने वाले माननीय साथी ने इसका जिक्र किया। मैं यह मानता हूं कि और मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं मालूम होती है कि पंचायत राज के जरिये से जो बहुत पिछड़ा हुआ सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, पांच वर्ष में ऊपर नहीं उठ पाया है, जहां तक उसको पंचायती राज का फायदा पहुंचना चाहिये, वह नहीं पहुंच पाया है। इसके माने यह नहीं है कि समाज के इस वीकर सेक्शन को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया गया है अथवा उनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आते हैं। यह नजरिया न हो आपका। उनके अन्दर तब्दीली लानी होगी और उसके लिए राज्य

(श्री मथुरादास माथुर)

सरकार की ओर से पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है और आगे भी किया जायगा। सादिकअली कमेटी ने और संथानम कमेटी ने भी सुझाव दिये हैं।

६२-६३ की रिपोर्ट पढ़ी होगी। वह पुरानी बात हो गई है। नये चुनाव हो गये हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग चुन कर आये हैं, उनमें ८० पर्सेन्ट किसान हैं। मिडलमैन, व्यापारी, सूदखोर है, उनका पर्सेन्टेज ५ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किसानों में ऐसे लोग भी शामिल कर लिये हैं जो खुद काश्त नहीं करते हैं, जागीरदार सेक्शन भी उसमें शामिल है।

श्री मथुरादास माथुर : जरा सब्र तो कर लें। मैंने दो हिस्सों में कहा है। अभी मेरी बात पूरी हुई ही नहीं है। साहूकार पंचायती राज के दुश्मन हो सकते हैं, माफ करिये, मानसिंहजी महार के शब्द में, हालांकि मैं वह शब्द काम में नहीं लेना चाहता, मेरा कहना यह है कि उनके लफ्जों मे "सेठ रामानन्दजी" हैं। वैसे सेठ तो नहीं हो गये ?

एक माननीय सदस्य : सेठ हैं ही।

श्री मथुरादास माथुर : सेठ हों तो आपत्ति नहीं है।

तो मैंने आपके सामने ये आंकड़े रखे। अभी चुनाव खत्म हुए कुछ महीने हुए हैं। ६२-६३ का इन्कम वाइज़ वर्क आउट किया था, उसमें मिडलमैन, बोहरा, व्यापारी, सूदखोर लोग पंच सरपंच में आये हैं वह सिर्फ आधा पर्सेन्ट है। बाकी जो किसान वर्ग से हैं वे ८० प्रतिशत हैं। इसमें बड़े जमीदार, जागीरदार भी शामिल हैं, वीकर सेक्शन के भी शामिल है, मिडिल सेक्शन के भी शामिल हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वीकर सेक्शन में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और इसका क्या पर्सेन्टेज है सरपंच में ?

श्री मथुरादास माथुर : १०.६ पर्सेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें रिज़र्वेशन भी है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरपंच-प्रधान, जिला प्रमुख इनमें-शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने हैं, इसका टोटल पर्सेन्टेज मेरे पास में है।

इसकी स्टडी किए बिना मैं कैसे रख सकता हूं ? इसकी स्टडी पूरी हो जाने दें क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं कुछ दिन ही हुए हैं। मगर जो फन्डामेन्टल बातें हैं वे हमारे सामने हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ८० हजार पंच, सरपंच का चुनाव हुआ है इलेक्शन ऑफिस में रिजल्ट्स आ गये होंगे।

श्री माणिकचन्द सुराणा : जिस जिले से आप आये हैं उसी का बता दीजिये। उसमें कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और कुल केन्डीडेट कितने हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : एक जिले से अन्दाज नहीं निकाल सकते ।

मैं वीकर सेक्शन में केवल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को ही नहीं मानता, उससे भी इकोनोमिकली वीकर सेक्शन है । शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज का कोई आदमी ऊपर उठ जाता है तो वीकर सेक्शन की केटेगरी में नहीं आयगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका जिला बहुत महत्व रखता है । सबसे ज्यादा मन्त्री वहीं के हैं । इसलिये आप अपने जिले की ही बता दीजिये; ये गौण स्थिति रखते हैं या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : फीगर्स मेरे पास नहीं हैं । पंचों, सरपंचों की डिटेल वर्क आउट नहीं हुई है । एक्सप्लोइटर्स का आधा पर्सेन्ट रहा है । इन्कम वाइज क्लासिफिकेशन नये चुनाव का नहीं हुआ है । ज्योंही क्लासिफिकेशन हो जायगा सदन के सामने रख दिया जायगा, ताकि अन्दाज मिल जाय कि किस तरह के लोग बढ़ रहे हैं । जहां तक स्टडी हो पायी है, मैं उसी के अनुसार कह रहा हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है । आपने जो एक्स्प्लाइटिंग क्लास का बताया ८० पर्सेन्ट बताया, उसमें एग्रीकल्चर क्लास में भी ऐसे लोग हैं, बड़ा सेक्शन है, जो एक्स्प्लाइटिंग क्लास में आता है । ६२-६३ के फीगर्स आप अपने सामने रखें । ५० रुपये तक की महावार की इन्कम वाला एक पर्सेन्ट है सरपंच के अन्दर । इसमें भी काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो एक्स्प्लाइटिंग सेक्शन के हैं इसका क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर विभाग कर रहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : जो पहले का फीगर था उसके लिए मैं कह रहा हूं । एग्रीकल्चरिस्ट्स जो चुनकर आये हैं, ८२ पर्सेन्ट चुनकर आये हैं, इसमें आधा पर्सेन्ट मिडल क्लास हैं ? मनी लेन्डिंग क्लास ।

आप ८२ पर्सेन्ट का ब्रेक-अप चाहते हैं । उसको अभी तक वर्क आउट नहीं किया है । मगर और तरीके से आपको बताऊं जो वर्क आउट कर चुके हैं, इस वक्त पढ़े-लिखे गांव के लोग जो पंच सरपंच बनकर ठीक काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या २३.८ है । यानी २३.८ पर्सेन्ट सरपंच मिडल पास है मिडल पास से ज्यादा कोई ग्रेजुएट और लॉ ग्रेजुएट भी हो सकते हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, २३.८ पर्सेन्ट सरपंच एजुकेटेड हैं, मिडल और मिडल से ज्यादा शिक्षित हैं । इससे यह जाहिर होता है कि पढ़े-लिखे लोगों का पंचायत राज की तरफ अकर्षण बढ़ा है । यह सही निशानी है तेजी से प्रगति होने की....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रगति का निशान नहीं है, ८२ पर्सेन्ट जो किसान आये हैं, उनमें किसान ने अपने बच्चों को आमतौर पर पढ़ा लिखा लिया है, इतना फर्क पड़ा है, पढ़े-लिखे लोगों ने इलेक्शन फाइट किया है ।

श्री मथुरादास माथुर : इस तरह से २३ पर्सेन्ट तो वे लोग हो गये और ६० पर्सेन्ट दूसरे हो गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे क्लास केरेक्टर पंच और सरपंच का नहीं बनता।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात तो सुन लीजिये। ८२ पर्सेन्ट मैंने जो कहा, उसका ब्रेक अप जब तक न आ जाय क्लॉस केरेक्टर नहीं बनता, इसलिये सर्वे की जरूरत है ६२-६३ के फीगर्स पर हम नहीं चल सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह हम मानते हैं। पढ़े-लिखे लोग आये हैं और आ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आप सवाल बाद में पूछ लीजिये, पहले मुझे तो कहने दें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज के अन्दर किस केरेक्टर के लोग आ रहे हैं। मैंने बताया फीगर्स के जरिये मिडल-मैन, बिज़नेस मैन, सूदखोर आधा पर्सेन्ट आये हैं। ८२ पर्सेन्ट का जो फीगर दिया है उसका इनकम वाइज़ फीगर वर्क आउट नहीं हुआ है। यह सोशियल रिफ्लेक्शन है जैसा मैंने निवेदन किया। इसमें समाज की कमजोरी और समाज की जो अच्छाई है वह आपके सामने है। इससे यह तो जाहिर होता है, पंचायत राज के अन्दर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। मैंने निवेदन किया २३.८ पर्सेन्ट मिडल पास हैं और इसमें भी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन दिनों हम शिक्षा की बात करते हैं, वहां एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम के अन्दर गांवों में बड़ा उत्साह रहा है। पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा का प्रसार किया गया है, लेकिन यह सही है कि लोगों में कॉन्शियसनेस आयी है। प्रौढ़ शिक्षा में ये पंचायत समिति वाइज फीगर्स बढ़े हैं, इससे हमें उत्साह पैदा होता है; दिन प्रतिदिन पंचायत राज बढ़ता चला जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने जो एडल्ट एज्युकेशन के लिये कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन शिक्षकों को लगाया जाता है प्रौढ़ शिक्षा के लिये उनको अलाउन्स वगैरह नहीं दिया जाता, झूठे अंगूठे लगा कर विभाग को सूचना भेज दी जाती है। आप इसको एडल्ट एजुकेशन की तरक्की के आंकड़े मत मानिये।

श्री मथुरादास माथुर : उनको तनख्वाह या अलाउन्स नहीं मिलता है यह दूसरी बात है। लेकिन नम्बर बढ़ा है वह तो कैसे छिपा सकते हैं। तनख्वाह बढ़नी चाहिये, लेकिन इससे यह तो नहीं कह सकते कि एडल्ट लिटरेसी नहीं बढ़ी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडल्ट लिटरेसी के जो आंकड़े आपने बताये हैं वे गलत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अंगूठा लगाने की बात आप कहते हैं, हो सकता है सौ पचास से लगवा लिया हो, लेकिन जो ट्रेन्ड नजर आता है, उससे साफ जाहिर होता है, प्रौढ़ शिक्षा में वास्तव में प्रगति हुई है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत राज के अन्दर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। १८० पंचायतों ने कर लगाये हैं, चालीस लाख के कर अपने फन्ड्स को बढ़ाने के लिये अपने खर्चे के लिए लगाये हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

एक माननीय सदस्य कह रहे थे–पंचायत राज गिर रहा है लोगों की आस्था कम हो रही है; यह बेकार एक्सपेरीमेन्ट हुआ, इससे वापिस गो बैक हो जाना चाहिए।

(४. म. प.)

गो बैकहोने की कोई जरूरत नहीं है। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि वहां प्रजातन्त्र को बढ़ते देख कर हमारे हौसले बढ़ रहे हैं। राजस्थान का भविष्य इसमें उज्ज्वल दिख रहा है।

पंचायत राज होने के बाद हमारे शिक्षा विभाग द्वारा जो स्टूडेन्ट्स के एनरोलमेन्ट के लिये पखवाड़ा मनाना पड़ता था, बड़े प्रयत्न करने पड़ते थे, उसके बिना आज जो वृद्धि हो रही है उसके लिये भी पंचायत राज को धन्यवाद दें तो मेरा ख्याल है गलती नहीं करेगा यह सदन।

इसके अलावा हर क्षेत्र में देखें। आपको ताज्जुब होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, अखिल भारतीय कम्पीटीशन में १२ पंचायत समिति फतहपुर पंचायत सबसे पहली स्टेण्ड हुई, प्रोडक्शन के कार्य में और दूसरे कार्य में तो फतेहपुर की पंचायत के लोगों को, सरपंच को, जनता को, हम धन्यवाद दें तो हम अपना फर्ज अदा करेंगे। हिन्दुस्तान में अव्वल आ जावे पंचायती राज और विकास में इस बात का द्योतक है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यों ने जिक्र किया कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट में हमने क्या किया, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के बारे में राजस्थान सरकार अत्यन्त जागरूक है और इसी रिपोर्ट पर, अगर समय मिला, तो इसी सत्र के होने से पहले पहले उसकी सिफारिशों पर आधारित बिल पेश कर देंगे। और अगर समय नहीं मिला तो अगले सत्र में पंचायत मेन्युअल के फॉर्म में पेश करना पड़ेगा। तो अगर समय मिला तो इस सत्र के खत्म होने से पहले सदन के सामने रख देना चाहते हैं, फिर उसे आप सिलेक्ट कमेटी में भेजें या क्या करें। यह कोशिश करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय ले लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : निर्णय ले रही है। चिन्तन जारी है, विचार चल रहा है और सदन के खत्म होने से पहले पहले अगर समय मिल गया तो बिल को भी पेश कर देंगे। अगर अभी समय नहीं मिला तो अगले सत्र में तो जरूर कर देंगे, इसमें कोई गलती नहीं रहेगी।

अगर यहां पर प्रोडक्शन के प्रोग्राम की तरफ देखें तो निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर जो रासायनिक कैमिकल फर्टिलाइजर के वितरण का सवाल है; ४,८२१ मण हर पंचायत समिति में हुआ है। यह पुराने आंकड़ों से मिलावें तो कहीं पर सेन्ट-परसेन्ट और कहीं पर ६० परसेन्ट तरक्की हुई है। उन्नत बीज के वितरण की तरफ देखें तो ३,३६८ मण उन्नत बीज बांटा है यह भी इस बात का द्योतक है कि लोगों का झुकाव

(श्री मथुरादास माथुर)

इस तरफ हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर अकेले एक साल के फीगर दे रहा हूं दिसम्बर तक के नौ महीने के। इर्रिगेशन वैल हर पंचायत में ५६ खोदे गये है। ड्रिंकिंग वाटर वैल हर पंचायत में नये ५ एडीशन हुए हैं। तो इस तरफ वहां दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। तो यह सब पंचायती राज की देन है।

इससे साफ जाहिर है कि हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मौजूदा प्रणाली में भी।

अब उपाध्यक्षजी, दो–तीन बातों को और निपटा देता हूं। फिर मूलभूत बातों पर आता हूं।

अनुदान के बारे में कहा कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से होता है। बराबर नहीं दिया जाता। राज सरकार पंचायत समितियों को देती है तो इसमें सरकार डाइरेक्ट रेस्पोन्सिब्लि है। पर पंचायत समिति देती है पंचायतों को। अब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो उनकी जिम्मेदारी है। अब इसमें सरकार कहां तक कम्पेल कर सकती है, यह सवाल पैदा हो सकता है।

आज जो विचार कर रहे हैं कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट का और पंचायतों का यह तो सबको बराबर मिलता है। पैसा किसी को कम मिलने का सवाल नहीं होता। पर राज्य सरकार पंचायत समिति को देती है २५ पैसा पर-हैड पर-कैपिटा और बीस पैसा देती है पंचायतों को। यह अनुदान राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें तो बराबर वितरण होता है।

अब रही तीसरी बात कि दूसरे विभाग अनुदान देते हैं तो वे पंचायत समितियों और पंचायतों को स्कीम वाइज़ देते हैं। तो इससे कहीं एनीमल हस्बेन्डरी में ज्यादा मिलेगा। २२ एरिया है। जहां पर एग्रीकल्चर का खर्चा ज्यादा होता है तो वहां वह ज्यादा मिल जावेगा। तो मेरा खयाल है कि यह पंचायत राज जो अपना है काम कर रहा है, यह प्योरली लोकल सेल्फ की तरह इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी ही नहीं है। साथ साथ डेवलपमेन्ट एजेन्सी भी है सरकार की। इसलिये इसको मुख्तलिफ विभागों की तरफ से भी भिन्न-भिन्न स्कीमों के तहत पैसा मिलता है। तो स्कीमों के तहत एडहोक नहीं दे सकते। इक्वली नहीं दे सकते। वह तो स्कीम के साथ दिया जावेगा। तो यह भ्रम निकाल देना चाहिये कि कहीं देने में पक्षपात होता है। कहीं पर ऊंट का डेवलपमेन्ट की स्कीम है तो वहां उसके लिये अधिक पैसा मिलेगा, गंगानगर में घोड़ों की नस्ल ठीक है तो उसके लिये वहां उसको अधिक मिलेगा। नागौर, सीकर, झुंझुनू में मेज का विकास करना है तो वहां इसके लिये ज्यादा मिलेगा। अगर मच्छी पालन का सवाल है तो उदयपुर डिविज़न में ज्यादा खर्चा होगा। तालाब जहां ज्यादा होंगे, वहां ही तो दिया जावेगा। इसकी सहायता जैसलमेर में कहां से दी जा सकेगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मच्छी पालन उदयपुर में मिलेगा। वहां ज्यादा मच्छी पाली जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ज्यादा है। उदयपुर में ज्यादा

(श्री मथुरादास माथुर)

पाली जाती हैं जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां मच्छी ज्यादा फंसती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बांसपुर) : वहां अच्छी अच्छी मच्छी है ?

श्री मथुरादास माथुर : सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता दोनों ही उधर के हैं । मैं तो कुछ नहीं कह सकता ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे को मच्छी मत बनाओ, बाबा; मैं तो मिनख हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों ही मगर हैं । वहां काफी मच्छियां फंसी हुई हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : तो इसलिये माननीय उपाध्यक्षजी, कोई बंटवारे में पक्षपात होता है, ऐसा भ्रम निकाल देना चाहिये । विकास विभागों पर अनुदान देने में हम कांग्रेस की है, स्वतन्त्र पार्टी की है, कम्युनिस्ट की है, इस हिसाब से नहीं देते । स्कीमों के आधार पर दिया जाता है ।

एक सुझाव हीराभाई ने इम्बेलिड्स को मदद देने के लिये दिया । इस बारे में तो वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में ऐलान कर दिया है कि पंचायत समितियों को आंकड़े इकट्ठे करने होंगे और फिर २०-२५ रुपया उनमें से अधिकारी को मिलेंगे । तो इसलिये वह तो समस्यां हल हो चुकी ।

मैं उपाध्यक्षजी, एक बात पर आता हूं । यह सुझाव दिया गया था कि पंचायत समितियों को और पंचायतों को जो स्टेच्युटरी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री हैण्ड दिया जाय कि वे खुद अपनी योजनाएं बनावें और उनके आधार पर विकास करें । उनका अगर इसी तरह सीक्रेमेटिव बजट होगा और प्लान की स्कीमें होंगी तो फिर उनका इनीशियेटिव क्या रहा ? तो मैं कहना चाहता हूं कि चौथी योजना का आपने प्रिलिमिनेरी मेमोरेण्डम पढ़ा होगा तो उसमें १० करोड़ रुपया रखा है । इस साल तीसरी योजना में अब तक ४१७३ लाख रुपया फ्री फण्ड में रखा जा चुका है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चार करोड़ मन्जूर किये थे उनका क्या हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : आपको याद होना चाहिये आपकी ही आज्ञा से कटौती कोर ऑफ दी प्लान में हुई थी, २३८ करोड़ रह गई थी तो इसलिये १० करोड़ फ्री फण्ड में रखा है । तो इस तरफ भी हमारा ध्यान है । मेरे कहने का मतलब यह है । हम फ्री फण्ड देना चाहते हैं ताकि वे स्वयं अपने इनीशियेटिव पर अपनी योजना बनाकर अपना विकास कर सकें ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव रखा था कि लैण्ड रेवेन्यू जो हमारा है वह इन पंचायत समितियों की थ्री टायर्स की ३ संस्थाओं को दे देना चाहिए पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् । मैं उपाध्यक्षजी, निवेदन कर दूं कि इस साल

(श्री मथुरादास माथुर)

लैण्ड रेवेन्यू हमारा बड़ा फूलक्चुएटिंग है। कभी कहतसाली हो गई, रेमीशन हो गया तो ६ से ७ करोड़ हो गई। इसके अलावा मैं यह और बता दूं कि इस साल तो ७ करोड़ लैण्ड रेवेन्यू होगा लेकिन १४ करोड़ रुपया पंचायत समितियों को मुख्तलिफ विभागों द्वारा अनुदान के रूप में या लोन के रूप में दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं और माननीय सदस्य अलवर से आने वाले इसको मन्जूर करेंगे कि उनके यहां पर जो पंचायतें हैं उनका लैण्ड रेवेन्यू ज्यादा होता है और जहां से हम आते हैं वहां से बहुत कम लैण्ड रेवेन्यू होती है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं वहीं तक सीमित रहने की बात थोड़े ही कहता हूं वह तो दे दो और एक्स्ट्रा और दे दो। उसको लेकर वापिस रिटर्न क्यों करते हो ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो रुपये की बात है चाहे हम लेकर दे दें या कैसे भी कर दें लेकिन रुपया मिलना चाहिए, खास बात तो यही है। दूसरे मैं सिस्टम पर भी आता हूं। ७ करोड़ की जगह हमने १४ करोड़ रुपया दिया है। आपकी बात मान भी ली जाये तो ७ करोड़ ही रहेंगे और जिनकी लण्ड रेवेन्यू ज्यादा है, वे तो निहाल हो जायेंगे और हम लोग सब बर्बाद हो जायेंगे। तो यह बात मान नहीं सकते। यह इन्साफ की बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : You are mis-interpreting things.

श्री मथुरादास माथुर : Not at all.

इसके अलावा यह कहते हैं कि इकट्ठा करके क्यों दें? अगर मैं कहूं कि लैण्ड रेवेन्यू का कलेक्शन आगे जाकर कभी न कभी इन पंचायतों के हाथों में जायेगा लेकिन आज के दिन मेरा ख्याल है कि लैण्ड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सरपंचों को कहा जाये तो उनको बड़ी मुश्किल पड़ जायेगी। हमने इतने कर लगा रखे हैं ऑब्लीगेटरी, मेन्डेटरी वह भी लगा नहीं पाते हैं, इसलिए टैक्सिंग ऑथोरिटी और कलेक्शन ऑथोरिटी जितनी टैक्सपेयर से दूर होगी उतना ही अच्छा है और जितनी नजदीक होंगे उतना ही मुश्किल हो जायेगा। कुछ तजुर्बा हमको है और कुछ उधर बैठने वाली को हो सकता है। गांवों में सरपंच सुबह दर्शन के लिए मन्दिर में जायें तो गांव के लोग मिलें, ट्टी जाने के लिए लोटा लेकर जायें तो गांव के लोग मिलें और घूमने के लिए जायें तो गांव के लोग मिलें और उनके ऊपर टैक्स लगा दें तो उनको चारों तरफ से गालियां पड़ें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो यहां कौल साहब को एक कोठी में जो बैठकर टैक्स लगा देते हैं उनको भी पड़ती हैं।

श्री मथुरादास माथुर : टैक्स तो लगाना पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट तो कम लगाती है तुम्हारी जो सोशियलिस्ट गवर्नमेंट है वह तो और भी ज्यादा लगाती है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं लगाती है।

श्री मथुरादास माथुर : रूस के अन्दर बैचुलर्स टैक्स है। रंडवों के ऊपर भी टैक्स लगायें, रूस में यह भी कोई बात है ?

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिए आज की हालत को देखकर कोई भी थ्योरम एक जमाने में अनफिट हो सकती है और एक बदले हुए जमाने में फिट हो सकती है। हमारी हालात को देखते हुए इस समय जो भी राज्य सरकार ने कदम उठाये हैं और जो भी आगे उठाने के लिए मुत्तलिक कमेटी बैठाई है वह विचार कर रही हैं। सादिकअली कमेटी रिपोर्ट में भी सब लोग थे उन्होंने भी रिकमन्डेशन दी है। जो यह पंचायती राज्य है, यह एक प्रेक्टिकल सोशियल प्रपोजीशन है जो इस राज्य ने निकाला है और इसके जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के बारे में कुछ लोगों ने कहा। मैं यह उपाध्यक्षजी, इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों का हमारे राज्य में पहला प्रयोग है और यह अपने आपमें एक तरह का प्रयोग है। ये न्याय पंचायतें नहीं हैं ये न्याय मन्दिर हैं। अमूमन वकील लोग कहते हैं कि हमें वहां जाकर बहस करनी चाहिए लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सिद्धान्त हम इसमें लाना चाहते हैं वह यह है कि गांव के लोग अपने झगड़ों का आपस में निपटारा करें ताकि आपस में मिलजुलकर वह काम कर सकें। मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन १२ आना मुकदमे गांवों में आपस में न्याय पंचायतों की तरफ से निपटा दिये जाते हैं। यह हमारी जीत का सबसे बड़ा नमूना है। रूस के अन्दर इलेक्टेड कोर्ट्स हैं, अमेरिका में भी इलेक्टेड कोर्ट्स हैं और राजस्थान पहली जगह है जहां पहली दफा राज्य में इलेक्टेड न्याय पंचायतें हैं और यह पहले राजस्थान ने ही दी है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : There are other States also.

श्री मथुरादास माथुर : दूसरी जगह नहीं हुआ था। हमने सबसे पहले शुरू किया था। ज्यादा पॉवर्स उनको दी जायें, इसके लिए भी हम जागरूक हैं और मैं आपको बताऊं कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और मुझे खुशी है कि वहां जो कुछ काम किया है उनकी अपील का पर्सेन्टेज और रिवीजन का पर्सेन्टेज भी देखें तो वह बहुत थोड़ा है इसलिए न्याय पंचायतों के प्रति हमारी आस्था थोड़ी बढ़ती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्षजी, अब मैं आधार भूत बात पर आता हूं जो कि यहां पर कही गई थी। वह यह थी कि इस पंचायती राज्य के अन्दर मैं हमेशा इस पंचायती राज्य को एक सूई की मिसाल देता हूं। सूई की नोक है वह तो है पंचायत और सूई की जो बॉडी है वह है पंचायत समिति और सूई की जो आंख है वह है जिला परिषद्। इस सूई के जरिये से हम समाज को सीना चाहते हैं, नये समाज की रचना करना चाहते हैं और इस तरह के समाज की रचना करना चाहते हैं कि जिसमें कि समाज के सभी अंग आगे बढ़ें। इसलिए सूई की नोक तो वही होनी चाहिए इसमें दो राय नहीं हो सकती। जब सूई बनती है तो पहले बॉडी बनती है फिर जो आंख है वह पंच की

(श्री मथुरादास माथुर)

जाती है और फिर आखिर में सूई की जो नोक है वह बनाई जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बड़ा सुन्दर विचार है आपका।

श्री मथुरादास माथुर : इसी तरह से हमने जो पंचायती राज्य रखा है अगर हम पहले ही सूई की नोंक तेज कर दें और बॉडी नहीं बने तो वह पोइन्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए आप जरा गौर कीजिए कि आज के हालात में टू टायर्स की बात मान लें—मैं भी सोचता हूं इसके बारे में, इसका गुजरात और महाराष्ट्र ने प्रयोग किया है उसको हम देख रहे हैं और सादिक-अली कमेटी के माननीय सदस्यों ने भी विचार किया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर हमने पंचायतों को मजबूत बनाने की सोची और सोचना चाहिए भी—मगर पंचायतों को मजबूत बनाने का सवाल पैदा हुआ और अगर जिला परिषदें रखी गई और पंचायत समितियां हट गई तो फिर आपको पंचायतों का नवनिर्माण करना पड़ेगा। दो-ढाई हजार की आबादी पर पंचायत वर्किंग कभी प्रोपर नहीं हो सकता इसलिए यह सोचना पड़ेगा कि ५-७ या १० हजार की आबादी पर पंचायतें बनाई जायें। अगर इसको सोचेंगे तो नई चीज पैदा हो जायेगी। इसलिए हमारा जो राज्य है उसमें पंचायत को दो-ढाई हजार की आबादी का माना है ताकि डाइरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सके। अधिकार उनको और भी दिये जायेंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के पास जो एक्सटेन्शन सर्विसेस हैं, उसको हम पंचायतों को नहीं दे सकते वर्ना बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की तैयारी बन जायेगी और पंचायत राज्य न रह कर ब्यूरोक्रेटाइज हो जायेगा—जिसको हम नहीं करना चाहते है। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि अंत में ग्राम सभाओं को मजबूत करना पड़ेगा। हमें मौका मिलेगा तो हम इस पर विचार करेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचेगे। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नत्थीसिंहजी कह रहे थे कि टू टायर सिस्टम कर देना चाहिए। अगर ऐसा किया तो हमें पंचायतों का री-आर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। फिर पंचायत समितियों को कुछ लिम्ब्स देने होंगे। चाहे वह ब्यूरोक्रेटिक लिम्ब्स हों या सर्विस लिम्ब्स हों। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थ्री टायर सिस्टम किया है यह ठीक तरह से चालू रखना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो माननीय सदस्यों ने सुझाया है कि हमें निडिल पोइन्ट को मजबूत करना चाहिए और ग्राम सभा को एक स्टेचुटरी बॉडी बनानी चाहिए तो यह विचार आपके सराहनीय हैं और सादिकअली कमेटी ने भी इसके ऊपर कहा है और राज्य सरकार भी चिंतन कर रही है ताकि पचायतें अपने इलाकों में इफेक्टिवली काम कर सकें, पंचायत समितियां अपनी जगह कर सकें और जिला परिषदें अपनी जगह कर सकें। यह थ्री टायर सिस्टम राजस्थान के नये सोशियल फाइबर में उन्नति करेगा और इन तीनों का रहना जरूरी है, आगे जाकर भविष्य में जिस तरह से जमाना बदलता जाता है, जिस तरह चिन्तन बढ़ता

[redacted]

(श्री मथुरादास माथुर)

जाता है, उस पर फिर चिन्तन कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत राज एक स्टेटिक इन्स्टीट्यूशन नहीं या स्टेटिक फिनोमेना नहीं हैं वह डाइनेमिक फिनोमेना है। उसको इधर उधर कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डायर्की सिस्टम को एबोलिश करने के बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कौन सा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कलेक्टर, तहसीलदार जो कि इनसे कोरेस्पोंड करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एक माननीय सदस्य ने डायर्की सिस्टम का जिक्र किया था। डायर्की लफ्ज सिर्फ १९३५ के कॉन्स्टीट्यूशन का लफ्ज था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तहसीलदार एस. डी० ओ० वह भी हैं और डेवलपमेंट और विकास के काम के लिए बी० डी० ओ० वगैरह भी हैं। यह बहुत ही फण्डामेंटल सवाल है। उसके ऊपर आप भी चिन्तन करें। ऑफ हैण्ड मैं सदन में नहीं कह सकता। अलग अलग विचार हैं। जयप्रकाशजी और दृष्टिकोण से सोचते हैं। पंचायत राज्य यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन जिस तरह से म्युनिसिपल है। उस वक्त इसको भी सेल्फ गवर्नमेंट की युनिट बनानी पड़ेगी। उसको म्युनिसिपल पॉवर देदें उसके अलावा और सब दे दें, मगर यह नहीं हो सकता कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन रह कर सरकार के पीछे रहे और वहां पर उनके एजेन्ट की तरह काम करें। तो उससे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जायेगा। डेवलपमेंट के काम उनके जरिये से करवाते हैं और रेवेन्यू के काम उनके जरिये से करवाते हैं। उनको मिक्स करने से बड़ा डेन्जर है। एक तरफ तो यह स्टिक किया था, मेरे खयाल से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० एक आदमी होते थे तो उस वक्त इस सदन में माननीय सदस्यों ने कहा था कि एस० डी० ओ० रेवेन्यू कलेक्टर सा है और रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इसके पास मुकद्मे भी होते हैं इस वास्ते अपने दबाव से श्रमदान ले लेते, हैं इसलिये इनको सेपरेट करना चाहिए। जनता का इन पर कोई विश्वास नहीं है, और अल्टीमेटली जाकर अखिल भारतवर्ष में बी० डी० ओ० और एस० डी० ओ० को अलग कर दिया। बी० डी० ओ० को विकास का काम दे दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव काम एस० डी० ओ० को दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस वक्त पंचायत समितियां नहीं थीं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूं। यह एक्सपेरीमेंट हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस वक्त कन्ट्रोल रखने वाले चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे।

[redacted]

श्री मथुरादास माथुर : दोनों इन्टीग्रेट न हो जाएं वर्क, उनकी एक्टीविटीज़ और प्रोग्राम तब तक अलग रहेंगे। इन्टीग्रेट कर देंगे तब एक ऑफिसर रहेगा। आगे जाकर जब विकसित स्वरूप बनता है तो करेंगे, लेकिन आज की हालत में न सादिकअली कमेटी यह बात कहती है और न सन्थानम कमेटी यह बात कहती है और न हिन्दुस्तान में कहीं यह विचारधारा है जो आपने दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केरल की रिफॉर्मर्स कमेटी ने कहा है।

श्री मथुरादास माथुर : केरल की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में सदन के सामने न रखूं और न विचार करूं तो अच्छा हो, क्योंकि उनका दृष्टिकोण जो था वह कम्यून्स का था। कम्यून्स जो होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की इन्स्टीट्यूशन्स हैं उसमें तो पुलिस भी उनके नीचे होती है और वहां पर तो रेवेन्यू की ही बात कहते हैं। वह अलग पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कन्सेन्ट्रेशन ऑफ पॉवर केवल ऊपर का होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन में उसकी बात मत करिये वह दूसरा मामला है। उसके ऊपर न इस वक्त मेरे पास समय है और न मैं जाना चाहता हूं। वह केरल की रिपोर्ट रखी रह गई, क्योंकि रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी गई थी। उसको बहैसियत होम मिनिस्टर के मैंने स्टडी की थी। मैंने कमेन्ट्स केरल गवर्नमेंट के पास भेजे थे। न वह बांस रहा और न बांसुरी। न वह गवर्नमेंट रही और न मेरे प्रोपोजल्स पर विचार किया हो। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। इसलिए बीती हुई बात पर सोचने से और फटी हुई पोथी को पढ़ने से क्या मतलब है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरों से सीखने की कोशिश करना अक्ल की बात है। अपनी अक्ल से सोचते नहीं और दूसरों की मानते नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : अच्छी बात होगी तो देश के लिए मान लेंगे, चाहे वह काबा से, चाहे मदीना से आये, चाहे मॉस्को से आये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : मान लेंगे, कहते हैं; फिर भी नहीं मानेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस बात को खत्म करूंगा, क्योंकि साढ़े चार बजे गुलेटीन लग जायेगा। इसलिए सदस्य लोग मुझे माफ करें।

दो-चार बातें कही गई हैं। लूणकरणसर के प्रधान के बारे में कहा गया। यह मामला है गबन का। इस मामले की जांच होकर उनको निर्देश दे दिया गया है और पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है और उसके ऊपर इनको हटाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया है। शोकॉज नोटिस फाइनल नोटिस होता है वह दे दिया गया है। इसके बावजूद जनता ने उनको पहले ही हटा दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४०६ का केस है तो उसका फौरन अरेस्ट होना चाहिए। वह अरेस्ट क्यों नहीं होता?

श्री मथुरादास माथुर : अरेस्ट पुलिस करेगी। मुझे पता नहीं। अरेस्ट किया जमानत हो गई हां तो मुझे क्या पता ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : न जमानत हुई और न अरेस्ट हुआ है, और वह आराम से फिर रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मुकदमा तो चल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कतई मुकदमा नहीं चल रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why he should not be arrested ? यह फर्स्ट नम्बर का है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक विकास विभाग का सम्बन्ध है गबन के बारे में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चल रही है। दूसरे पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है। पुलिस में क्या हो रहा है, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता? आप क्वेश्चन के जरिये होम मिनिस्टर से पूछ लें, वह बता देंगे कि क्या मामला है।

दूसरी जो बात यह कही गई थी वह है रायसिंहनगर के बीज के बारे में। इसकी जांच हो रही है और उसके बारे में डिटेल्स इस वक्त नहीं आये हैं। उसके फीगर बता दूंगा कि क्या एक्चुअल पोजीशन है।

सूरतगढ़ के प्रधान के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, यह बात है कि जब पंचायत राज नहीं बना था और तहसील पंचायतें थीं उस वक्त रुपया दिया गया था रिफ्यूजीज़ के कम्पेन्सेशन का, जमीन के बारे में। वह रुपया कुछ को दे दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया और वह रुपया रह गया। उसको नोटिस दिया गया, उसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है और केस रजिस्टर भी हुआ है। उसका जवाब मांगा तो मालूम पड़ा कि वह रुपया बैंक में जमा करा दिया था और ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया तो इल्लिगेलिटी इर्रेग्युलेरिटी में आ गई। डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी चल रही है। वह पूरी होने के बाद फैसला हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'बी' का पूछा है।

श्री मथुरादास माथुर : वह दूसरा है। वह रायसिंहनगर के अन्दर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सूरतगढ़ के प्रधान ने बीज बेचा जो कि लीगली नहीं बेच सकता है। मेरा सदन में प्रश्न था, जिसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि हां बीजबेचा है और वाउचर नम्बर से खरीदा गया है और उसके बाद यह भी माना है कि वह प्रधान नहीं रह सकता, क्योंकि ट्रान्जेक्शन करने वाला प्रधान नहीं रह सकता है, लेकिन वह बाकायदा प्रधान है।

श्री मथुरादास माथुर : आखिर में उसकी जांच हो रही है। उसके डिटेल्ड फीगर्स मैं दे दूंगा, इस वक्त मैं नहीं दे सकता, माननीय उपाध्यक्ष ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बांसूर पंचायत समिति का एक केस था। उसका मुझे सम्पतरामजी ने कहा था। मेरे पास आज तक उसकी लिखित शिकायत नहीं आई है। आज कहा तो मैंने डिपार्टमेंट से पूछ लिया कि भाई ऐसी शिकायत आई क्या। हलाहल पर्चे फाड़ देना यह जुल्म है। इसकी जांच कराने की आवश्यकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेपुटेशन आया और लोगों से मिला है।

श्री मथुरादास माथुर : किससे मिल कर गया है? मिनिस्टर तो मैं हूं। जयपुर में आये और तीसरे से मिलकर चले जायं तो इसके लिए मैं गुनहगार नहीं हूं। मेरे पास अभी आया है, तो जांच करा लूंगा। पहले आये होते तो इतनी देर नहीं होती और मैं जवाब तुरत-फुरत दे देता।

मांग पर जो कुछ माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं उनका आभार प्रकट करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि इस मांग को पास किया जाय।

श्री चौमरसिंह बाबेल (बंगू) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन अधिकारी जो रिजल्ट्स देता है और उसके अन्दर गलत है उसके बारे में बातचीत हो जाती है, और जिस आदमी को एतराज होना चाहिए उसको कोई हर्जा न हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी जिसके पास लिस्ट वोट की है वह गलत रिपोर्ट दे दे और उसका इन्वेस्टीगेशन न हो तो उसका क्या इलाज है?

श्री मथुरादास माथुर : उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि जो आप कहते हैं वह अलग है, लेकिन वे कहते हैं कि क्लेरिकल एरर है। बैलट बोक्स बन्द होकर कोर्ट में चला गया है। कोर्ट सील तोड़ कर अगर गिनती लगायेगी और वोट निकलेंगे और क्लेरिकल एरर नहीं हो तो फिर पोजीशन अलग है।

श्री चौमरसिंह बाबेल : जिसने रिजल्ट लिस्ट में लिखा है और वोट बन्द हों और जीतने वाले को हारने वाला घोषित कर दें और बातचीत नहीं हो तो सरकार क्या करेगी आयन्दा के लिए?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा सरकारी कानून में मुझे नजर नहीं आता। जब तक इस बात का सुबूत न हो जाये कि उस आदमी ने जान-बूझ कर ऐसी बात की है तो उसके अन्दर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है कानून में, एग्जीक्यूशन भी हो सकता है।

श्री चौमरसिंह बाबेल : बिना कानून के कैसे करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : तब यह करेंगे जब कि इस तरह की बात हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आपके पंचायत विभाग में यह लिखा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लूणकरणसर के प्रधान के सम्बन्ध में आपने स्वीकार कर लिया है कि आपके विभाग ने कैसे पुलिस में दे दिया है? इससे जनता में असंतोष

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ज्यादा होता जा रहा है। क्या आप पुलिस को इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही करने के लिए लिखेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : हां, हां पूछ लेंगे, क्या बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लिखियेगा या नहीं लिखियेगा ?

श्री मानसिंह महार (आमेर): झोटवाड़ा के सरपंच इन्दरसिंह हैं उनके बारे में कुछ बता दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : एक सुझाव मेरा भी इसके साथ साथ था···

श्री मानसिंह महार : एक का जवाब तो आने दो।

श्री मथुरादास माथुर : इन्दरसिंह के बारे में स्थिति यह है कि वे शो कॉज़ की स्टेज में हैं।

श्री मानसिंह महार : सस्पेन्ड नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : सस्पेन्ड किया बाद में वह री-इलेक्टेड होकर आया है। इन्क्वायरी शो कॉज़ नोटिस की लास्ट स्टेज पर है। अगर वह हार जाता तो मामला खत्म हो जाता, लेकिन वह री-इलेक्ट होकर आ गया है। अब फाइनल स्टेज पर है।

श्री मानसिंह महार : यह बिलकुल गलत है, उसको सस्पेन्ड नहीं किया है। सस्पेन्ड कागजों में किया होगा, वैसे नहीं हुआ होगा।

श्री मथुरादास माथुर : He was suspended but he has again been re-elected as Sarpanch. The enquiry is at the final stage.

श्री मानसिंह महार : आपने जो जवाब दिया है, वह ठीक है लेकिन he was not suspended. पेपर्स में होगा, प्रेक्टिस में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं देख कर बता दूंगा।

श्री मानसिंह महार : आप इसमें जांच करा दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का संतोषजनक उत्तर नहीं है लूणकरणसर के बारे में···

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है। यह कागज आप सदन की मेज पर रखा दें। क्योंकि गलत सूचना सदन को दी है।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, नहीं; कागज रखने का सवाल नहीं है।

श्री मानसिंह महार : कागज रखा दें।

श्री मथुरादास माथुर : यही सवाल पूछते हैं और यही जवाब चाहते हैं। जो

(श्री मथुरादास माथुर)

इन्फोर्मेशन टेलीफोन से पूछी जा सकती थी वह पूछ कर बता दी। अब उसमें गलती भी हो सकती है। लेकिन यह कह सकता हूं कि इन्क्वायरी चल रही है और फाइनल स्टेज पर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : साढ़े चार बज चुके हैं। मुख बन्द हो गया है।

श्री चौसरसिंह बाबेल : मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तहसील नोहर में····

श्री उपाध्यक्ष : एक एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री मथुरादास माथुर : एक एक माननीय सदस्य बोलें तो कुछ उत्तर दे सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): तहसील नोहर में पंचायत समिति रामगढ़ है, जिसमें १ लाख २८ हजार की जमीन सिर्फ साढ़े आठ हजार में बेच दी जब कि वह भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में थी। डिप्टी डाइरेक्टर के कोलोनाइजेशन ने उस जमीन के अलॉटमेन्ट को रद्द कर दिया। उसके बावजूद वह मामला पेंडिंग है, न तो उस जमीन पर से नाजायज कब्जे को हटाया गया है और न सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ आज तक कार्यवाही की है वह कन्क्लूड हुई। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक उसे कन्क्लूड कर देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : वह कार्यवाही फाइनल स्टेज पर है। मेरे ख्याल में महीने, दो महीने में कम्प्लीट हो जायगी। बाकी जो लोगों को उस जमीन पर से हटाने का काम है, इजेक्ट करने का काम है वह कलेक्टर का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कलेक्टर का काम है, लेकिन सरकार रेस्पोन्सिबल है कि उन्हें वहां हटाये। मैं पूछना चाहता हूं कि इल्लीगल सेल करना, इल्लीगल जमीन को बेचना, सरपंच के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन है। उस इल्लीगल सेल के बाद सेल प्रोसीड होने से पहले गवर्नमेंट को वह जमीन अपने कब्जे में, अपने पजेशन में करनी चाहिए। आप इसके लिए तैयार नहीं हैं और उसमें डेढ लाख रुपये का मामला है।

श्री मथुरादास माथुर : प्राइमाफेसी जो आपने पांच मिनट में बात बताई, उसके आधार पर मुझे प्रतीत हुई। उस सरपंच के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इजेक्ट करने के बारे में मैंने फाइल मंगाई है। वह फाइल पहुंची नहीं। उसको देख कर और कलेक्टर को लिख कर उसको इजेक्ट किया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मिनट के लिए, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि बैंगू से आये हुए माननीय सदस्य ने जो समस्या आपके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सामने रखी, मान लीजिये कि एक पंचायत के चुनाव होते हैं, एक व्यक्ति को ६० वोट मिलते हैं और एक को अस्सी वोट मिलते हैं। अब अस्सी वोट वाला विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर इसकी इलेक्शन पिटीशन हो तो मामला सब-जुडिस हो जाता है और जब तक फैसला नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। किन्तु माननीय सदस्य, जो बैंगू से आये हुए हैं, ने यह प्रश्न आपसे पूछा कि अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो कि कम वोट वाला विजयी घोषित किया जाय और ज्यादा वोट वाला पीछे रह जाय और उस पर इलेक्शन पिटीशन नहीं हो और वह सरकार के समक्ष विचार के लिए आवे तो सरकार इस बारे में निष्क्रिय न रह जाय, लेकिन कुछ न कुछ कार्यवाही करे।

श्री मथुरादास माथुर : इसके दो जवाब हैं। जहां तक डिक्लेअर कर दिया गया है, पंचायत का चुनाव डिक्लेअर कर दिया गया है और वह इलेक्टेड घोषित हो गया है और उसने शपथ ले ली है तो उसको हम हटा नहीं सकते। अब रहा प्रश्न कि ऑफिसर ने बेईमानी की है और कम वोट वाले को विजयी घोषित कर दिया गया है तो उसमें इन्क्वायरी करके उसको प्रोसीक्यूट कर सकते हैं।

श्री चौसरसिंह बाबेल : पिटीशन के लिए दो सौ रुपये चाहिए। अब जो ऐसा ऐसा व्यक्ति है वह लाये तो कहां से लाये ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो प्रधान पंचायत समिति के थे.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुंह बन्ध हो गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्रीजी एक प्रश्न का उत्तर दे दें......

श्री रामानन्द अग्रवाल : लूणकरणसर के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है, यह एक साल पुराना मामला हो गया है। आखिर गवर्नमेंट का कुछ तो रेस्पोन्स हो। पंचायत तो वही है, यह वह बताये कि दो वर्ष पहले राष्ट्रीय रक्षा कोष का जो गबन का मामला है उसमें अभी तक एक्शन नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि वह आपकी पार्टी का है।

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Why no action against him so far ?

श्री मथुरादास माथुर : पार्टी वाले को भी नहीं बख्सा है, यह आप जानते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : यह सवाल यहां आज उठाया......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार दफा मैंने इस प्रश्न को उठाया है। चार दफा मैं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इस प्रश्न को उठा चुका हूं, लेकिन लगातार......

श्री मथुरादास माथुर : तीन–चार दफा जोर जोर से बोले तो उससे जवाब तो आयगा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं प्रश्न उठा चुका हूं। "जोर से और शांति से" का प्रश्न नहीं है।

मथुरादास माथुर : यह बतादूं कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने की है। अब वह इन्वेस्टीगेशन में पुलिस में चल रहा है। अब वह किस स्टेज पर है वह इस वक्त यहां बैठे बैठे मैं नहीं कह सकता। आप या तो मुझसे चेम्बर में मिल लीजिये तो मैं पूछ कर बता दूंगा या क्वेश्चन पूछे तो जबाब दे दूंगा कि इन्वेस्टीगेशन किस स्टेज पर चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर है – यही उत्तर रहा है। वह आखिरी स्टेज पर पहुंचना नहीं चाहती।

श्री मथुरादास माथुर : हम कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष ! ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मानसिंह महार : इनको पूछने का हक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तीन दफा मैंने प्रश्न उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो छात्र होते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री डूंगाराम राजोरिया : उनके लिये छात्रवृत्ति, प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये पंचायतसमिति के नाम दे रखी है लेकिन वह छात्रवृत्ति उन छात्रों को नहीं मिलने का क्या कारण है। आप कहते हैं कि यह पंचायतसमिति के थ्रू मिलनी चाहिए। लेकिन पंचायतसमिति कहती है कि हमारे पास अनुदान का पैसा आता नहीं है जो हम देदें। समाज कल्याण वाले कहते हैं कि हम भेज देते हैं। यह छात्र वृत्ति उन बच्चों को मिलनी चाहिये जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं, उनको नहीं मिलने का क्या कारण है?

श्री मथुरादास माथुर : छात्रवृत्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को नहीं मिलती है, यह सवाल है?

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : समाज कल्याण के द्वारा मिलती है लेकिन पंचायत समिति के द्वारा वितरित नहीं होती है।

श्री मथुरादास माथुर : किसी पर्टिक्यूलर पंचायत समिति का नाम बता दें तो मैं जांच कर लूंगा कि क्यों नहीं हुई !

श्री डूंगाराम राजोरिया : जमुवा रामगढ़ और आमेर के लिये अर्ज कर रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : जमुवा रामगढ़ में वितरित करवा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख बन्द का प्रयोग किया जाता है ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३७-सामुदायिक विकास परियोजनायें राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३ करोड़ ४४ लाख ६८ हजार तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २२ स्वीकार की गई ।

(५. ३९. म. प.)

शेष मांगों पर मुख-बंध

मांग संख्या २–राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६५,६७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ३–गाड़ियों पर कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,३१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४–बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४७,६२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ६–स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,५६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ७-पंजीयन शुल्क

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५-पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,५०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८-संसद राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८-संसद राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र विधान सभाएं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,४९,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ९-सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८६,२६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,९२,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११-कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४२, ७१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ११ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,७३,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २८-दुर्भिक्ष सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ६४-दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५०,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २९-निवृत्ति वेतन इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६५-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ, ७२-निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,४९,०७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३०-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,१०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३२-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७७,६६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४-विविध

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५७,०८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३५-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६७,६३,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६-राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७८-का राष्ट्रीय आपत्काल १९६२ से सम्बन्धित व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७-भूमि-धारकों आदि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ९२-भूमि धारकों आदि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,१२,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४-सड़क तथा जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ११४-सड़क तथा जल परि-

(श्री उपाध्यक्ष)

वहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,७५,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५-निवृत्त वेतनों के साराशिकृत मूल्य के भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२०-निवृत्ति वेतनों के सरांशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक १२४-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,५८,९०,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

(४.४८. म.प.)

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६५

(पुर:स्थापन)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६५ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने हमारी विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १५४ के अन्तर्गत यह विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाही है। इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति यह है कि इस रूल में लिखा हुआ है कि :

"Subject to the provisions of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary"

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संविधान की धारा २०४ के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि :

" As soon as may be after the grants under article 203 have beed made by the Assembly; there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet-"

मैं इतना ही केवल पढ़ कर सुनाता हूं। इस संविधान की धारा के अनुसार यह एप्रोप्रिएशन बिल सदन में पेश किया जा रहा है। इसमें कन्डीशन है कि धारा २०३ के अन्तर्गत पास हो जावे जो कन्सोलिडेटेड फन्ड से सम्बन्धित हों। संविधान की धारा २०३ के बारे में मुझे पड़ने की जरूरत नहीं और मैं समझता हूं कि वोट की दृष्टि से, प्रोसीजर के मुताबिक सदन में रखा।

इस भूमिका के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली २२ मार्च, १९६५ को जिस समय इस सदन में भू-राजस्व और वन विभाग की मांगें प्रस्तुत की गई थीं तो वन विभाग की मांग के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, फोरेस्ट की डिमाण्ड का मोशन श्री भीखाभाईजी ने मूव किया था। उस पर डिबेट हुई थी, मेरी आपत्ति यह है कि वह डिबेट कन्क्लूड नहीं हुई और जब तक डिबेट कन्क्लूड नहीं होती है तब तक डिमाण्ड वोट पर नहीं रखी जा सकती, डिबेट कन्क्लूड होने पर ही डिमान्ड पारित की जा सकती है। डिबेट कब कन्क्लूड होती है, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान रूल २७८ की तरफ आकर्षित करता हूं:—

"278 Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 277, the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate."

वन विभाग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री भीखाभाई ने कोई उत्तर नहीं दिया या उत्तर नहीं दिलाया गया और जब वह उत्तर नहीं दिया गया तो डिबेट कन्क्लूड नहीं हुई और डिबेट कन्क्लूड नहीं हुई तो उस संबंध में मोशन पुट करने का या मोशन पारित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

यह कहा जा सकता है, सारे रूल्स मैंने पढ़े हैं, मैंने पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को पढ़ा है, डिबेट को बीच में कर्टेल करना हो तो उस सम्बन्ध में हमारे यहां नियम २८१ है, जिसमें लिखा है :—

"At any time after a motion has been made, any member may move; 'That the question be now put' and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion That the question be now put."

Where the motion ; 'That the question be now put' has been carried, the question or questions consequent thereon shall be put forthwith without further debate."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि २२ मार्च को कोई इस प्रकार का डिबेट के क्लोज़र का मोशन सरकार की तरफ से नहीं आया तो वह डिबेट उस डिमाण्ड पर कन्क्लूड नहीं हुई, एक मन्त्री महोदय ने उठ कर कहा था-मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग पारित की जाय ।

इसे एक मिनिट के लिये क्लोज़र का मोशन मान लेते हैं तो यह क्लोज़र का मोशन भी पूरा नहीं होता जब तक कि हाउस में पुट नहीं हो और हाउस का डिसिजन नहीं हो कि क्लोज़र मोशन स्वीकार किया गया । जैसा कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने सजेस्ट किया कि ऐसा उल्लेख आया था, उसे क्लोज़र मोशन माना जाय, वह भी हाउस में पुट नहीं हुआ, इसलिये वह ठीक प्रकार से क्लोज़र मोशन नहीं माना जा सकता । इसके साथ ही साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हाउस का डिसिज़न मांगों के सम्बन्ध में किस प्रकार लिया जायगा । जो दो मांगें भू राजस्व के बारे में पेश हुईं उनके सम्बन्ध में भी मेरी आपत्ति है, एक आपत्ति वन विभाग की मांग के सम्बन्ध में पेश की कि उस पर डिबेट कन्क्लूड नहीं होने के कारण वह मांग पारित हुई नहीं मानी जा सकती । उस दिन भू राजस्व की भी मांगें थीं, उनके बारे में भी मेरा यह निवेदन है कि भू-राजस्व की मांगें भी सदन में पारित नहीं हुई । दोनों विभागों की मांगें सदन में प्रस्तुत की गई थीं, उन पर विचार हुआ था वे मांगें ये हैं :

मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३५,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९४,९२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,३३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

इन तीनों मांगों के सम्बन्ध में जो डिमाण्ड्स सदन में रखी गईं, मेरा निवेदन है कि तीनों मांगें सदन द्वारा पारित नहीं हो पाई और जब तक वे सदन द्वारा पारित नहीं हो जातीं तब तक कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल २०४ के अनुसार एप्रोप्रियेशन बिल सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

सदन के माननीय सदस्य जानना चाहेंगे कि ये मांगें कैसे पारित नहीं हुईं । मांगें पारित होती हैं सदन के द्वारा. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के द्वारा ये मांगें पारित की जाती हैं । माननीय उपा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान नियम २८३ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें यह बताया गया है कि जो मांगें सदन में रखी जाती हैं, उनके सम्बन्ध में हाउस का डिसिज़न कैसे होता है :

"A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member."

यहां यह लिया जाय कि आप से मांग की गई . तो आसन से जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा जावे कि मांग पारित की जावे उस पर हाउस का डिसीज़न कैसे होगा। यह दिया है :

"On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say "Aye" and those against the motion to say "No."

यह २८६ नियम है, इसके अन्तर्गत आपको डिसिज़न लेना होगा, आसन की ओर से यह प्रश्न रखा जायगा : "जो पक्ष में हो 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों, 'ना' कहें।" यह प्रश्न रखे जाने के बाद में स्पीकर को :

"The Speaker shall then say : I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it."

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब हम उस दिन की कार्यवाही देखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिये दिनांक २२ मार्च, १९६५ की कार्यवाही पढ़ कर सुनाता हूं, आया रूल २८३-२८४ के अनुसार सदन द्वारा निर्णय लिया गया या नहीं। मैं इन नियमों की ही बात नहीं कहता, संविधान की धारा ११४, ११३ के अनुसार जो पार्लियामेंट की इस सम्बन्ध में जो कमेंटरी है, उसका छोटा सा पोर्शन पढ़ कर सुनाता हूं :

The House of the People, shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount a Specified therein.'

और बहुत सी कमेंटरीज़ हैं। पर यह निश्चित है कि इसी आधार पर सदन द्वारा जो मांग पारित नहीं की जाती, वह मांग पारित हुई नहीं समझी जाती।

मांग कैसे पारित होती है ? रूल २८३ और २८६ के अन्तर्गत प्रश्न सदन में किया जाता है, फिर चेअर अपना डिसिज़न अनाउन्स करती है। अगर यह कार्यवाही हुई तो मुझे कुछ कहना नहीं है। पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी संतुष्टि के लिये, सदन की संतुष्टि के लिये उस दिन की वह कार्यवाही पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान थे।

"श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ९-भू-राजस्व के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को २,३५,४५, ०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

इतना है, इसके आगे न तो यह है कि "जो इसके पक्ष में हों "हां" कहें, जो इसके विपक्ष में हों "ना" कहे," न किसी ने "हां" कहा, न किसी ने "ना" कहा, न आपने निर्णय दिया कि "हां" पक्ष जीता या "ना" पक्ष जीता। इसलिये सदन ने कोई निर्णय नहीं दिया, आपने निर्णय नहीं दिया। आपने सदन में मांग पढ़ कर सुना दी। इसी प्रकार शेष दो मांगों पर भी न प्रश्न रखा गया और न कोई निर्णय दिया गया :

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०-वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१६,३३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६४,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

ये तीनों मांगें रखी गईं, जैसा मैंने पढ़ कर सुनाया वैसे रखी गईं, न "हां" के बारे में पूछा, न "ना" के बारे में पूछा, न सदन ने "हां" कहा और न सदन ने 'ना' ही कहा, न आपने कहा है "हां" और न आपने कहा है "ना"......

राज्य पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : 'हां' कहा है।

(५. म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप परसरामजी बताइये, आप डिप्टी मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है और एक प्रश्न सामने है, तो जब तक एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में यह प्रश्न निपट न जाय और सब कार्यवाही न हो जाय, तब तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करता हूं कि अगर अधिकृत रूप से कोई चीज है तो वे प्रोसीडिंग्ज़ ही हैं। कांग्रेस के माननीय सदस्यों का कहना कि प्रोसीडिंग्ज़ में हो या नहीं, हमने तो कहा था, तो यह सही नहीं है। कई माननीय सदस्य सुखाड़ियाजी को गाली देते हैं, वे प्रोसीडिंग्ज़ में नहीं है तो हम कॉग्नीजन्स नहीं लेते। तो मैंने संवैधानिक दृष्टि से यह प्रश्न उठाया है, इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, लेकिन संविधान, जिसकी शपथ लेकर हम आए हैं, उसके सारे प्रावधानों की पूर्ति नहीं करते हैं तो हम अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा रहे हैं और इस कार्यवाही में सदन का कोई मत नहीं है और आसन का निर्णय नहीं है और जब तक सदन में "हां" या "ना" नहीं कहा जाता, तब तक वह सदन का निर्णय नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहा जा सकता । कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो जाय, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाय लेकिन जो मसला सदन के सामने पेंडिंग है उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए । इसलिए इस दृष्टि से ये तीनों मांगें २२ मार्च को विधिवत् रूप से पारित नहीं की गई और जब तक तीनों मांगें सदन के द्वारा ये पारित नहीं की जातीं तब तक संविधान की धारा २०४ के अन्तर्गत यह एप्रोप्रियेशन बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता । यह संवैधानिक आपत्ति इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर है, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था दें ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न इस सदन के सामने उपस्थित किया है और जिस धारा के आधार पर उन्होंने यह एतराज उठाया है कि विधान की धारा २०४ है । उसका कहना है कि वैधानिक धारा २०३ है जिसके अन्दर इस बात को लिखा है कि हमारे यहां की जो मांगें हैं सदन के सामने वे किस तरह से पास की जायं और उसके पास होने के बाद में धारा २०४ के अन्तर्गत एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो अपने सदन के हैं उन्होंने १५४ धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि एप्रोप्रियेशन बिल रखने के लिए यह जरूरी है कि मांग मन्जूर की जाय, इस तरह का प्रश्न रखा जाय । मैं आपका और सदन का ध्यान १५६ की धारा की तरफ खींचना चाहता हूं । १५६ की धारा कहती है कि ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : पढ़कर सुनाइये ।

श्री मथुरादास माथुर :"Time limit for disposal of financial business-In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business and where time is so allotted, he shall, at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted."

Further explanation is there: 'Financial business' includes any business which the Speaker holds as coming within this category under the constitution."

उपाध्यक्षजी, इस धारा को इस सदन के सामने प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि आप तारीख २२ को जिस समय यह मामला भू-राजस्व और वन विभाग के डिमांड्स को लेकर, जब चर्चा खत्म हो चुकी थी, तब यह प्रश्न उठाया गया कि ट्रेज़री बेन्चेज़ की तरफ से इस पर यह डिबेट कन्क्लूड नहीं हुई और इसके लिए मत मांगने के लिए यह प्रस्ताव नहीं रखा गया । एक बात यह कही गई । १५६ धारा पढ़ने के बाद में मैं निवेदन करता हूं कि आपको अधिकार है विधान के अन्दर, कि कोई भी फाइनेन्शियल बिज़नेस हो और जब कि पी०ए०सी० उस फाइ-

(श्री मथुरादास माथुर)

नेन्शियल बिज़नेस को पूरा करने के लिये समय निर्धारित करती है, दिन निर्धारित करती है, लेकिन चाहे मुकर्रर समय में बिज़नेस कन्क्लूड हो या नहीं, आपको अधिकार है इस धारा के अन्दर कि आप स्वयं उस प्रश्न को वोट पर लेकर तय करते हैं, इसलिये इस धारा के हिसाब से आपको यह पूरा अधिकार था कि वह जो टाइम अलॉटेड था वह खत्म हो चुका, उसके बाद में "अपोइन्टेड अवर" इस प्रश्न को स्वयं रख कर और फंसला कर सकते थे और जो आपने किया।

दूसरा प्रश्न इतना गंभीर नहीं है जितना कि माननीय सदस्य ने रखने की कोशिश की है। उस समय सदन के अन्दर माननीय सदस्य जिस उत्तेजना से भरे हुए वातावरण में थे उसके ऊपर आपने जब इस मोशन को रखा सदन के सामने उस समय उधर से बैठने वाले सदस्यों ने "ना" कहा या नहीं, लेकिन इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने "हां" जरूर कहा

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रोसीडिंग्ज़ के अन्दर आ चुका है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करता हूं कि उस वक्त इधर से बैठने वालों ने "हां" जरूर कहा। हो सकता है कि उस ओर बैठने वाले सदस्यों ने उस "हां" को सुना नहीं हो उस वातावरण में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : लेकिन रिपोर्टर्स तो सुनते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : और इसलिए एक स्टेप है "हां" और "ना" दर्ज करने का, उस वातावरण में दर्ज नहीं किया, वह मूलभूत नहीं है जितना कि कार्यवाही में साफ है कि प्रस्ताव पारित हुआ। अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो हर डिमांड पर लिखा है कि डिमांड मन्जूर की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने यह कब, कहां कहा कि "हां" पक्ष जीता ?

Don't make it a question of prestige of the Government. The demands may be put again and they may be passed now.

श्री मथुरादास माथुर : इसमें संवैधानिक कठिनाई तब होती जब कि आपके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उसमें "स्वीकृत" दर्ज नहीं होता और 'स्वीकृत" दर्ज होना इस बात का सुबूत है कि स्पीकर महोदय ने इस मांग को सदन के सामने रखा और उस पर माननीय सदस्यों ने "हां" और "ना" जरूर कहा। इसमें दर्ज नहीं है, वह दूसरी बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : स्वीकृत होने का बाकायदा एक प्रोसीजर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I protest. The Reports are correct and Congress Benches are incorrect.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : No, no.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल प्रोसीडिंग्ज़ को चेलेंज करना कॉन्टेम्पट ऑफ दी हाउस है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका पहला सवाल था कि इधर से डिमांड्स का मोशन नहीं रखा गया, उसकी धारा १५६ का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि स्पीकर को स्वयं अधिकार है कि वह मोशन को एपोइंटेड टाइम पर लेकर राय ले सकता है। मैंने जो हालत गुजरी उसका जिक्र किया. इसमें दर्ज है या नहीं, दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पिछले सत्र की मार्च के महीने की पढ़ कर सुनाता हूं। उन प्रोसीडिंग्स में भी देखा जाय तो सबमें "स्वीकृत" लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा है कि "हां" या "ना"। लोक सभा के अन्दर भी यह कन्वेन्शन है कि वहां जब मांग पास की जाती है तो "हां" या "ना," "एज़" या "नोज़" दर्ज नहीं करते। केवल यही दर्ज करते हैं एक्सेप्टेड ओर रिजेक्टेड। "The motion was adopted; the motion was rejected."

यह लोक सभा की ६२०८ पेज पर दी हुई प्रोसीडिंग्ज़ में से, सेविन्थ सेशन, पढ़ कर सदन के सामने रखता हूं और पढ़ कर सुनाने को तैयार हूं।

तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मगर जब कि प्रोसिडिंग्ज़ में "स्वीकृत" लिख दिया गया है तो लोक सभा में भी यह कन्वेन्शन है। अपने यहां भी पहले प्रस्ताव में "स्वीकृत" लिखा हुआ है। इस कारण से इन मांगों पर स्वीकृत लिख देना काफी था। स्वीकृत लिख देने पर मांगें स्वीकृत समझनी चाहिये। इसलिए २०४ के अन्तर्गत एप्रोप्रियेशन बिल लाने की आज्ञा प्रदान करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय श्री सतीशचन्द्रजी की तरफ से....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इससे पहले कि आप इस सम्बन्ध में निर्णय दें मेरा निवेदन आपसे ही है कि चूंकि जिस दिन की कार्यवाही के सम्बन्ध में यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया उस दिन आप स्वयम् चेयर पर थे। यह मसला संविधान से सम्बन्धित हैं। इस पर कई कॉम्प्लीकेशन्स हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जब इस प्रकार का मोशन उठा तो डिविज़न क्लेम किया गया। उसको चैलेन्ज करने के बाद हाउस ऑफ कोमन्स में स्पीकर्स ने यह निर्णय दिया कि जो डिविजन कराया गया वह गलत कराया गया, नियमों की पाबंदी नहीं की गई और इसलिए दुबारा डिविज़न कराया जाय। इसमें कोई नई परम्परा एस्टेब्लिश करने का प्रश्न नहीं है। डिविज़न कराने का कारण नियमों के अन्तर्गत जो फॉर्मेलेटीज़ पूरी की जानी चाहिये उनका पूरी तरह पालन नहीं किया गया। हमारे विधि मंत्रीजी ने लोक सभा का उदाहरण दिया। लोक सभा ने अलग नियमों के अन्तर्गत अपना यह निर्णय दिया जब कि हमारे यहां के नियमों का प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : इस हाउस की प्रोसिडिंग्ज़ का भी उदाहरण दिया है जिसमें "स्वीकृत स्वीकृत" लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई ऐसा डिसिजन बता सकते हो आप कि कोई आपत्ति की हो और फिर डिसीज़न दिया हो ?

श्री मथुरादास माथुर : डिसीज़न का सवाल नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am in the possession of the f oor of the House.

इस प्रकार की परम्पराओं की ओर मैंने ध्यान इस ओर खींचा है । यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है ।

दूसरा यह प्रश्न इतना गम्भीर है कि हमारा हाउस का जो फाइनेन्शियल कंट्रोल है उससे ताल्लुक रखता है और सबसे बड़ी हाउस की यह सम्पति है जिसके द्वारा सरकार के खर्चे को प्रावधानों को यह हाउस कन्ट्रोल करता है, मेरा यह निवेदन है कि इस विषय पर आप रूलिंग माननीय अध्यक्ष के लिए रिज़र्व कर लें और जब तक इसका निर्णय न हो जाय तब तक इस मोशन को अलाऊ न करें ।

श्री मथुरादास माथुर : I had tried to be as fair as possible.

I have quoted you the conventions of Parliament which follow and I have also quoted you the conventions of our own house which we follow.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ी देर पहले ही मांग रखी गई थी, आधे घन्टे पहले ही, जिसमें "हां" पक्ष और "ना" पक्ष हुआ है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रीजी ने अभी लोक सभा की प्रोसीडिंग्ज़ और इसी सदन की प्रोसीडिंग्ज़ जिनमें केवल ये शब्द लिखे हुए हैं 'अस्वीकृत' या 'स्वीकृत' यहां पेश की हैं और इस बुनियाद पर यह क्लेम किया है कि इस प्रोसीडिंग में भी "स्वीकृत" शब्द लिखा हुआ है इसलिए यह कन्वेशन है; 'हां' पक्ष जीता, हां पक्ष जीता", यह नहीं लिखा हुआ है, इसमे यह इर्रेगुलर नहीं होता है । मेरा निवेदन करना यह है कि लोक सभा की प्रोसीडिंग्ज़ में भी या हमारी उस प्रोसीडिंग्ज़ में भी इस बात को किसी ने क्लेम नहीं किया है, क्वेश्चन पुट नहीं किया गया था और क्वेश्चन पुट करने के बाद चेयर की तरफ से दो बार इस बात को दो बार रेफर नहीं किया गया था जैसा कि यह रूल डिमान्ड करता है । रूल ८६ डिमांड करता है :

"Rule 286 (2)-"The Speaker shall then say: I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it". If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice: "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly."

हमारा निवेदन करना यह है कि क्वेश्चन इतना ही नहीं है कि इस बात को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि चेयर की तरफ दो बार 'Ayes have it'; 'हां' पक्ष जीता, यह नोट नहीं किया गया है, हमारा कहना यह है कि चेयर की तरफ से इस बात को कहा ही नहीं गया।

श्री मथुरादास माथुर : Then how that 'sweekriti' has come over here? You are challenging the authority of the Chair.

श्री रामानन्द अग्रवाल : चेयर की तरफ से इस बात को कि I think 'Ayes' have it दो बार रिपीट किया जाता, जब कि यह तथ्य है ही नहीं। वे दो केसेज हैं वे इस किस्म के हो सकते हैं कि जिसमें लोक सभा में या विधान सभा में इस तथ्य को चैलेन्ज न किया गया हो। चेयर की तरफ से। "हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता" दो बार नहीं कहा गया है, यह तथ्य इसमें है।

श्री माथुरादास माथुर : The best evidence is the Chair himself.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In that cast if the Chair is evidence, then let the Speaker give his ruling on the question, and not the Dy. Speaker. The question should not be decided by the Dy. Speaker and the matter should be deferred for the speakers' decision.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : The speaker is not the appallete authority. He (the Dy. speaker) is himself the supreme authority.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस रूल के अनुसार जब तक इस विधि की प्रकिया को फोलो नहीं किया गया है तो क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है और केवल उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है कि यह नहीं लिखा है और इससे क्या हो गया। जो कोन्स्टिट्युशन की फोर्मेलिटीज हैं उनको पूरे दृष्टिकोण से फोलो नहीं किया जाता है तो कोन्स्टिट्युशन का प्रयोग हल्के तरीके से हो जायगा। इसलिए यह सारा क्वेश्चनदुबारा पुट होना चाहिये जो कि पुट नहीं हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। जब राजस्व विभाग और वन विभाग की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं उस समय मैं यहां पर नहीं था। दो प्रकार के वर्शन्स मैंने सुने हैं; एक वर्शन यह है कि उन मांगों के मुतल्लिक डिबेट कन्क्लयुजिव स्टेज को नहीं पहुंची, इनकक्ल्युजिव डिबेट थी। प्रोसीडिंग्ज के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने यह बताया कि इन्कन्क्लयुजिव डिबेट को ही बिना समाप्त किये सदन की कार्यवाही उस दिन स्थगित हुई। माननीय विधि मंत्री के द्वारा जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उनके अनुसार मैं इस अनुमान पर पहुचता हूं कि फोर्मेलिटीज हैं वे कम्प्लीट हुई हैं। अब यह समस्या इस सदन के प्रिविलेज की समस्या है। यह कोई मामूली

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समस्या नहीं है और यह समस्या इस बात की दरकार करती है, मांग करती है कि आपका इस बारे में क्या रूलिंग है। आपका रूलिंग सर्वमान्य है। लेकिन आप जो रूलिंग दें उसके प्रथम जो माननीय विधि मंत्री ने लोक सभा के कन्वेंशन के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने यह भी कहा है कि हो-हुल्लड़ में 'यस' और 'नो' कोई सुनाई ठीक तरह से नहीं दिया, इन ग्रान्ट्स को पुट टू वोट किया या नहीं? पुट टू वोट किया है और उसमें जो फोर्मेलिटी परफोर्म करनी थी, वह की है या नहीं, इस बारे में यदि शंका होती है तो इस समस्या को आप ही, उपाध्यक्ष महोदय, सुलझा सकते हैं। यह विवादास्पद प्रिविलेज का प्रश्न है, आसन से मैं निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध मे अपनी रूलिंग दें।

श्री मथुरादास माथुर : स्पीकर के सम्बन्ध में रूल १० है वह कोट करता हूं :

"Powers of Deputy speaker or other member presiding over sittings of House-The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules, shall, when so presiding, have the same powers as the speaker when so presiding and all references to the speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : you need not refer this. It is an accepted principle.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It will be more desirable in these circumstances.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक आपत्ति प्रस्तुत की है कि तारीख २२-३-६५ को भू राजस्व और वन की जो मांग रखी गई वह यथा-विधि पास नहीं हुई क्योंकि रूल २७८ के अन्तर्गत एक तो माननीय मंत्री ने रिप्लाई द्वारा बहस को कन्क्लूड नहीं किया अर्थात् उस पर रिप्लाई होना चाहिये था वह नहीं हो पाया। दूसरा २८१ के अन्तर्गत क्लोजर आना चाहिये था, वह भी नहीं हुआ। क्योंकि उपरोक्त सारी कार्यवाही नहीं हुई इसलिये २०३ की मन्शा पूरी नहीं हुई। इसलिये २०४ के अन्तर्गत एप्रोप्रियेशन बिल इस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

इस विषय में माननीय विधि मंत्री ने सारा स्पष्टीकरण किया और संकेत किये १५६ रूल की तरफ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक रूल २७८ और २८१ का प्रश्न आता है ये सारे जनरल रूल्स ऑफ प्रोसिजर के चेप्टर में आते हैं। और वहां जो विशेष प्रोसिजर के अलावा बात रह जाती है वह इन रूल्स के अन्दर दिया है जैसे डिवीजन इत्यादि। जहां तक हमारे फाइनेन्शियल बिजनेस का ताल्लुक है वह चेप्टर १८ के अन्तर्गत आता है। उसके लिये उसमें रूल्स हैं। रूल्स हमारे संविधान

(श्री उपाध्यक्ष)

की मन्शा की छाया में बनाये गये हैं। उनमें सारी पार्लियामेन्टरी परम्परा का ख्याल रखा गया है, सारी वस्तुस्थिति का ख्याल रखा गया है। इन सबको ध्यान में रख कर प्रावधान रखे गये हैं। इस संदर्भ स्थिति में और जब कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य पूरा नहीं हो पाता है, ऐसी अवस्था में आसन को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्य-सलाहकार समिति का १९ वां प्रतिवेदन है जिसके अन्तर्गत इन मांगों को उसी दिन यानि २२-३-६५ को पास करना था। जहां तक आसन का जिक्र आता है आसन केवल स्पीकर ही नहीं, आसन के ऊपर रूल २१० के अन्तर्गत जो भी बैठा हो, आसन के सर्वाधिकार उसके अन्दर निहित हैं। वहां से जो व्यवस्था दी जाती है वह माननीय अध्यक्ष की ही व्यवस्था का वजन रखती है। माननीय अध्यक्ष जिस प्रकार रूलिंग देते हैं, जो कुछ अहमियत और असरात उस रूलिंग के होते हैं वही अहमियत और असरात आसन पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा दिये गये रूलिंग का भी होता है। उस समय आसन द्वारा जो कुछ कार्यवाही की गई वह रूल १५६ के अन्तर्गत की गई जिसके अन्दर फाइनेन्शियल बिजनेस पूरा करने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है उसी के अनुसार जो कुछ उचित कदम उठाये जाने चाहिये थे उठाये गये। उसी दृष्टि से उस दिन कार्यवाही हुई।

अब यह प्रश्न आता है "पुटिंग ऑफ दी क्वेश्चन" रेकॉर्ड होने का इस संदर्भ में है। वहां हमारे सामने परम्परा का प्रश्न आता है। जिस प्रकार रेकॉर्डिंग पार्लियामेंट में होता है जो हमारी मातृ संस्था (मदर इन्स्टीट्यूशन) है उसी के अनुसार हमारे यहां पर भी होता है। इस सम्बन्ध में विधि मंत्री ने भी कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये है, मैं भी इस समय एक उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जहां एक डिमान्ड के लिये जो विधि अख्तयार की गई जिस प्रकार से रेकॉर्ड हुआ वह निम्न प्रकार से है...

"Mr. Speaker : I shall now put the Demands to the vote of the House.

The question is :

That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Order Paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1958, in respect of the following Heads of demands entered in the second column thereof :

Demands Nos : 27 to 41 and 109 to 115.

The motion was adopted.'

इतना ही संकेत किया गया है। इसी तरह से इस सदन में भी....

"श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६५ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को १४,८३,९६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।"

यह रिकॉर्डिंग का सिलसिला रहा है। जहां स्वीकृत लिखा जाता है या मोशन एडोप्टेड लिखा जाता है वहां यह माना गया है कि 'हां' पक्ष जीता और जो भी २८६ के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये थी वह हुई है। यही मानकर यह लिखा जाता है।

जहां तक प्रश्न है एप्रोप्रियेशन बिल को प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय या नहीं. इसकी तो वह प्रस्तुत करने की इजाजत मिलनी चाहिये। रिकॉर्डिंग किस प्रकार से हो, रिकॉर्डिंग का प्रश्न अध्यक्षीय आदेश पर आधारित है। अध्यक्ष चाहें तो विशद रूप से लिखें ऐसी परम्परा को स्वीकार कर सकते हैं; या यह न किया जाय,यह सब उनके सोचने की बात है। यह एक परम्परा के अनुसार टेकन फॉर ग्रान्टेड होता है इसलिये इस विषय में अनियमितता नहीं दिखती। इसलिये मैं इजाजत देता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल प्रस्तुत किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष ने यदि रेकॉर्डिंग की व्यवस्था दूसरी प्रकार की दे दी जैसी कि अब तक नहीं है, तो फिर क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ निर्णय देंगे वह आयन्दा के लिये होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाता हूं। आसन ने अभी उद्धरण पढ़ कर सुनाये, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कभी कोई डिस्प्यूट हुआ हो और उस सम्बन्ध में डिसीज़न चेयर से हुआ हो वह आपने हाउस के सामने नहीं बताया। जैसे टोंक में पांच हजार लोगों को फांसी लगा दी गई, कोई कानून नहीं था, बाद में कानून बन गया तो जो पहले हुआ वह तो गलत हुआ। पार्लियामेन्ट में या दूसरी विधान सभाओं में अगर इस प्रकार का प्रश्न खड़ा किया गया हो और उसके बाद रूलिंग हो, वह आपको बताना चाहिये, जो नहीं बताया गया है।

श्री माथुरादास माथुर : इसकी आवश्यकता नहीं है। जो दलील टोंक की दी वह दलील यहां लागू नहीं होती...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कहें कि संविधान की धारा २८६ के अन्तर्गत बने हुए नियम हैं उसी के अनुसार पुट ओवर क्वेश्चन फोर डिस्पोज़ल होना चाहिये। तो पुट ओवर क्वेश्चन की जो व्यवस्था २८६ में की गई है, अगर यह निर्णय दे दिया गया कि यह क्वेश्चन ऐसे रेकॉर्ड में पुट होना चाहिये था, तो इस सम्बन्ध में इनकन्सिस्टेन्सी हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, जब तक निर्णय न हो जावे तब तक इसे डेफर किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नियमों के अन्तर्गत चलते हैं, कुछ परम्पराओं के अन्तर्गत चलते हैं और कानून भी परम्पराओं के आधार पर चलते हैं। तो यहां पर रिकॉर्डिंग की जो परम्परा है, उसके अनुसार ही निर्णय हुआ है। अब नया कानून क्या बनेगा या परम्परा, इसका प्रीकन्सेप्शन यहां पर नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परम्परा का रेकॉर्डिंग तो यह है कि 'हां' कहें, 'ना' कहें; 'हां' पक्ष जीता 'ना' पक्ष जीता का रिकॉर्डिंग हुआ है। परम्परा यह नहीं कि जो गवर्नमेन्ट के खिलाफ आता हो तो उसको इन्कार कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि एप्रोप्रियेशन बिल को प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

जो पक्ष में हो 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

'हां' पक्ष जीता....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 'ना' पक्ष जीता। 'Noes' have it Sir

अन्य विरोधी पक्ष के कतिपय माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता। 'Noes' have it, Sir

राज्य पक्ष : 'हां' पक्ष जीता। 'Ayes' have it, Sir

श्री उपाध्यक्ष : डिविज़न ?

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

मैं पुन: प्रश्न उठाता हूं। प्रश्न यह है कि जो एप्रोप्रियेशन बिल है उसको पुर: स्थापित करने की इजाजत प्रदान की जावे।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न रखते समय कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने की इजाजत देने की परम्परा नहीं है। आप नियम देख लें।

(स्वीकृत)

एप्रोप्रियेशन बिल को पुर:स्थापित करने की इजाजत दी गई।

सदन की बैठक....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ५.३५ बजे सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९६५ के म० पू० ११ बजे, तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८८ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति धरियावद में चल रहे कृषि फार्म पर हुए खर्च व आमदनी की सूची :-

वर्ष	खर्चा	आय
१६५६-६०	३०६३.६० पैसे	शून्य
१६६०-६१	११८६६.४५ पैसे	६५०.००
१६६१-६२	१६६६१.४० पैसे	७.५० पैसे
१६६२-६३	१६६५३.८२ पैसे	१८१०.८६ पैसे
१६६३-६४	२३००५.५३ पैसे	६८३.५३ पैसे
१६६४-६५ (दिसम्बर तक)	१३८१७.६१ पैसे	६३५७.३६ पैसे

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६५ का उत्तर देखिये)

राज्य	आधार वर्ष	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वृद्धि	तृतीय पंचवर्षीय योजना में वृद्धि (प्रतिशत)		
			१९६०-६१ से १९६१-६२ में	१९६१-६२ से १९६२-६३ में	१९६२-६३ से १९६३-६४ में
१	२	३	४	५	६
उत्तर प्रदेश	१९४८-४९	१.०४	—	—	—
मद्रास	१९४८-४९	४.५३	३.५४	१.५२	—
उड़ीसा	१९५८-५९	९.०९	१.३०	-२.८२	—
केरल	१९६०-६१	४.८५	०.२२	२.४२	१.३२
मध्यप्रदेश	१९५२-५३	१२.५६	-०.६१	-४.२०	—
महाराष्ट्र	१९५५-५६	१९.८६	-३.४३	१.१८	२.३४
आन्ध्रप्रदेश	१९५२-५३	२.८६	—	—	—
आसाम	१९४८-४९	(—)५.२२	२.३६	२.६९	—
बिहार	१९४८-४९	२१.१५	१.५९	—	—
राजस्थान	१९५४-५५	२.१२	४.५६	-१.१९	-२.०१

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

क्रमसंख्या	व्हिकल सं०	मोडल	फिटनेस—वेलिड–अप–टू
(१)	आर०जे०एल० ३१४४	१९५३	२२–८–१९६५
(२)	,, ,, ३१४५	१९५३	२५–२–६५
(३)	,, ,, ३६७०	१९५५	१०–५–६५
(४)	,, ,, ३७९४	१९५६	८–९–६५
(५)	,, ,, ४१११	१९५६	२६–७–६५
(६)	,, ,, ४६०६	१९५६	२०–६–६५
(७)	,, ,, ५२७१	१९५७	९–५–६५
(८)	,, ,, ६४३१	१९५९	८–५–६५
(९)	,, ,, ७९६१	१९५९	९–६–६५
(१०)	,, ,, ९००१	१९६०	८–४–६५
(११)	,, ,, ९२२१	१९६०	२–९–६५
(१२)	,, ,, ९२३१	१९५९	२४–७–६५
(१३)	,, ,, ९८८१	१९६०	२२–७–६५
(१४)	आर.एस.एल. १०११	१९६२	४–९–६५
(१५)	आर०जे०एल० ५६२२	१९५८	२०–४–६५
(१६)	आर०जे०एल ३८१४	१९५५	१७–१–६५

———

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति गिरवां व बड़गांव में उन स्थानों की सूची जहां ग्राम सेवक क्वार्टर बनाये गये हैं :

पंचायत समिति गिरवां

क्रम संख्या	स्थान
(१)	कानपुर
(२)	लकड़बास
(३)	साकरोदा
(४)	कुराबड
(५)	बम्बोरा
(६)	बुझडां
(७)	वारापाल
(८)	टीडी
(९)	अलसीगढ़
(१०)	जगत

पंचायत समिति बड़गांव

(१)	भूताला
(२)	बडगांव
(३)	कदमाल
(४)	नेगडिया
(५)	बिलौता
(६)	मुवाणा
(७)	घोडच
(८)	रामा
(९)	लखावली
(१०)	मदार

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-शनिवार, दिनांक, २७ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५९६०	८	सभावना	संभावना
५९६१	४	(क्षी मथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
५९७२	६	आयुवे र्द	आयुर्वेद
५९७३	अन्तिम से ४	बैद्य	वैद्य
५९७५	,, ,, ५	धरियावाद	धरियावद
५९७७	,, ,, ६	मत्री	मंत्री
५९७८	,, ,, ३	(रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
५९७९	१७	श्री राप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५९८०	स्कम्भ	]	५९८०
५९८२	शीर्ष	श्री हनुमानसिंह चौधरी)	(श्री हनुमानसिंह चौधरी)
५९८४	,,	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
५९८८	शीर्षक	२७ मर्च,-६५-	-२७ मार्च, ६५—
,,	१२	श्री योगेन्द्रनाथ ह्राडां	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५९९६	अन्तिम से ८	मत्री	मंत्री
६००४	शीर्ष	(श्री भैरवलाव, कालाबादल)	(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
६०१४	२	असिशासी	अधिशासी
६०१७	अन्तिम से ५	मत्री	मंत्री
६०१८	शीर्षक	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव	हिन्दी सलाहकार समिति सम्बन्धी सूचना
,,	७	परियोजनाए	परियोजनाएं
६०२२	अन्तिम से १०	खच	खर्च
,,	,, ,, ६	श्री विजयसिंह काला	श्री विजयसिंह झाला
६०२५	११	बिस्तार	विस्तार
६०२८व	अन्तिम से ४ व		
६०३०	२०	विकास	विकास
६०३२	२	ट्रेनिक	ट्रेनिंग
६०३३	७	परियोजनायें	परियोजनायें
६०३४	६	परियोजनायें	परियोजनायें
,,	६	विकास	विकास

१	२	३	४
६०३४	२१	वर्षों	वर्षों
,,	अन्तिम से ३	स्थानीथ	स्थानीय
६०३५	३	मख्य	मुख्य
,,	१४, १५	कर्नचारियों	कर्मचारियों
६०३६	शीर्ष	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
६०३७	अन्तिम से ८	आदिवासिथों	आदिवासियों
६०५०	३	ज्थादा	ज्यादा
,,	अन्तिम से ८	लधुशंका	लघुशंका
६०५१	,, ,, ४	इन्शयोरेन्स	इन्श्योरेन्स
६०५५	,, ,, ६	श्री गिरधाराजाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
६०५६	६	श्री गेकूलप्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
,,	अन्तिम से ६	महाराबल	महारावल
६०६०	शीर्ष	(श्री चतुर्सुज उपाध्याय)	(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)
६०७६	शीर्षक	२२ मार्च, ६५-	२७ मार्च, ६५—
,,	शीर्ष	नत्थीसिंह)	(श्री नत्थीसिंह)
६०८४	स्कम्भ	३०८४	६०८४
,,	शीर्षक	२१ सामुदायिक	२२–सामुदायिक
,,	१३	प्रोडक्डशन	प्रोडक्शन
६०८८	१७	पषिदों	परिषदों
६०९२	१६	येन-केन प्र-कारेण	येन-केन-प्रकारेण
६०९४	शीर्षक	२७ माच, ६४	२७ मार्च, ६५—
६१०१	स्कम्भ	६२०१	६१०१
६११४	७	जामतौर	आमतौर
६१२५	१४	बौर	और
६१२८	८	श्रा रामानन्द	श्री रामानन्द
६१२९	शीर्षक	विकाग परियोंजनाएं	विकास परियोजनाएं
६१३२	शीर्ष	'श्री जुझारसिंह,	(श्री जुझारसिंह)
,,	२०	Agencies यह	Agencies." यह
६१३३	२०	ऑफिसस	ऑफिसर्स
,,	१५	मे	में
,,	२३	arrange	arrange—
६१३७	अन्तिम से ८	(रायसिंहनगर)	(रायसिंहनगर) :

१	२	३	४
६१३९	५	त्रिकास	विकास
६१४२	अन्तिम से ८	२७ मात्र	२७ मार्च
६१४३	३	श्री मानसिह महार	श्री मानसिंह महार
६१४४	१७	तुम महार ! जागीर	तुम महार ! जागीर
६१४८	अन्तिम से ६	कनिश्नर	कमिश्नर
६१५७	शीर्षक	परियोजना	परियोजनाएं
६१६०	अन्तिम	अ [illegible] ग महोद	अगर मंत्री महोदय
६१६२	शीर्ष	(मुवितलाल मोदी)	(श्री मुक्तिलाल मोदी)
६१६३	शीर्षक	परियोजनाए	परियोजनाएं
६१६८	स्कम्भ	२१६८	६१६८
,,	७	थी मानिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६१६९	शीर्षक	बिकास	विकास
६१७१	५	वडे	वड़े
६१७२	९	श्री योगेन्द्रदाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६१७६	शीर्ष	(श्री यथुरादास माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
६१८२	,,	(श्री मथुरादास याथुर)	,, ,, ,,
६१८३	अन्तिम से ५	श्री रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६१९९	शीर्षक	इत्याद	इत्यादि
६२०२	९	मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
६२०३	३	शिड्युल्ड	शिड्यूल्ड
,,	१६	शिड्ल्ड	शिड्यूल्ड
,,	२०	शिड्युल्ड टाइब्स	शिड्यूल्ड ट्राइब्स
,,	२२	महरावल श्री लदमणसिंह	महारावल श्री लदमणसिंह
६२०५	१०	स या	संख्या
६२०६	शीर्ष	क्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
६२०८	शीर्षक	सेष मांगों–२७ माच, ६५	शेष मांगों–२७ मार्च, ६५–
६२११	,,	पर मख वन्ध	पर मु[illegible] बन्ध
६२१२	८, ९	साराशिकृत	संराशिकृत
६२१६	शीर्षक	विनियाग–२७ माच, ६५–	विनियोग–२७ मार्च, ६५
६२१९ से ६२२७	शीर्षक	विधेयक ९९६५	विधेयक, १९६५

(४)

१	२	३	४
६२२०	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
६२२४	शीर्षक	विनियीग	विनियोग
६२२६	१	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल प्रोसीडिंग्ज़	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीडिंग्ज़
६२२७	२२	एस्टेबिलश	एस्टेबि्लश
६२२८	८	f oor	floor
६२३०	६	comc	come
६२३१	२३	इनकक्ल्युज़िव	इन्कन्क्ल्युज़िव
६२३२	शीर्षक	विनियाग	विनियोग
६२३३	२२	किये	किया
६२३४	शीर्षक	विनियीग	विनियोग